लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, मंगलवार, 22 नवम्बर, 1966/1 अग्रहायण, 1888 (शक)

No. 15, Tuesday, November 22, 1966/Agrahayana 1, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
421.	सहकारी भण्डार — Co-operative Stores	1177—1880
422.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi	1880—1883
423.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए राज सहायता — Subsidy for I. A. C.	1883—1886
424.	उपभोक्ताओं का मूल्यवृद्धि निरोध आन्दोलन — Consumers' Price Resistance Movement	1887-1888
425.	मूल्य स्थिरीकरण समिति — Price Stabilization Committee	1888
426.	खाद्य स्थिति का अनुमान — Assesment of Food Situation	1892—1894

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
427.	अधिक उपज वाली गेहूं की किस्म — High yielding variety of Wheat	1894
428.	असैनिक विमान-चालकों की कमी — Shortage of Civil Air Pilots	1894-1895
429.	कलकत्ता पत्तन न्यास के लिए ऋण — Loan for Calcutta Port Trust	1895-1896
430.	अमरीकी गेहूं की लागत — Cost of American Wheat	1896
431.	तटीय नौवहन — Coastal Shipping	1897
432.	सहकारी समितियों के सम्बध में एकरूप विधान — Uniform Legislation on Co-operative Societies	1897
433.	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी — River Steam Navigation Co.	1897-1898
434.	अमरीका से खाद्यान्नों का आयात — Import of Foodgrains from USA	1898
435.	मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर अंक — Numerals on Car Plates	1899
436.	सुपर बाजार — Super Bazars	1899-1900

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
437.	अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन	Amenement to Advocates Act	1900
438.	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात	Import of Rice from UAR	1900-1901
439.	अनिवार्य राशन व्यवस्था	Compulsory Rationing	1901
440.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 'ग्रेविंग डॉक'	Graving Dock at Hindustan Shipyard	1901-1902
441.	सुपर बाजारों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of essential commodities for Super Bazars	1902
442.	निःशुल्क कानूनी सहायता	Free Legal Aid	1902
443.	कोचीन हवाई अड्डा	Cochin Airport	1903
444.	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	1903-1904
445.	एशियाई राजपथ समन्वय समिति	Asian Highways Co-ordinating Committee	1904
446.	उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers	1904-1905
447.	राज्यों में अनाज का उत्पादन	Foodgrains Production in States	1905
448.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सुपर बाजार तथा स्टोर	Super Bazars and Stores for Rural Areas	1906
449.	सड़क परिवहन कराधान जांच समिति	Road Transport Taxation Inquiry Committee	1906
450.	कलकत्ता पत्तन	Calcutta Port	1906-1907

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

2011.	सुपर बाजार, दिल्ली	Super Bazar, Delhi	1907
2012.	शांति के लिए खाद्यान्न सम्बन्धी करार के अन्तर्गत गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat under Food for peace Agreement	1907-1908
2013.	खाद्य मिश्रण में रॉक फौस्फेट का मिलान	Use of Rock Phosphate in Manure Mixture	1908-1909
2014.	भारत के बड़े हवाई अड्डों को देखने आने वाले व्यक्तियों से शुल्क	Levy on Visitors at Major Airports	1908-1909
2015.	मद्रास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund for Madras	1909-1910

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
016. आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में कम्पनियां	Companies in Tribal Areas in Assam	1910
2017. सुपर बाजार, दिल्ली	Super Bazar, Delhi	1910
2018. शराब के मूल्य	Prices of Wine	1910-1911
2019. कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	1911
2020. अंगूर और नारंगी आदि की खेती	Grape and Citrus Cultivation	1911
2021. अधिक उपज देने वाले बीज के गेहूं और जौ	High-yielding Wheat and Barley Seeds	1911-1912
2022. दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य	D.M.S. Milk Price	1912
2023. नाशक कीड़ों द्वारा खरीफ की फसल को पहुंचाई गई क्षति	Destruction of Kharif Crops due to Pests	1912-1913
2024. अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु	Death of cattle in Famine affected areas	1913-1914
2025. ढोरों का बीमा	Insurance of Cattle	1914
2026. दिल्ली में धान की दुकानों पर छापे	Raid on Paddy Shops in Delhi	1914
2027. एयर इन्डिया विमान में बम रखे जाने का भय	Bomb Scare on Air India Plane	1914-1915
2028. कोचीन बन्दरगाह	Cochin Port	1915
2030. पालम हवाई अड्डा क्षेत्र में स्थित मंगलपुरी गांव को अन्यत्र बसाना	Shifting of Managalapuri Village in Palam Airport	1916
2032. समवाय अधिनियम	Companies Act	1916-1917
2033. समवाय विधि न्यायाधिकरण	Companies Law Tribunal	1917
2034. गोआ के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवाय	Industrial and Commercial Concerns of Goa	1918
2035. भूमि का अर्जन	Acquisition of Land	1918-1919
2036. आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति	Drought conditions in Andhra Pradesh	1919
2037. परिवर्तनशील रूसी कृषि विमान	Russian Agricultural Convertible Aircraft	1919-1920

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2038. एशियाई राजपथ	Asian Highways	19920-1921
2039. दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की मृत्यु	Death Rate in Delhi Zoo	1921
2040. विधि मंत्रालय में हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Hindi Correspondence in Law Ministry	1921
2041. विधि मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi Knowing Employees in Law Ministry	1921-1922
2042. कम्पोस्ट खाद्य	Compost Manure	1922
2043. आयातित गेहूं का खराब होना	Damage to Imported Wheat	1922-1923
2044. सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	1923
2045. उड़ीसा में अशोक शुगर फैक्टरी	Asoka Sugar Factory in Orissa	1923
2046. उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन	Cooperative Movement in Orissa	1924
2047. मध्य प्रदेश में भुखमरी से मृत्यु	Starvation Deaths in Madhya Pradesh	1924
2048. केरल में सड़कें	Roads in Kerala	1925
2049. केरल में पुल	Bridges in Kerala	1925-1926
2050. केरल में पुल	Bridges in Kerala	1926
2051. एयर इंडिया के बोइंग विमान के इंजन में खराबी	Engine Trouble to Air India Boeing	1926
2052. मतदाताओं को मतदान संबंधी जानकारी से अवगत कराने के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम	A.I.R. Programmes for Educating Voters	1927
2053. रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा छंटनी	Retrenchment by River Steam Navigation Co. Ltd.	1927
2054. मैसूर राज्य में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in Mysore State	1927-1928
2055. हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	1928-1929
2056. दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into Working of D.T.U.	1929

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2057. पूर्वी पाकिस्तान को चोरी छिपे चीनी का ले जाया जाना	Smuggling of Sugar into East Pakistan	1929-1930
2058. अनाज लाने वाले जहाजों को विलम्ब शुल्क की अदायगी	Demurrage paid on Food Ships	1930
2059. भारतीय आलू निगम	Potato Corporation of India	1930
2060. जम्मू तथा काश्मीर से मौसम का हाल	Weather Reports from J & K	
2061. सूरत गढ़ फार्म	Suratgarh Farm	1931
2062. ऋतु संबंधी राकेट छोड़ने का केन्द्र	Meteorological Rocket Launching Station	1931
2063. आयातित खाद्यान्नों की उपलब्धि	Availability of Imported Foodgrains	1932
2064. पश्चिम बंगाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये धन	Funds for Drought affected areas in West Bengal	1932
2065. आसाम में बच्चों का बेचा जाना	Sale of Children in Assam	1933
2066. नर्मदा नदी पर पुल	Bridge over River Narmada	1933-1934
2067. कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres at Kumaon Hills	1934
2068. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये नैनीताल में होस्टल	Hostel at Nainital for Central Government Employees	1934
2069. आयातित उर्वरकों का कम हो जाना	Shortage in Imported Fertilizers	1934-1935
2070. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies	1935
2071. अमरीका की कोआपरेटिव लीग	Co-operative League of United States	1935-1936
2072. महाराष्ट्र में फसल की स्थिति	Crop Conditions in Maharashtra	1936
2073. भारतीय नौवहन निगम	Shipping Corporation of India	1936-1937
2074. बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता	Education Allowance for Bombay Port Trust Employees	1937
2075. सेन्ट्रल एजेंसी सेक्शन	Central Agency Section	1937

अता० प्र० संख्या Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2076.	मैसूर राज्य की अनाज की मांग	Mysore State Demand for Foodgrains	1938
2077.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत कृषि-ऋण	Agricultural Loans under P.L. 480	1938-1939
2078.	बिहार में कृषि भूमि	Agricultural Land in Bihar	1939
2080.	इंडियन-एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान का तेजपुर में उतरना	Grounding of I.AC. Fokker Friendship at Tezpur	1939-1940
2081.	तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना	Tuticorin Harbour Project	1940
2082.	रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन का अधिवेशन	F.A.O. Session in Rome	1940
2083.	रूसी ट्रैक्टर	Russian Tractors	1941
2084.	चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों का आयात	Import of Czech Tractors	1942
2085.	सफदरजंग हवाई अड्डा	Safdarjung Aerodrome	1942
2086.	भारत के लिये कनाडा से अनाज	Canadian Foodgrins for India	1243
2087.	बर्मनघाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	Bridge on National Highway near Barmanghat	1943
विशेषाधिकार का प्रश्न		Question of Privilege	1943
	हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा क्षमा याचना	Apology by the Editor and Publisher of Hindustan Times . . .	1943
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	1944
सिख गुरूद्वारा विधेयक पर राय		Opinions on Sikh Gurdwaras Bill	1947
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		*Re.* Motion for Adjournment .	1947
	पुरी के जगदगुरू शंकराचार्य का निरोध	Detention of Jagatguru Shankracharya of Puri	1947
पारित किये गये विधेयक		**Bills Passed :**	1947
(1)	केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966	(*i*) Kerala Appropriation (No. 3) Bill, 1966	1953
(2)	केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966	(*ii*) Kerala Appropriation (No. 4) Bill, 1966	1954

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(3) केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966	(*iii*) Kerala Appropriation (No. 5) Bill, 1966	1954
सभा के कार्य के बारे में	*Re.* Business of the House . .	1955
संविधान (इक्कीसवां) संशोधन विधेयकन तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद पुनः आरम्भ करने के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re.* Resumption of Debate on Constitution (Twenty-first) Amendment Bill and Representation of People (Amendment) Bill . . .	1956
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty First Amendment) Bill .	1956
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . . .	1956
खंड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1 . . .	1957
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	1957
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Representation of People (Amendment) Bill	1962
खंड 3 से 19 तथा 20	Clauses 3 to 19 and 20 . .	1962

387 (Ai) LS—B

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 नवम्बर 1966/1 अग्रहायण 1888 (शक)
Tuesday, November 22. 1966/Agrahayana 1, 1888 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सहकारी भंडार

+

*421 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हू० चा० लिंग रेड्डी :
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के बाद सरकार की मूल्य में वृद्धि को रोकने की योजना के अन्तर्गत कितने बड़े सहकारी भंडार खोले गये हैं ;

(ख) बड़े भंडारों की स्थापना से व्यवसाय की परम्परागत प्रणाली में कदाचार का किस हद तक पता चला है ;

(ग) उन उत्पादकों के विरुद्ध जिन्होंने थोक व्यापारियों अथवा स्टाकिस्टों के रूप में अपनी नकली फर्में बना रखी हैं क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यह बात कहां तक सच है कि सूची मूल्यों को फुटकर मूल्यों से बहुत अधिक निश्चित करने की प्रथा का भी पता चला है जो अनुचित लाभ प्राप्त करने का एक साधन है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता सहकारी समितियों के त्वरित कार्यक्रम के अंग के रूप में 19 बहु-विभागी भंडार खोले गए हैं । इन बहु-विभागी भंडारों के अतिरिक्त 46 नए थोक भंडार भी गठित किए गए हैं ।

(ख) वर्तमान वितरण व्यापार के कदाचार जैसे कमी पैदा करने के उद्देश्य से स्टाक इकट्ठा करना, वस्तुओं में मिलावट करना और निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना आदि भली-भांति जाने पहचाने हैं । बड़े बहु-विभागी भंडारों जिन्होंने केवल हाल ही में काम करना शुरू किया है ने वितरण व्यापार पर स्वस्थ प्रभाव डाला है ।

(ग) सामान्यतः विनिर्माताओं तथा उपभोक्ता के बीच बहुत अधिक बिचौलिए हैं जिनमें से प्रत्येक अपना-अपना लाभ लेता है। अनावश्यक बिचौलियों को हटाने की दृष्टि से सरकार ने निम्न अत्यावश्यक वस्तुओं के विनिर्माताओं को उपभोक्ता सहकारी भंडारों की पूरी मांग को प्राथमिक आधार पर तथा उन मूल्यों पर पूरा करने के लिए राज़ी कर लिया है जिन्हें वे वितरण की पहली अवस्था में लेते हैं ।

1. बेबी फूड़
2. खाने वाले तेल
3. वनस्पति
4. दियासलाइयां
5. बिजली के बल्ब
6. साइकिल के टायर तथा ट्यूबें
7. साबुन तथा प्रसाधन की वस्तुएं
8. ड्रग्स तथा औषधियां
9. कपड़ा
10. कागज तथा कागजी लेखन-सामग्री
11. ड्राई सैल्स तथा बैटरियां
12. सोडा राख
13. हरीकेन लालटेन

(घ) यह सही है कि कुछेक वस्तुओं में खुदरा लाभ अनुचित रूप से अधिक है और अधिकांश खुदरा व्यापारी इस मूल्य के अन्तर का लाभ उठाते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस विभागीय भंडारों की स्थापना से कीमतों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है जिससे पता चले कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में कर लिया गया है ।

श्री श्यामधर मिश्र : मेरे पास यहां एक विवरण है। मैं उसका एक भाग पढ़ सकता हूं जिसमें जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर के आंकड़े तथा खुले बाज़ार और सुपर बाजार के तुलनात्मक आंकड़े दिए हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये और वे माननीय सदस्य को केवल निष्कर्ष बता दें ।

श्री श्यामधर मिश्र : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं । इन उपायों का निश्चित प्रभाव पड़ा है । और वहां पर कीमतें 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम हैं। सब्जियां 20 से 25 प्रतिशत तक कम कीमत पर बेची जा रही हैं । कुछ अन्य वस्तुएं 4 से 6 प्रतिशत तक कम कीमतों पर बेची जा रही हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि विभागीय भंडारों ने परम्परागत व्यापारियों के लिए कीमत निश्चित करने का काम किया है जो अनुचित मुनाफे पर चीजें बेचते रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां। यही हो रहा है । कनाट प्लेस तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकतर मार्केट सुपर मार्केट के भावों पर जो कुछ कम हैं चीजें बेचने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री ह० चा० लिंग रेड्डी : ये विभागीय अथवा सहकारी भंडार अधिकतर नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ये भंडार खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि ग्रामीण जनता को अत्यावश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल सकें ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह योजना नगरीय क्षेत्रों तथा बड़े नगरों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता भंडार खोलने की छोटी योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके व्यापक विस्तार के लिए इस सारी योजना पर हम विचार कर रहे हैं।

डा० म० मो० दास : इन भंडारों की स्थापना पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और इसमें से कितने प्रतिशत राशि शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुई है और क्या निकट भविष्य में अंशधारियों को समुचित लाभांश दिये जाने की कोई संभावना है ?

श्री श्यामधर मिश्र : अब तक राज्य सरकारों को सुपर बाजार खोलने के लिए कुल 1.39 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसमें अंश पूंजी अनुदान तथा प्रबन्ध संबंधी कुछ राज सहायता भी शामिल है। इसमें से आधी राशि पांच वर्ष के बाद लौटायी जानी है और शेष अगले पांच वर्षों के बाद। जहां तक लाभ तथा लाभांश दिये जाने का प्रश्न है इंसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हें काम करते हुए केवल 3 महीने ही हुए हैं।

Shri M. L. Dwivedi: The scheme for opening cooperative stores in rural areas should have been given preference because the prices in rural areas have gone up very much and majority of our people live in villages. What are the reasons for not giving first place to this scheme?

Shri Shyam Dhar Misra: I have not said that there are no such stores there. Out of the 2 lakh societies working in the rural areas, 44,000 societies run consumer stores. Their annual sales are of the order of Rs. 110 crores. But we are not satisfied with this progress and want to make this scheme more intensive and extensive. Discussions are being held with the Planning Commission in this connection.

श्री स० चं० सामन्त : उत्तर के भाग (घ) में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कुछ वस्तुओं के खुदरा मूल्य बहुत अधिक हैं। सरकार ने इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां तक सुपर मार्केट का संबंध है मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं जिससे पता चलेगा कि सुपर बाजार के खुदरा मूल्य अन्य खुदरा व्यापारियों के खुदरा मूल्यों से कम हैं। जहां तक निर्मित वस्तुओं की कीमतों में कमी करने का सम्बन्ध है यह एक प्रथक प्रश्न है। यह प्रश्न केवल वितरण-व्यापार के बारे में है।

श्री सुबोध हंसदा : कुछ निर्मित वस्तुएं थोक व्यापारियों को कमीशन के आधार पर दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सहकारी भंडार बेबी फूड जैसी उपभोक्ता वस्तुएं भी ग्रहकों को कुछ कमीशन दे कर बेचते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : वास्तव में सुपर बाजार द्वारा 1 नवम्बर से रिबेट (छूट) प्रणाली शुरू की गई है और उसके अनुसार सदस्य-ग्राहकों को कुछ वस्तुओं पर एक अथवा दो प्रतिशत छूट दी जाती है। यह सभी वस्तुओं तथा सभी लोगों को नहीं दी जाती है।

Shri Gulshan: Do Government propose to extend such a scheme to rural areas also where more than 80 per cent people are living? If so, what is the nature thereof?

Shri Shyam Dhar Misra: I have already answered this question.

श्री फिरोडिया : विभिन्न राजधानियों में जो सुपर बाजार खोले गये हैं क्या वे एक ही तरह के हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : पिछले अधिवेशन में मैंने उनके स्वरूप के बारे में बताया था । वे एक समान नहीं हैं यह नगरों के आकार पर निर्भर करता है । सुपर बाजार के क्षेत्रफल आदि में भी थोड़ा बहुत अन्तर होता है । इसके अलावा और कोई अन्तर नहीं होता ।

Shri Sarjoo Pandey: May I know whether any rules have been framed for opening such consumer stores in the rural areas with certain minimum population and if so, what are the details thereof?

Shri Shyam Dhar Misra: It is under consideration. This issue was also discussed in the last conference of State Ministers, held two months ago. The general view is this that as these 44,000 societies are concentrated only in a few regions, therefore an attempt should be made to establish a society everywhere like the P.L.W. circle. But nothing can be said now as no decision has been taken so far.

सुपर बाजार, नई दिल्ली

\+

*422. **श्री प्र० चं बरुआ. :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली का सुपर बाजार वनस्पति घी तेलों, साबुनों, दालों, कपड़ा, जूतों तथा मेवों आदि अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों को बढ़ने से रोकने के अपने उद्देश्य में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां तो 1 जून, 1966 से इनमें प्रत्येक वस्तुओं के दामों में कितनी वृद्धि हुई है (प्रत्येक वस्तु के तुलनात्मक दाम तथा प्रतिशत वृद्धि बताई जाए) ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सुपर बाजार जो समान वितरण का एक अभिकरण है उत्पादकों अथवा विनिर्माताओं के स्तर पर बढ़ाये गए मूल्यों के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता है । यह केवल वितरण व्यापार के मूल्य फैलाव को कम कर सकता है और इस उद्देश्य में अच्छी-खासी सफलता मिली है ।

(ख) व (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 7376/66]**

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि वस्तुओं की कीमतें सुपर बाजार में भी काफी बढ़ गई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें अभी भी निजी व्यापारियों द्वारा

निर्धारित की जाती हैं जो नकली अभाव पैदा करके कीमतें बढ़वा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जमाखोरों से अच्छी तरह निबट सकी है जब कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम अथवा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उसे शक्तियां प्राप्त हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र : सुपर बाजार के खुलने के बाद कपड़ा तथा साबुन को छोड़ कर अधिकांश अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ी हैं । मेरे पास यहां एक विवरण है जिससे पता चलता है कि वनस्पति की कीमतें कम हो गयी हैं, तेल की कीमतें कम हो गई हैं और कुछ प्रकार की दालों की कीमतें भी कम हो गई हैं। परन्तु दाल तथा चने की कीमतें कुछ बढ़ गई हैं। केवल साबुन तथा कपड़े के मूल्य कुछ बढ़ गये हैं । परन्तु हम कीमतें न बढ़ने देने के लिये बराबर प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु निर्माता इस आधार पर कीमतें बढ़ा देते हैं कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ती जा रहीं हैं । हम बराबर उनसे बातचीत करते रहते हैं और निर्मित वस्तुओं के दाम न बढ़ें इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : हमारी सूचना तथा अखबारों में छपे समाचारों के अनुसार वनस्पति की कीमतें लगभग 15–20 प्रतिशत बढ़ गई हैं । और चने और दालों के भाव 20-25 प्रतिशत चढ़ गये हैं जब सुपर बाजार इन वस्तुओं को ठीक दामों पर देने में असफल रहा है तो सरकार इन्हें दिल्ली तथा अन्य जगहों पर राशनिंग के अन्तर्गत क्यों नहीं ला रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वनस्पति घी के भाव अगस्त तथा सितम्बर, 1966 में बढ़ने लगे थे क्योंकि वनस्पति निर्माताओं ने देशी कच्चे सामान के अधिक दामों के कारण वनस्पति के दाम बढ़ा दिये थे परन्तु सरकार द्वारा बाहर से खाद्य तेल के आयात के लिये किये गये प्रबन्धों के परिणामस्वरूप निर्माताओं ने 1 अक्तुबर, 1966 से दाम घटा दिये थे । 1 नवम्बर, 1966 से दाम और अधिक कम कर दिये गये हैं। खुला डालडा अब 5 . 41 रुपये प्रति किलो बिक रहा है जो पहले से बहुत कम है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it not fact that the Super Market is not to blame for the increase in the prices of commodities like soap but it is the manufacturers who are revising their rates upward? May I also know whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Super Bazar authorities wherein they have said that they can meet the demands of the consumers only when a certain quota of the production is supplied to them regularly? If so, what steps have Government taken to ensure this?

श्री श्यामधर मिश्र : यह ठीक है कि साबुन के दाम हाल ही में बढ़ गये हैं क्योंकि निर्माताओं ने कच्चे माल के मूल्य बढ़ जाने के कारण अपनी दरें बढ़ा दी हैं । यह सच नहीं है कि साबुन निर्माता सुपर बाजार को पर्याप्त मात्रा में साबुन नहीं दे रहे हैं। हां, वे अधिक दामों पर साबुन दे रहे हैं और खुले बाजार में खुदरा भाव और सुपर बाजार के इस समय के भाव में भी अन्तर है। वितरण व्यवस्था के कारण ही यह अन्तर संभव हो सका है । किन्तु सुपर बाजार स्वत: निर्मित वस्तुओं की कीमतें नहीं घटा सकता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि सुपर बाजार चलाने पर खर्च प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो क्या इससे वस्तुओं के भाव पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि कर्मचारियों की संख्या बहुती जारही है और प्रशासनिक व्यय भी बढ़ रहा है परन्तु साथ ही बिक्री भी बढ़ती जा रही है और इसलिये इस प्रकार की आशंका का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपर बाजार में दाल, चने तथा सब्जियों के भाव खुले बाजार से अधिक हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : ऐसा नहीं हो सकता । मैं .....

श्री सुबोध हंसदा : यदि आप मेरे साथ बाजार चलें, तो हम स्वयं देख लेंगे ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक निकास और सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : तब आप सुपर बाजार से न खरीदें । अन्य बाजार से खरीदें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह कोई विवरण है तो इसे सभा पटल पर रख दिया जाय ।

Shri M. L. Dwivedi: The prices of soap have actually increased by 32 to 33 per cent. But according to the statement laid on the Table these prices have increased only by 7 per cent. It has been said that manufacturers have revised their rates upward. Has Government no control on the manufacturers? The statement also says that the prices of pulses have increased on account of shortfall in production. Pulses arrive in the market after the harvest season. Therefore there has been no increase or decrease in production after June. What benefit does the hon. Minister want to derive by this wrong statement? Why is a correct answer not being given?

Shri Shyam Dhar Misra: I have not given any wrong statement. I am talking about the position in July. In July the price of Sunlight in the general market was 60 paise and in the Super Market it was being sold for 58 paise. The corresponding prices of Lux were 70 paise and 66 paise. In October the prices of Sunlight and Lux were 65 and 73 paise respectively in the open market and 63 and 72 paise in the Super Market. So it is wrong to say that the prices have increased by 30 per cent during the last four months.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : दिल्ली में इस एक सुपर बाजार से कीमतों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि विशेष कर दिल्ली के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या ये सुपर बाजार देश में अन्य स्थानों पर भी खोले जायेंगे ताकि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर वस्तुएं मिल सकें ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह योजना तीन चार महीने पहले ही चालू की गई है। मार्च, 1967 के अन्त तक देश में लगभग 57 सुपर बाजार खोलने की योजना है । दिल्ली में आरम्भ में एक सुपर बाजार खोला गया था परन्तु अब यहां पर तीन सुपर बाजार हैं पहला कनाट प्लेस में, दूसरा आई० एन० ए० कालोनी में और तीसरा, कोप्स, कनाट प्लेस में । दो, तीन और खोले जायेंगे—एक करोल बाग में एक रामकृष्णपुरम में और यदि स्थान उपलब्ध हो सका तो एक चांदनी चौक में ।

अतः हमारा कार्यक्रम इनकी संख्या बढ़ाते रहने का है और अवश्य ही इसका प्रभाव पड़ेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : सुपर बाजार का उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । नये सुपर बाजार खोलने के साथ साथ चलती फिरती गाड़ियां चालू की जानी चाहियें जो सुपर बाजार के भावों पर लोगों को चीजें सप्लाई कर सकें । क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ये सुझाव दिये हैं ।

Shri Yashpal Singh: The clerical staff is not being benefited by these Super Markets because they cannot purchase their requirements as the Super Markets' closing time does not suit them. Instead of opening so many Super Markets only one Super Market would be enough if arrangements can be made to send the employees in batches to purchase their requirements and it is kept open for a longer time.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

Shri M. L. Varma: According to our information the prices have risen whereas the hon. Minister maintains that the prices have gone down. Can't we devise any method by which the actual position may be known?

Shri Shyam Dhar Misra: I have not said that the manufacturers' prices have gone down. I stated that because of the application of distributive arrangement to the Super Market, the retailer's margin of profit has been reduced. As a consequence thereof, prices have gone down. The second thing that I have stated is that the prices of commodities which had risen in the last four months have been brought down by the arrangement made by Government. This is the factual position.

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये राजसहायता

\+

*423. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की लगभग 80 प्रतिशत उड़ानों में व्यय आय से अधिक होता है और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय थोड़ी होती है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस सम्बन्ध में कोई राज-सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास मुख्य मार्गों पर दूसरों के खर्च (एक्सपेन्स एकाउंट) पर किये जाने वाले यातायात का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये कोई साधन नहीं हैं । तथापि, व्यवसाय के खर्च पर की जाने वाली यात्राओं के अलावा, मुख्य मार्गों पर 'इण्टर-लाइन' टिकटों पर होने वाला पर्यटक यातायात भी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों, विशेषकर, विमान-चालकों द्वारा "धीरे काम करो" नीति अपनाये जाने से कारपोरेशन की आय पर असर पड़ा है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । तथापि, कर्मचारियों द्वारा कुछ ऐसे तरीके अपनाये जाने से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय पर असर हुआ है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि यात्रा एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन बहुत अधिक है और यह बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने तथा इस कार्य को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय में ही लाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : विभिन्न बुकिंग एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन अधिक नहीं है । इस समय इस व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : कुछ विमान सेवाओं में जैसे डकोटा विमान सेवायें, जो सभी छोटे मार्गों पर चलाई जाती हैं, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि हो रही है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन सभी मार्गों पर अन्य विमान चलाने का है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह ठीक है कि छोटे मार्गों पर, जहां पर यातायात कम है, हमें घाटा हो रहा है क्योंकि हम डी० सी०–3 विमानों का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत खर्चीला है ; इसके चलाने में व्यय बहुत अधिक होता है । इन पिस्टन इंजन वाले डी० सी०–3 विमानों के स्थानों पर जेट विमान चलाने का प्रस्ताव इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विचाराधीन है ।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister has stated that I.A.C. has no source to assess the percentage of earnings on expense account. Is he in a position to calculate the percentage earnings on business account and tourist account so that he may arrive at the earnings on expense account?

श्री चे० मु० पुनाचा : एक्सपेंस एकाउंट वाले यात्री वे लोग होते हैं, जो स्वयं सीधा भुगतान नहीं करते बल्कि जिनके लिये काम करते हैं वे खर्च देते हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने कुछ समय पहले सर्वेक्षण किया था । यह पता चला कि 39.8 प्रतिशत यात्री एक्सपेंस एकाउन्ट पर यात्रा करते हैं । शेष लोग सीधे भुगतान करते हैं । वे व्यापारी, पर्यटक, विद्यार्थी और व्यावसायिक लोग हो सकते हैं । इस संस्था द्वारा की गयी सीमित जांच का यह परिणाम है । हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi: My question was quite different. I want to know the percentage of amount paid by tourists, travellers on the account of I.A.C. according to Government's calculations?

श्री चे० मु० पुनाचा : पर्यटक वर्ग लगभग 13 प्रतिशत और अधिकारी वर्ग 12 प्रतिशत ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की तंग स्थिति के बावजूद, बुकिंग व्यवस्था में सुधार करने से कारपोरेशन की आय बढ़ाई जा सकती है ? एयर इंडिया की तुलना में अधिकांश विदेशी पर्यटकों की इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बारे में बुरी राय है क्योंकि सीटें होते हुए भी बुकिंग नहीं की जाती है । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बहुधा ऐसा होता है कि व्यापारी लोग बहुत सी सीटें बुक कर लेते हैं और बिल्कुल समय पर बुकिंग रद्द कर देते हैं । क्या आप इसे दूर करके इंडियन एयर लाइन्स की वित्तीय स्थिति सुधार सकते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक हो सके स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है । हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन प्रत्येक विमान सेवा में अधिक से अधिक यात्री जायें । इस समय भार-क्षमता का काफी उपयोग हो रहा है । कुछ विमान मार्गों में

यह 85 प्रतिशत तक है । भार सम्बन्धी सीमाओं को देखते हुए हम अधिकतम इतना ही भार ले जा सकते हैं । विमान-चालक सीमित संख्या में होने और इस समय चलाये जाने वाले विमानों के किस्मों के कारण कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । जैसे ही नये जैट विमानों के लिये स्वीकृति मिल गई, ये सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं पर लागत-खर्च अधिक होने का कारण पुराने किस्म के विमानों के प्रयोग के कारण है और यदि हां, तो इन पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान लेने के लिये, जिनके चलाने में लागत खर्च अधिक होता है, चौथी योजना में क्या योजना है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । हमारा प्रस्ताव डकोटा विमानों के स्थान पर जैट विमान चलाने का है ।

डा० म० मो० दास : पिछले कुछ वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और उसके कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं और प्राय: कर्मचारियों को, प्रबन्धकों को कोई न कोई शिकायत, बनावटी अथवा काल्पनिक, रही है । इसका मुख्य कारण कारपोरेशन की खराब वित्तीय स्थिति है । प्रबन्धक-कर्मचारी सम्बन्ध सुधारने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रबन्धकों का यह उद्देश्य है कि कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हों । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बहुत अधिक कर्मचारी अर्थात् सभी श्रेणियों को मिला कर लगभग 7-8 हजार, काम करते हैं । कहीं-कहीं कुछ कठिनाइयां होती हैं, तो उन्हें हम समय-समय पर सुलझाते रहते हैं । सामान्य रूप से स्थिति इतनी बुरी नहीं है, जितनी कि बताई गई है ।

Shri Madhu Limaye: Has any complaint been received by the Ministry regarding faulty manner of purchase of aircraft now being proceeded with, and if so, what action is being taken to separating the authorities, the officers of Ministry and officers of I.A.C.

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): श्रीमान्, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है । मैं सभा में यह वचन दे चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा कि विभाग के सचिव को कारपोरेशन का प्रधान नहीं होना चाहिए । कुछ दिन में हम निर्णय कर लेंगे और संभवत: संसद् का सत्र समाप्त होने से पहले हम निर्णय कर लेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that I.A.C. is suffering losses as it is being run on official lines rather on commercial lines? When one rings up for a booking he is told there is no seat available whereas seats are there, I had recently brought it to the notice of the hon. Minister on the 17th Nov. that 18 seats were available for Patna but there was stated to be no vacancy. Are Government going to take steps to improve this situation?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें प्राय: समझा नहीं जाता है । ये कठिनाइयां हैं--भार क्षमता, कुछ उड़ानों में बुक किया गया माल अधिक हो, ईंधन का पहलू और बहुत सी सेवायें, जो कई मार्गों से होकर जाती हैं, वहां से कुछ रिजवशन होती है । मान लीजिये एक विमान यहां से लखनऊ, पटना और इलाहबाद होकर कलकत्ता जाता है, तो प्रत्येक स्टेशन के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखने पड़ते हैं । हम सारा विमान बीच के स्टेशनों के यात्रियों को अवसर

प्रदान किये यहां से सीधे कलकत्ता जाने वाले यात्रियों से नहीं भर सकते हैं । अन्य कठिनाइयां भी हैं । इन बातों को छोड़कर यह भरसक प्रयत्न होता है कि सभी क्षेत्रों में यथासम्भव अधिक से अधिक यात्रियों को स्थान दिया जाये क्योंकि यही तो हमारी दाल-रोटी है ।

श्री सिंहासन सिंह : पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कुछ विमान सेवायें बन्द कर दी गई थीं। क्या सरकार उन्हें, गोरखपुर विमान सेवा को मिला कर, फिर से आरम्भ करने के लिये सहमत हो गई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मामला अभी विचाराधीन है। पाकिस्तान में विभिन्न नगरों के बीच सीधी विमान सेवायें अभी आरम्भ नहीं की गई हैं लेकिन भारत के ऊपर होकर जाने वाली और साथ ही पाकिस्तान के ऊपर से होकर आने वाली हमारी अनुसूचित विमान सेवाओं की अनुमति दी गई है और हम ऐसा कर रहे हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं । वे भारत में विमान सेवाओं के बारे में पूछ रहे हैं । मुझे मालम है कि कुछ स्थानों में विमान सेवायें बन्द कर दी गई थीं । जब हमें आवश्यक विमान मिल जायेंगे हम उन्हें पुनः आरम्भ कर देंगे । हमें निकट भविष्य में आशा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को प्रतिरक्षा मंत्रालय से कानपुर में निर्मित एवरो-748 विमान खरीदने थे, जिसका ऑर्डर दे दिया गया था ; यदि हां, तो उन्हें कितने विमान चाहिएं थे और क्या कोई विमान बनकर तैयार हो गया है ? यदि तैयार नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर से 15 एवरो विमान खरीदने का निर्णय किया गया है लेकिन उपलब्धता स्पष्ट नहीं की गई है । पहला विमान जो इस वर्ष के अन्त तक दिया जाना था, संभवतः मार्च से पहले नहीं मिल सकेगा । इसलिये, जहां तक हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का सम्बन्ध है, सप्लाई में कठिनाई है । ये विमान डकोटा विमानों के स्थानों पर प्रयोग किये जायेंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का विचार तिरुपति के लिये, जो सारे भारत के लिये तीर्थ-स्थान है, एक व्यापारिक विमान सेवा आरम्भ करने का है और क्या वहां पर एक विमान-पट्टी बनाने का प्रस्ताव देवस्थानम् के विचाराधीन है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसको ध्यान में रखा जायेगा । यदि पर्याप्त यातायात हुआ और विमानों के उपलब्ध होने की स्थिति में सुधार होता है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि दिन-प्रतिदिन होने वाले विलम्ब के कारण यात्रियों को आगे यात्रा के विमान छूट जाने के कारण बहुत असुविधा होती है । क्या मंत्री महोदय विलम्ब को दूर करने के लिये तथा इस प्रकार विमानों से रह जाने वाले यात्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के समान सुविधायें प्रदान करने के लिये कुछ कार्यवाही कर रहे है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारे पास विमानों की संख्या बहुत कम है । इसलिये सेवाओं को मिलाने वाली विमान सेवाओं में विलम्ब हो ही जाता है । जैसे ही नये विमान मिल जायेंगे, जो शीघ्र ही आने वाले हैं, स्थिति सुधर जायेगी ।

उपभोक्तओं का मूल्य-वृद्धि निरोध आन्दोलन

*424. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि उपभोक्ताओं का मूल्य-वृद्धि निरोध आन्दोलन देश में उत्तरोत्तर किस सीमा तक फैला जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने किसी तरीके से इस आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा किस सीमा तक इस आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) क्या यह आन्दोलन किसी सीमा तक मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सफल रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि जहां कहीं भी वास्तविक मूल्य-वृद्धि निरोध आन्दोलन अथवा अन्य उपभोक्ता आन्दोलन का प्रादुर्भाव होता है, वहां आन्दोलन में अन्तर्निहित भावना का उपयोग देश में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने, पुनर्जीवित करने तथा मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए ।

(घ) चूंकि इस आन्दोलन के प्रभाव का कोई देशव्यापी मूल्यांकन नहीं किया गया है, अतः कोई स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

तथापि, दिल्ली में यह आन्दोलन उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक दिया । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस आन्दोलन में रुचि ले रही है और इसे प्रोत्साहन भी दे रही है, क्या सरकार इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने का भी प्रयास करेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : भाग (क) में पूछा गया था कि क्या सारे देश में कोई देशव्यापी मूल्यांकन किया गया है और मैंने कहा जी, नहीं । लेकिन प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मैंने कहा कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सीमित प्रभाव हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जो उपभोक्ताओं में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और इसकी सफलता संगठन तथा अन्य विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जो सरकार पर निर्भर नहीं हैं । जहां तक सहायता की आवश्यकता है सरकार अवश्य ही सहायता देगी ।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे देश में निर्माताओं और व्यापारियों का बहुत अच्छा संगठन, जो मूल्य नियंत्रित करता है, क्या सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में ऐसे संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : सरकार इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है । वास्तव में हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि इस आन्दोलन को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन दें ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Are Government aware that the price resistance movement is started when the produce is brought to markets by the farmers, who is adversely effected thereby; if so, will Government see to it that this movement is encouraged after the farmers are paid reasonable price for their produce?

Shri S. D. Misra: This movement is not about the agricultural produce alone, it covers all the consumer goods.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Foodgrains are also one of the items.

Shri S. D. Misra: Government have agreed that the farmer should be paid incentive price and the Agricultural Price Commission is looking into it. I do not see any conflict between the two.

श्रीमती रेणुका राय : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार इस मूल्य-वृद्धि निरोध आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रही है । क्या सरकार ने इस मौखिक सहानुभति के अतिरिक्त मूल्य-वृद्धि निरोध आन्दोलन को सहायता देने के बारे में कुछ महिला संगठनों को मांगी सहायता भी दी है ?

श्री श्यामधर मिश्र : दिल्ली में $1\frac{1}{2}$ साल पहले जब यह आन्दोलन आरम्भ किया गया था, तो यह संगठन एक कॉफी हाउस खोलना चाहता था और सरकार ने वास्तव में उन्हें जगह दी । यह कॉफी हाउस कनाट प्लेस के एक कोने में बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है । इसलिए सरकार ने इस हद तक उनकी सहायता की है । यदि वे कोई और निश्चित सहायता चाहें, तो हम हमेशा उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : महिला मदस्य ने महिला संगठनों के बारे में पूछा है ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मुझे मालूम हुआ है कि संसद् भवन में जलपान व्यवस्था एक महिला संगठन द्वारा की जायेगी । महिला संगठन हमारी खाद्य-रुचि बदलना चाहता है । इसलिए यह मेरे लिए बहुत चिन्ताजनक बात है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रधानों की रिपोर्ट यह थी कि यह महिलाओं को सौंपी जाये । मैंने इसे मान लिया है । वे इसे चलायें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस आन्दोलन को क्या विशष सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह एक पूर्णत: स्वैच्छिक आन्दोलन है । यह हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा से सम्बद्ध है । वे लोगों में जागृति उत्पन्न करते हैं । एक मामले में उन्होंने भूमि और इमारत मांगी थी, वह दे दी गई थी । अब यह आन्दोलन सीमित रूप से आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास और पांडिचेरी में भी आरम्भ हो गई है । मुझे समझ नहीं आती वे मुझ से और क्या चाहते हैं ।

मुल्य स्थिरीकरण समिति

+

425. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में तथा राज्यों में मूल्य स्थिरीकरण समितियां बनाने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : **(क) और (ख).** कृपि मूल्य नीति के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा

पहले ही जनवरी, 1965 में एक कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कर दी गई है ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त वस्तुओं का मूल्य ढांचा बन सके। इस समय राज्य स्तर पर कोई आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम ये हैं:— राशन/उचित मूल्य दुकानों द्वारा अधिक खाद्यान्नों का वितरण, आन्तरिक उपलब्धि का तीव्रीकरण, विदेश से अधिक आयात, गैर-सरकारी व्यापार पर अन्तर-राज्य गमानागमन सम्बन्धी प्रतिबन्ध खाद्यान्न आदि के मुकाबले बैंक अग्रिम पर प्रतिबन्धों पर सख्ती करना।

श्री रंगा : मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री स० मो० बनर्जी : अशोक मेहता समिति की यह भी एक सिफारिश थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा उन्हें एक उचित स्तर पर स्थायी करने में पूर्णतः असफल रही है, मूल्य को एक उचित सीमा से बढ़ने से रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर सर्वदलीय समितियां क्यों नियुक्त नहीं की जा रही हैं?

श्री गोविन्द मेनन : समितियां नियुक्त करना राज्य सरकारों का कार्य है?

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने केन्द्र और राज्य दोनों के बारे में कहा।

श्री गोविन्द मेनन : केन्द्र में कृषि-मूल्य आयोग है और सरकार समझती है कि वह पर्याप्त है।

श्री स० मो० बनर्जी : मूल्य स्थिरीकरण से मेरा तात्पर्य केवल कृषि जन्य पदार्थों से नहीं अपितु सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों से है। थोक मूल्य और फुटकर मूल्यों में बहुत अन्तर है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सर्वदलीय समिति नियुक्त की जायेगी। क्या केन्द्र और राज्यों में इस प्रकार की समितियां नियुक्त की गई हैं अथवा की जायेंगी?

श्री गोविन्द मेनन : इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों में बहुत अन्तर है और फुटकर मूल्य पर खरीदने वाले लोगों को बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है। सरकार ने इस अन्तर को यथासंभव कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

श्री गोविन्द मेनन : एक उपाय यह कर रहे हैं कि सरकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं। दूसरी बात हम यह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक स्थानों में सरकारी वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है। जहां वितरण व्यवस्था लागू हैं वहां थोक मूल्य और फुटकर मूल्य में अन्तर नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra: Members representing only consumers views have been taken in the Agriculture Price Commission and Foodgrains Policy Committee appointed by the Government. There is no representation of producers who may represent their views. Do the Government propose to take producers, farmers or their representatives in this Committee who may help in fixing the prices of agricultural produce.

श्री गोविन्द मेनन : कृषि मूल्य आयोग में अर्थशास्त्री लिये गये हैं और वे उपभोक्ता की आवश्यकताओं और उत्पादक को उचित मूल्य मिलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं।

श्री रंगा : प्रश्न।

Shri Bibhuti Mishra: May I know the number of economists, farmers and the agricultural producers in the Commission respectively?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसे मामले को, जिसमें सम्पूर्ण देश के लिये तथा देश के सभी राज्यों के लिए न्यूनतम मूल्यों तथा अन्य मूल्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है, विशेषज्ञों का कार्य समझती है।

श्री भागवत झा आजाद : विशेषज्ञों से आपका तात्पर्य क्या है? क्या किसान विशेषज्ञ नहीं है? आप देश के समस्त किसानों और उत्पादकों की निन्दा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये अधिक स्थानों में सरकारी वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने अब निर्णय किया है कि 2 लाख से अधिक जन संख्या वाले और बाद में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों और कस्बों में राशन व्यवस्था लागू करने के पहले निर्णय के अनुसार राशन व्यवस्था लागू नहीं की जायेगी और उन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू नहीं की जायेगी जिनमें इस समय हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : यह निर्णय रद्द नहीं किया गया है। संकटकालीन स्थिति के कारण अनाज कम उपलब्ध होने पर इस समय इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाने पर राशन व्यवस्था लागू की जायेगी।

Shri Achal Singh: Since the prices of foodgrains are very high in the market will it not be proper to set committees consisting of representatives, farmers, public and the State Government at the State level to fix the prices.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान देश के व्यापार तथा वाणिज्यिक में लगे लोगों की एक बहुत उत्तरदायी संस्था द्वारा लगाये गये इस अनुमान की ओर दिलाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीती की प्रवृत्ति रहेगी तथा मूल्य और बढ़ेंगे और यदि हां, तो क्या सरकार को आनेवाली स्थिति का ज्ञान है और क्या वह इस बात के लिए कुछ कर रही है कि यदि मूल्य कम न भी किये जा सके तो भी कम से कम वर्तमान स्तर पर स्थिर रहें और आगे न बढ़ने पायें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह प्रश्न मूल प्रश्न से बहुत बड़ा है। यह योजना के प्रभाव से सम्बन्धित है।

श्री रंगा : क्या सरकार तथा कृषि मूल्य आयोग की यह नीति है कि कृषि मूल्य आयोग की सलाह से सरकार देश में प्रचलित मूल्यों की वृद्धि के, विशेष रूप से उन वस्तुओं तथा उत्पादों के जिन्हें किसान उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में खरीदते हैं, अनुसार समाहार मूल्य निर्धारित करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : इस वर्ष सभी राज्यों में समाहार मूल्य बढ़ाये गये हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्ष यह मूल्य 38 रुपये था और इस वर्ष 42 रुपये अथवा 41·5 रुपये है।

श्री जसवन्त मेहता : देश में दो प्रकार के राज्य—कमी वाले राज्य तथा बाहुल्य वाले राज्य — हैं। हाल में कृषि मंत्रालय के साथ हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एकल राज्य जोन बनाने का निर्णय किया गया था। किन्तु कमी वाले तथा बाहुल्य वाले राज्यों में थोक व्यापार गैर-सरकारी लोगों के हाथों में है। पंजाब और गुजरात में चने के मूल्यों में बहुत अन्तर है। सरकार देश भर में एक समान मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी छिपे अनाज न लाया-लेजाया जाये और पंजाब और गुजरात में चने के मूल्य में इतना अन्तर न रहे? सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस सम्बन्ध में खाद्य निगम के साथ व्यवस्था कर रहे हैं। यह निगम यथासंभव इन वस्तुओं को खरीद सकेगा जिससे इस व्यापार में मुनाफाखोरी न हो।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : 1954 की खाद्यान्न-जांच समिति ने मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बनाये जाने की सिफारिश की थी जो देश में मूल्यों में आम वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार को सलाह दे किन्तु मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने केवल कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया है। इस सिफारिश विशेष के स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा लगता है कि इस सिफारिश पर 1954, 1956, 1957 आदि में विचार किया गया है और सरकार तब इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद हमने इस पर विचार किया और हमने इसी उद्देश्य से कृषि-मूल्य आयोग नियुक्त किया है।

श्री कृ० चं० शर्मा : क्या उच्च स्तर पर कोई निर्णय किया गया कि कृषि-मूल्य आयोग किस आधार पर मूल्य सिद्धान्त बनाये। मूल्य कोई अस्पष्ट वस्तु नहीं है। इस प्रश्न पर 1901 से अब तक सारे विश्व के विभिन्न देशों में विचार किया जाता रहा है। आपका क्या सिद्धान्त है? यह साम्य मूल्य है अथवा उचित मूल्य है अथवा आर्थिक मूल्य है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने बताया है कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिये जाते हैं। इसी के आधार पर मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether one of the big factors responsible for heavy fluctuation in these prices is that after creation of zones some States have got surplus foodgrains whereas other States have suffered a great scarcity and in view of the infeasible decision given by the Committee which was appointed to abolish the zonal system, whether Government propose to reconsider it and abolish zonal system?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि इस समिति ने जोन बनाये रखने की सिफारिश की है। मैं मानता हूं कि इस मामले में विभिन्न विचार हो सकते हैं। हमें किसी आधार पर निर्णय करके आगे कार्य करना पड़ता है। हमने यह समिति नियुक्त की थी और उसने अपनी सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये विचार विमर्श से सम्बन्धित कागज आपके सामने रख रहा हूं।

Shri Onkar Lal Berwa: Is it a fact that a commission has recently recommended to abolish zonal system and if so, what steps have Government taken in this regard?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य किस आयोग की बात कर रहे हैं ? यदि यह खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति है तो उसने जोनों को बनाये रखने की सिफारिश की है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य योजना आयोग की बात कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: Agricultural price has recommended to abolish zonal system.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं देखी है।

Shri Madhu Limaye: What are the prices of rice, maize, millet and non-American wheat respectively at present in Bihar and Eastern Uttar Pradesh which are worst famine affected areas and has any study been conducted regarding the areas where the prices are highest at present and is the hon. Minister prepared to place the comparative figures of it before the House?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस प्रश्न के अन्तर्गत सभी आंकड़े नहीं दे सकता हूं। यदि पृथक से प्रश्न पूछा जाये तो निस्संदेह मैं जानकारी दे सकता हूं।

खाद्य स्थिति का अनुमान

*426 **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह बता लगाने के लिये, कि किसी राज्य में खाद्यान्न खपत से अधिक होता है अथवा कम, सरकार की अपनी कोई संस्था नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाने के लिये ऐसी व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारत सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा दिये जाने वाले उत्पादन तथा वितरण आवश्यकता के प्राक्कलनों के आंकड़ों की जांच कर के यह निश्चय करती है कि कोई राज्य बाहुल्य वाला है अथवा कमी वाला ।

(ख) जी, हां ।

डा० पू० ना० खां : क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि पिछले अनुमान कभी सही नहीं थे और उनके अनुसार सदा कुल कमी 1 करोड़ टन से 1 करोड़ 20 लाख टन की थी ?

श्री गोविन्द मेनन : अनुमान सही है अथवा नहीं, यह अपने अपने सोचने की बात है। इस प्रकार के मामलों में अनुमान लगभग ही हो सकता है।

डा० पू० ना० खां : खाद्य स्थिति का अनुमान लगाने के लिए निम्नतम स्तर पर क्या व्यवस्था है ? क्या इसके लिए केवल एक यवस्था है अथवा अनेक ?

श्री गोविन्द मेनन : यदि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यवस्था के बारे में पूछा गया है तो मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमने इसके लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है.....

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): किसी विशेष फसल वाले क्षेत्र का अनुमान राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गांव के आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है और वास्तविक उत्पादन का अनुमान कहीं-कहीं से नमूना फसल कटाई परीक्षण के आधार पर लगाया जाता है। इसी के आधार पर प्रति एकड़ उत्पादन निर्धारित किया जाता है और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुल उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।

डा० म० मो० दास : स्वयं प्रधान मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि देश के बाहुल्य वाले राज्य कमी वाले राज्यों की उचित सहायता नहीं करते हैं। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था और क्या स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विशेष रूप से विचार किया गया था और मैं एक पत्र सभा पटल पर रख रहा हूं जिसमें उस सम्मेलन में किये गये निर्णयों का विवरण है। इसमें इस बात का संकेत है कि अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा असफलता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : कमी वाले जिन राज्यों में प्रशासन नहीं है और जिन कमी वाले राज्यों में बड़े पैमाने पर भुखमरी है, सरकार का विचार उन राज्यों को किस प्रकार सहायता देने का है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं अनाज भेज सकता हूं किन्तु प्रशासन नहीं ।

Shri M. L. Dwivedi: It appears from the reply to part (b) above of the main question that the Government propose to set up a machinery with a view to make independent assessment of the food situation and the Minister of Food and Agriculture has stated that the assessment of the area under any particular crop is done on the basis of the village accounts which are submitted to the State Government but he has not stated about the Central machinery which would examine the work done by the officers of the State Government. In this context may I know what will be this machinery of the Central Government?

श्री सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि हम इस कार्य के लिये कोई समानान्तर संगठन स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं है। यह फसल कटाई परीक्षण का विस्तार करने से सम्बन्धित है ताकि औसत लगभग सही निकले। वास्तव में स्थिति यह है कि दो कार्यों के बीच में यह कठिन हो जाता है। फसल कटाई परीक्षण आंकड़े प्राप्त होने से पहले किसी राज्य में स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अनुमान लगाना पड़ता है। कुछ विशेष अनुमानों के आधार पर ही हम इस कार्य के लिए दल भेजेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अधिक उपज वाली गेहूं की किस्म

*427. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामसेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में कितने एकड़ भूमि में अधिक उपज वाली किस्म के गेहूं तथा मैक्सिको के गेहूं को उगाने का विचार है; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966-67 के रबी के मौसम में लगभग 12,24,800 एकड़ भूमि में गेहूं कि मैक्सिकन तथा अन्य स्थानीय अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई की जायेगी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	एकड़
(1) मैक्सिकन किस्में . .	8,76,800
(2) स्थानीय किस्में .	3,48,000
कुल . . .	12,24,800

(ख) इस बुवाई से गेहूं का 12,34,800 मीटरी टन अधिक उत्पादन होने की आशा है।

असैनिक विमान-चालकों की कमी

*428. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक विमान चालकों की बहुत कमी है जिस के परिणामस्वरूप देश में विमान परिवहन का विस्तार बहुत हद तक रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) हमारे विमान परिवहन के विस्तार में बाधा डालने वाली इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) इस समय सिविल विमान चालकों की कमी नहीं है। खुले तौर पर उपलब्ध वाणिज्यिक विमान-चालक और

वायुसेना द्वारा समय समय पर मुक्त किये गये योग्यता प्राप्त विमान चालक, अनुसूचित तथा अनुसूचित परिचालनकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तथापि अपने बढ़ाये गये परिचालनों तथा कुछ उड़ान और ड्यूटी के समय सम्बन्धी परिसीमाओं का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के कारण दोनों एयर कारपोरेशनों द्वारा हाल ही में विमान चालकों की कमी महसूस की गयी थी।

(ग) विमान चालकों की भरती के लिए कदम उठाये गये और वाणिज्यिक विमान चालक का लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को चुने हुए फ्लाइंग क्लबों द्वारा प्रशिक्षण देने के प्रबंध भी किये गये।

कलकत्ता पत्तन न्यास के लिए ऋण

*429. **श्री ब० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 के बजट प्राक्कलनों में कलकत्ता पत्तन न्यास के लिये नियत 2 करोड़ रुपये का ऋण न्यास को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से क्या विकास कार्य किया जायेगा ; और

(ग) न्यास को ऋण यदि किन्हीं शर्तों पर दिया गया है तो वे शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) वित्तीय वर्ष 1966-67 में अब तक कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को 2 करोड़ 25 लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

(ख) इस ऋण से जो विकास कार्य किये जायेंगे उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) मार्शलिंग यार्ड का सुधार तथा विस्तार।
(2) गोदी क्षेत्र में यातायात विभाग के लिये कार्यालय की इमारत का निर्माण।
(3) तीन निकर्षण पोतों (ड्रेजर) के लिये तीन लांच का निर्माण।
(4) लिबियान डिपो में एक चाय भंडागार का निर्याण।
(5) रहट निकर्षण पोत (बुके ड्रेजर) 'अजय' और दो चिखल बजरों (हॉपर बार्जेज) का निर्माण।
(6) झूलन पुल संख्या 2 के स्थान पर नया पुल बनाना।
(7) किद्दरपुर गोदियों में फिर गोदी जल चलाना।
(8) किंग जॉर्ज गोदी के एक ओर के भाग का विस्तार।
(9) आयुक्तों की वर्कशापों के लिए संयंत्र और मशीनों की खरीद।
(10) आयुक्तों के कर्मचारियों के लिए एक नये अस्पताल का निर्माण।

(11) हल्दिया गोदी परियोजना निर्माण कार्य, जिसमें इस कार्य के लिए भूमि का अर्जन भी सम्मिलित है।

(ग) ऋण की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) ऋण मूलधन तथा ब्याज सहित 20 बराबर वार्षिक किस्तों में वापिस लिया जायेगा।

(2) ऋण की अदायगी ऋण दिये जाने की तारीख से छठे वर्ष से आरम्भ होगी।

(3) केवल ब्याज ऋण दिये जाने की तारीख से पांच पांच वर्ष की चार किश्तों में लिया जायेगा।

(4) ऋण पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा किन्तु यदि मूलधन और ब्याज की अदायगी यथा समय होती रहेगी तो ब्याज की दर घटा कर 5·7 प्रतिशत वार्षिक कर दी जायेगी।

अमरीकी गेहूं की लागत

*430. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका से 1963 से लेकर 1966 तक की तीन वर्ष की अवधि में पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये विभिन्न किस्मों के अमरीकी गेहूं की प्रति किलो औसत लागत के निश्चित आंकड़े, जिनमें सप्लाई करने वाले पत्तन से लाने का व्यय तथा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास आदि पत्तनों पर उतारने-रखने का व्यय भी शामिल हो, बता सकती है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में यह गेहूं उन नगरों में राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को किस दर पर बेची गई ; और

(ग) लागत तथा विक्रय-मूल्य में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वितरण तथा हिसाब रखने के मामले में अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले गेहूं की सभी किस्में एक श्रेणी की मानी जाती हैं। सभा पटल पर रखे गये विवरण में वर्ष 1963-64 से 1965-66 तक के तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में औसत मूल्य जहाज भाड़ा खरीदने के स्थान से लेकर भारत में पत्तनों पर (बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास सहित) प्राप्ति से केन्द्रीय भांडागारों में वितरण की अवस्था तक विभिन्न सेवाओं पर किया गया प्रासंगिक व्यय के आंकड़े दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7377/66]**

(ख) सभा पटल पर रखे गये दूसरे विवरण में वर्ष 1963 से 1966 तक की (प्रत्येक वर्ष का अन्तिम महीना) अवधि में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को बेचे गये गेहूं के मूल्य दिये गये हैं।

(ग) राज्य सहायता की राशि राज्य सरकारों के प्रासंगिक व्यय तथा खुदरा व्यापारियों के मुनाफे के कारण उचित लागत तथा वास्तविक विक्रय मूल्य में अन्तर रहता है।

तटीय नौवहन

*431. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क अधिक होने तथा अवमूल्यन के कारण तटीय नौवहन को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या भाड़े की दर को बढ़ाने तथा समुद्री भाड़ा आयोग जैसे एक स्थायी निकाय की स्थापना करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले है ।

(ग) 15 जनवरी, 1966 से भट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क 71.70 रुपये प्रति टन से घटा कर 40.11 प्रति टन और 26 अगस्त, 1966 से 5.23 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। अभ्यावेदनों में उल्लिखित बातों पर विचार किया जा रहा है ।

Uniform Legislation Co-operative Societies

*432. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to bring forward a uniform legislation throughout the country in regard to co-operative societies; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this connection and by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shayam Dhar Misra): (a) No, Sir.
(b) Does not arise.

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

*433. श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने जो ब्रह्मपुत्र नदी में अपनी नावें चलाती है अपनी नाव सेवा बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवरेड्डी) : (क) और (ख). रीवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की सेवाएं जो कलकत्ता और आसाम के बीच चलती थी पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सितम्बर, 1965 से बन्द कर दी गई है। जहां तक उसके अन्य कार्यों का सम्बन्ध है सरकार इस कम्पनी के भविष्य के बारे में विचार कर रही है।

अमरीका से खाद्यान्नों का आयात

*434. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हेमराज :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से खाद्यान्नों के आयात के बारे में पी० एल० 480 समझौते के स्थान पर उस देश में बना एक नया विधान 'शान्ति के लिये खाद्यान्न' लागू किया जायेगा ;

(ख) क्या इस नये विधान में यह व्यवस्था है कि उन देशों को खाद्यान्न न भेजे जायें जो उत्तरी वियतनाम तथा क्यूबा से व्यापार करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के निर्बाध व्यापार अधिकारों पर इन अप्रत्यक्ष प्रतिबन्धों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस समय अमरीका का शान्ति के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम अमरीका के कृषि व्यापार विकास तथा सहायता अधिनियम, 1954 जिसे पी० एल० 480 भी कहते हैं, के अन्तर्गत किया जा रहा है। शान्ति के लिए खाद्यान्न अधिनियम, 1966 बना कर इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

(ख) जो देश उस अधिनियम के निम्न धाराओं के अन्तर्गत आते हैं उन देशों को पी० एल० 480 विक्रय करार के अन्तर्गत इस खंड के अनुसार अनाज नहीं दिया जायेगा :

"इस अधिनियम के शीर्ष के अन्तर्गत कृषि जन्य पदार्थों की बिक्री के लिए ही कोई राष्ट्र जो कि क्यूबा अथवा उत्तर वियतनाम (क्यूबा में अमरीकी संस्थानों को छोड़ कर) कोई साज सामान, पदार्थों या अत्यावश्यक वस्तुओं को इन देशों को जब तक इनमें कम्युनिस्ट सरकार का शासन हो; अपने यह रजिस्टर्ड जहाजों या विमानों द्वारा सामान ले जा कर इन देशों को बेचता है या सामान ले जाने की अनुमति देता है: परन्तु इसमें शर्त यह है कि क्यूबा को दवाएं इत्यादि देता है या बेचता है अथवा वहां भेजता है तथा युद्ध में काम न आने वाला कच्चा माल कृषि के लिए देता है तथा युद्ध में काम न आने वाले कृषि जन्य अथवा खाद्य पदार्थों को देता है, उस स्थिति में विक्रय करार किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि इनमें से प्रत्येक ऐसे देश के साथ ऐसा किया जा सकता है, तथा सीनेट और हाउस आंफ रिप्रेजेन्टेटिव्स इन कारणों की सूचना देता है कि इनमें से प्रत्येक करार का किया जाना अमरीका के राष्ट्र हित में होगा और इस सम्बन्ध की सभी उपपत्तियां तथा कारण फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किये जायेंगे।"

(ग) जब तक हमें अपने अधिकार के कम होने की आशंका न हो हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी राज्य के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार है।

मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर अंक

*435. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में कुछ भागों में मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर संविधान के अनुच्छेद 343 में परिभाषित भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे यातायात पुलिस के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). सामान्यत: मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर संविधान के अनुच्छेद 343 में परिभाषित भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है । तथापि कुछ मामलों में लोग अपनी मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर नम्बर देव नागरी रूप का प्रयोग करते हैं । यह प्रणाली व्यापक नहीं है और उन क्षेत्रों की यातायात पुलिस के लिये कठिनाई हो सकती है जहां यातायात पुलिस ने अभी तक पर्याप्त हिन्दी नहीं सीखी है । इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है ।

Super Bazars

*436. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state the monthly average number of consumers benefited by the Super Bazars so far opened in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): Department Stores (Super Bazars) following an active price policy have made an impact on the general price level. All consumers living in the towns in which department stores operate have thus been benefited. It is not possible to quote the exact number of consumers who have made purchases from the department stores, but the average number of daily cash memos issued might give an indication of the customers directly served. A list showing the average number of cash memos issued per day by 12 department stores is as under:—

	Name of the Department Store	Date of opening	Average No. of cash memo issued per day.
1.	Super Bazar, New Delhi	15-7-66	20,000
2.	Apna Bazar, New Delhi	29-9-66	10,000
3.	Coops. New Delhi	17-8-66	1,500
4.	Department Store, Ernaculam (Kerala)	23-8-66	2,500
5.	Department Store, Kottayam (Kerala)	26-9-66	559
6.	Sahakari Bazar, Bhopal (M.P.)	11-9-66	800

7.	Department Store, Tiruchirappalli (Madras)	27-10-66	4,200
8.	Department Store, Madurai (Madras)	5-11-66	4,800
9.	Super Market, Ludhiana (Punjab)	18-9-66	2,000
10.	Coop. Super Market, Jullundur (Punjab)	10-10-66	2,400
11.	Samavayika, Calcutta	30-9-66	2,300
12.	Janta Bazar, Bangalore (Mysore)	3-11-66	4,300

Information with regard to seven more department stores is not readily available.

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

*437. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के बारे में उनके मंत्रालय तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि छात्रों के बीच बात चीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई है ;

(ग) क्या विधि की उपाधि प्राप्त करने के लिये इसकी अध्ययन अवधि न बढ़ाने तथा वकालत करने की अनुमति दी जाने से पहले की प्रशिक्षण-अवधि को हटाने के लिये अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो ये संशोधन कब किये जायेंगे ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) जी हां । अगस्त मास में विधि स्नातक, नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण और परीक्षा से छूट के सम्ब ध में अपने मामले का व्यपदेशन करने के लिए विधि मंत्री से मिले थे । जैसा कि विधि मंत्री द्वारा सुझाव दिया गया था, विधि स्नातक एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि, जिन में से एक उस एसोसिएशन का अ यक्ष था, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए, अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विलोकन समिति के सम्मुख उपसंजात हुए । बाद में विधि स्नातक एसोसिएशन के प्रतिनिधि अपने मामले को आगे स्पष्ट करने के लिए, विधि मंत्रालय के सम्पृक्त सचिव से मिले और यह मामला फिर पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा गया ।

(ग) विधि के शिक्षण के पाठ्यक्रम की अवधि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 (ज) के साथ पठित धारा 49(घ) के अधीन, भारतीय बार काउंसिल द्वारा विरचित नियमों द्वारा विहित है । अत: उस प्रयोजन के लिए अधिनियम के किसी संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण और परीक्षा का सम्बन्ध है भारतीय बार काउंसिल उनसे किसी छूट के दिए जाने के या उनका उत्सादन किए जाने के पक्ष में नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात

*438. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने अपनी चालू फसल में से भारत को 60,000 टन चावल बेचने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) ऐसे संकेत मिले हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य नई फसल से हमें लगभग 60,000 मीट्रिक टन चावल देने का प्रस्ताव करेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनिवार्य राशन-व्यवस्था

*439. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में विभिन्न नगरों में अनिवार्य राशन-व्यवस्था के कार्य के बारे में उनके मंत्रालय ने क्या मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या राशन व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में कोई कठिनाई हुई है और उसे कैसे दूर किया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश लोग अनिवार्य राशनिंग को जारी रखे जाने के पक्ष में नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार राशन व्यवस्था में धीरे-धीरे ढील देकर उसको अन्ततः समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मेनन) (क) समूचे भारत के विभिन्न भागों में अनिवार्य राशन-व्यवस्था बहुत संतोषजनक कार्य कर रही है ।

(ख) राशन व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है ।

(ग) सरकार को पता है कि कुछ लोग राशन-व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 'ग्रेविंग डाक'

*440. **डा० पू० ना० खां :** **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० म० मो० दास : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन, उदुयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तन के साथ जुड़ी एक 'ग्रेविंग डाक'

के निर्माण के बारे में जापानी तकनीकी सलाहकारों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण 'ग्रेविंग डाक' का निर्माण कार्य स्थगित किये जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तन को 'ग्रेविंग डाक' परियोजना के बारे में जापानी सलाहकारों का प्रतिवेदन अब मिल गया है ।

(ख) और (ग). इस प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

सुपर बाजारों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

*441. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सुपर बाजारों के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं सीधे निर्माताओं से ले रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निर्माताओं से राजसहायता प्राप्त दरों पर ये वस्तुएं लेने के बारे मे कानून बनाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

निःशुल्क कानूनी सहायता

*442. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय साधनों के अपर्याप्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति न तो न्याय से वंचित रहे और न ही उसे न्याय पाने में विलम्ब हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करने अथवा वर्तमान कानूनी सहायता देने की योजनाओं का प्रसार करने के लिए अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): न्याय के प्रासन का विषय राज्य सूची में सम्मिलित है और इसीलिए निर्धनों को विधिक सहायता और मदद देना प्रथमतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । किन्तु भारत सरकार भी निर्धनों को विधिक सहायता के विषय पर 1945 से ही ध्यान देती रही है । निर्धनों के लिए पर्याप्त विधिक सहायता का उपबन्ध करने के लिए स्कीमें बनाने केहेतु राज्य सरकारों को राजी करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए उनमें अधिक सफलता मुख्यतः इस कारण नहीं मिली कि विधिक सहायता की किसी भी व्यापक स्कीम में अन्तर्वलित होने वाले बहुत अधिक वित्तीय भार को उठाने के लिए राज्य सरकारें उद्यत नहीं हैं ।

निर्धनों को विधिक सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें आन्ध्र प्रदेश, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के राज्यों तथा पाण्डिचेरी, गोवा, दमण और दीव, हिमाचल प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा भी बना ली गई हैं। इन स्कीमों में, साधारणतया, उन व्यक्तियों को सरकार के खर्च पर विधिक सहायता देने के लिए उपबन्ध है जिनकी ओर से कोई वकील नहीं है और जिनकी आय कतिपय नियत सीमाओं से अधिक नहीं है अथवा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य हैं और जिन्हें सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियां संस्थित करनी होती हैं या उनमें प्रतिरक्षा करनी होती है। सहायता में, साधारणतया, सरकार के व्यय पर वकील नियत करना और कुछ दशाओं में न्यायालय फीसों तथा अन्य विधि प्रभारों का परिहार भी समाविष्ट हैं।

कोचीन हवाई अड्डा

*443. **श्री मधु लिमये :**
श्री मणियंगाडन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन हावई अड्डे की भूमि की दशा खराब होने के कारण मद्रास और बम्बई से कोचीन को जाने वाले इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बोझ नहीं उठाते ;

(ख) यदि हां, तो कोचीन से बम्बई तक अथवा बम्बई से कोचीन तक उड़ाने करने वाले फाक्कर फ्रेंडशिप विमान को प्रति उड़ान लगभग कितनी हानि होती है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र के बढ़ते हुए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कोचीन के समीप एक वैकल्पिक असैनिक हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) यह हवाई अड्डा कब बनकर इस्तेमाल के योग्य हो जायगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोचीन से बाहर बम्बई तक चलने वाली एफ–27 उड़ानों पर लगभग 2,000 पौण्ड का आय-भार दण्ड (पे लोड पेनाल्टी) लगाया गया है। यदि यह दण्ड न लगाया जाता तो कारपोरेशन 100% भार-अनुपात (लौड फैक्टर) के आधार पर 2,210 रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था।

(ग) से (ङ) कोचीन के लिए एक अलग सिविल हवाई अड्डे के विकास के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सीमावर्ती सड़कें

*444. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 में हुए चीन के आक्रमण के समय से सीमावर्ती सड़कों का विकास करने

के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उन पर कितना खर्च हुआ है ;

(ख) इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई ; और

(ग) सीमावर्ती सड़कों का विकास करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). अनुमानतः उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के विकास के बारे में जानकारी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कि पहले से किया जा रहा कार्य का विस्तार कर दिया गया, 1962 में चीनी आक्रमण से अब तक इस बारे में किसी विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया गया है। किये गये कार्य के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती सड़कों के विकास सम्बन्धी योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नही किया गया है।

एशियाई राजपथ समन्वय समिति

*445. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 के अन्त में एशियाई राजपथ समन्वय समिति की बैंकाक में बैठक हुई थी जिसमें भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या मुख्य निर्णय किये गये तथा इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये भारत को क्या क्या नये उत्तर दायित्व सौपें गये।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7378/66]**

उर्वरकों का वितरण

*446. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय विभिन्न राज्यों को आयातित तथा देश में तैयार होने वाले उर्वरकों का वितरण तदर्थ आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उर्वरक का वितरण जनसंख्या के आधार पर करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7379/66**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में अनाज का उत्पादन

*447. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जं० ब० सिंह विष्ट :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री चांडक :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मध्य प्रदेश गुजरात तथा राजस्थान में अनाज का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक राज्य में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना उत्पादन कम होने का अनुमान है ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए यदि कोई विशेष उपाय किये गये हैं, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं और रबी खाद्यान्नों की बुवाई अभी चल रही है । अतः निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन में कमी आने के बारे में अभी कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती को और जहां सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं वहां मल्टीपल क्रोपिंग के लिए उपायों के तीव्रीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों के हेतु उर्वरक जैसी वस्तुओं की सप्लाई के लिए विशेष प्रबन्ध कर दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण उर्वरकों, खादों तथा उन्नत बीजों के अधिकाधिक प्रयोग, पौद रक्षा उपायों तथा उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सामान्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सुपर बाजार तथा स्टोर

*448. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण जनता के लिए सुपर बाजारों की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई राशि नियत की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है तथा क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) ऐसे सुपर बाजार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो केवल बड़े शहरों तथा नगरों के लिए ही हों ।

(ख) और (ग) विपणन समितियों तथा सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । इस योजना के विस्तार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

सड़क परिवहन कराधान जांच समिति

*449. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कलकत्ता पत्तन

*450. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन पर 500 फुट की लम्बाई से अधिक के अनाज लाने वाले जहाजों के न आ सकने के कारण प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है ; और

(ख) किंग जॉर्ज गोदी के विस्तार के बारे में जिससे उसमें बड़ी मात्रा में अनाज लाने वाले बड़े जहाज आ सकें ताकि भाड़े तथा अन्य व्यय में बचत हो, हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नदी में बांध और घुमाव, नदी में पानी की वास्तविक गहराई की उपलब्धता, ज्वार मिति आदि कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण 161.54 मीटर (530 फुट) की अधिक लम्बाई वाले जहाज कलकत्ता पत्तन तक नहीं आ सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आधार पर यह अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है कि प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

(ख) किंग जार्ज गोदी के उत्तरी भाग का विस्तार किया जा रहा है और आशा है यह कार्य 1967 के अंत तक अथवा 1968 के आरंभ तक पूरा हो जायेगा। इस विस्तार से ज्वार मित्ति के समय अइतल जल में जहाजों के ठहरने के स्थान की पार्श्व कार्य तथा जहाजों की मरम्मत के कार्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तथापि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वास्तविक कठिनाइयों के कारण 161.54 मीटर (530) की लम्बाई से बड़े जहाज पत्तन पर नहीं आ सकेंगे।

सुपर बाजार, दिल्ली

2011. **श्री लाखन दास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, दिल्ली ने धारीवाल और लाल इमली मिल्स से तथा राय साहिब माधोराम एण्ड सन्स, दिल्ली से भी, लाखों रुपये का माल खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मिल से आज तक लगभग कितने-कितने मूल्य का माल खरीदा गया है ; और

(ग) इस माल के क्रय तथा विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 31-10-1966 तक की गई खरीद इस प्रकार है :—

(1)	धारीवाल .	रु० 4.09 लाख
(2)	लाल इमली . .	रु० 1.99 लाख
(3)	माधोराम एण्ड सन्स . .	रु० 3.23 लाख

(ग) विनिर्माताओं द्वारा निश्चित किए गए मिल-मूल्य तथा खुदरा मूल्य में सामान्यतः 20 प्रतिशत का अन्तर होता है। यह खुदरा व्यापारियों को लाभ की गुंजाइश रखने के अतिरिक्त लाने ले जाने तथा साज सम्हाल का खर्च, बीमा, ब्याज तथा बैंक प्रभार पूरा करने के लिए होता है। सुपर बाजार अपने लाभ का कुछ भाग अपने उपभोक्ताओं को छोड़ता है।

शांति के लिए खाद्यान्न सम्बन्धी करार के अन्तर्गत गेहूं की खरीद

2012. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी खाद्य विभाग ने भारत को शान्ति के लिए खाद्यान्न सम्बन्धी करार योजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने का अधिकार दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और ऐसा करने की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) गेहूं का अनुमानित मूल्य कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अमरीका से इस समय सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत, जिसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं, गेहूं आ रहा है। अमरीका द्वारा शान्ति के लिये खाद्यान्न कार्यक्रम पी० एल० 480 के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सितम्बर, 1964 के अमरीका में संशोधन 10 अक्तूबर, 1966 को पत्रों के आदान प्रदान से किया गया था, जिसके अनुसार 1 करोड़ 30 लाख डालर दिये गये हैं जिससे लगभग दो लाख टन गेहूं मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस करार के अन्तर्गत अमरीकी खाद्य विभाग समय समय पर क्रय प्राधिकार देता है। 14 अक्तूबर, 1966 के संशोधन के अन्तर्गत इस दो लाख टन की पूरी मात्रा खरीदने के लिये तीन प्राधिकार दिये जा चुके हैं। इस गेहूं के नवम्बर/दिसम्बर, 1966 में जहाजों द्वारा भेजे जाने की आशा है।

खाद्य मिश्रण में राक फास्फेट को मिलाना

2013. **श्री वै० तेवर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किया है कि वे खाद मिश्रण में हड्डी का चूरा और खल मिलाने के स्थान पर राक फास्फेट मिलायें ;

(ख) चालू वर्ष में अब तक किन-किन राज्यों को डाई-एमोनिया फास्फेट तथा राक फास्फेट दिया गया है ;

(ग) क्या ये फास्फेट मद्रास राज्य को दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सुपर फास्फेट की कमी के कारण राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि खाद का मिश्रण करने वाली फर्मों को अपने खाद-मिश्रणों में राक फास्फेट के चूर्ण के प्रयोग की अनुमति दे दी जाए परन्तु ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है जिसके अनुसार अस्थिचूर्ण तथा खली के स्थान पर राक फास्फेट के चूर्ण को प्रयोग में लाया जा सके ।

(ख) चालू वर्ष की अवधि में विभिन्न राज्यों को डाई-एमोनियम फास्फेट तथा राक फास्फेट की निम्न मात्रायें दी गई :—

राज्य का नाम	1966–67 में अब तक बंटित मात्रायें	
	डाई-एमोनियम	राक फास्फेट
	मीटरी टनों में	
बिहार	6,740	21,000
दिल्ली	250	
गुजरात	19,870	..
महाराष्ट्र	27,087	37,000

उड़ीसा	7,611	16,000
समन्वित पंजाब . . .	12,606	..
राजस्थान	6,521	5
उत्तर प्रदेश	20,300	13,000
पश्चिम बंगल . .	1,000	10,000
मैसूर .	..	12,000
केरल . .		20,000
आसाम . .		5,000
आन्ध्र प्रदेश	...	25,000
कुल . .	101,985	159,005

(ग) और (घ) मद्रास सरकार को राक फास्फेट नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने इसकी मांग ही न की थी ।

मद्रास सरकार को डाई एमोनियम फास्फेट नहीं दिया गया क्योंकि मद्रास सरकार में सुपर फास्फेट के 5 कारखाने हैं जो 2,53,000 मीटरी टन सुपर फास्फेट तैयार करते हैं। मद्रास में एक अन्य कारखाना 53,000 मीटरी टन एमोनियम फास्फेट तैयार करता है । इन कारखानों से राज्य की फास्फोरसपूरक उर्वरकों की मांग पूरी हो जाती है। हां अभी हाल ही में 5000 मीटरी टन आयातित एमोनियम फास्फेट (20:20) मद्रास को अलाट किया गया था क्योंकि वहां सल्फर की कमी के कारण सुपर फास्फेट का उत्पादन गिर गया तथा एमोनियम फास्फेट फैक्टरी के संयंत्र की खराबी के कारण भी उत्पादन गिर गया था।

भारत के बड़े हवाई अड्डों को देखने आने वाले व्यक्तियों से शुल्क

2014. श्री निरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांताक्रुज (बम्बई), डमडम (कलकत्ता), पालम (दिल्ली) और मीनाम-बुक्कम (मद्रास) जैसे बड़े बड़े हवाई अड्डों को देखने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पचास पैसे शुल्क के रूप में लेने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). प्रयोग के तौर पर 0.50 पैसे प्रति व्यक्ति प्रवेश-शुल्क लगाकर पालम हवाई अड्डे में प्रवेश पर पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मद्रास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि

2015. श्री म० प० स्वामी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1966 को मद्रास राज्य ने केन्द्रीय सड़क निधि से कितना धन लेना था; और

(ख) इस निधि में से अब तक मद्रास को कितना धन दिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री श्री (संजीव रेड्डी) : (क) मद्रास राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि से इस निधिक स्थापित किये जाने के समय (1929) से मार्च, 1966 तक 730.78 लाख रुपये मिलने का अनुमान है ।

(ख) मार्च, 1966 तक 712.34 लाख रुपये ।

आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में कम्पनियां

2016. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें कुल कितनी राशि लगाई गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन): भारतीय संविधान की छटी अनुसूची की परिभाषा के अनुसार 31-3-1966 तक आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में कुल 48 कम्पनियां कार्य कर रही थीं । इनमें से, 40 असार्वजनिक कम्पनियां थीं जिनकी प्रदत्त पूंजी 2·17 करोड़ से थोड़ी अधिक थी और शेष 8 सार्वजनिक कम्पनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी लगभग 1·55 करोड़ थी ।

Super Bazar, Delhi

2017. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an import licence has been issued to the Super Bazar, Delhi;

(b) if so, the value thereof; and

(c) the number of such stores in the country which have been granted such licences?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes. Sir.

(b) Rs. 3 lakhs.

(c) No other store has been granted any licence. Licences on behalf of all stores are being granted to the National Federation of Consumer Co-operatives.

शराब के मूल्य

2018. श्री महेश्वर नायक : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पड़ौसी राज्यों जैसे पंजाब में, बीयर के मूल्यों को एक जैसा करने के लिये तथा तस्करी रोकने के लिये सरकार ने शराब के मूल्य बढ़ा दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का क्या औचित्य है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि ऋण निगम

2019. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने की योजना के बारे में अनौपचारिक दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) यह मामला अभी तक भी विचाराधीन है।

अंगूर और नारंगी आदि की खेती

2020. श्री यशपाल सिंह : श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री अंगुर और नारंगी आदि की खेती को बढ़ाने के बारे में 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों ने इस बीच अंगूरों और नारंगी आदि की खेती को बढ़ाने के बारे में अपनी सलाह दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) विदेशी विशेषज्ञ ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विचार कर रही है। अभी तक अंगूर विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध नहीं हुई हैं।

अधिक उपज देने वाले बीज के गेहूं और जौ

2021. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार केलोंग में स्थित प्रादेशिक कृषि अनुसंधान केन्द्र ने अधिक उपज देने वाले नई किस्म के बीज वाले गेहूं तथा जौ का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन नये बीजों से प्रति एकड़ कितनी उपज होने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार द्वारा पंजाब से बाहर के स्थानों में इन नये बीजों का वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा परायोजित अखिल भारतीय समन्वित गेहूं विकास परियोजना में भाग ले रहा है, ने गेहूं की कुछ अधिक उत्पादनशील बौनी किस्मों का चुनाव किया है। इन किस्मों का नाम पी० बी० 18 तथा कल्याण 227 रखा गया था और यह किस्म उस प्रजन-सामग्री से प्राप्त की गई थी जो कि राक-फेलर संस्थान मैक्सिको से भारतीय गेहूं विकास परियोजना को संभरण की थी। भारत सरकार को हाल ही में पंजाब में विकसित हुई जौ की नई किस्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) गेहूं की किस्में अधिक उत्पादनशील हैं प्रयोगात्मक प्लाटों में उनसे 70 से 80 मन प्रति एकड़ के हिसाब से उपज प्राप्त हुई है।

(ग) गेहूं की इन चुनी हुई किस्मों को देश भर में हो रहे समन्वित प्रयोगों में शामिल कर लिया गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य

2022. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने भैंस के दूध का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) दिल्ली दुग्ध योजना भैंस का दूध सप्लाई नहीं करती। कार्ड होल्डर्स को भैंस के दूध की सप्लाई 5-5-65 से बन्द कर दी गई थी और उसके स्थान पर 10-6-1965 से मानकित दूध जिसमें 5 प्रतिशत चर्बी होती है सप्लाई करना शुरू कर दिया गया था। अभी किसी किस्म के दूध का मूल्य बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नाशक कीड़ों द्वारा खरीफ की फसल को पहुंचाई गई क्षति

2023. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मैसूर, उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यों में नाशक कीड़ों द्वारा इस वर्ष बड़े पैमाने पर खरीफ की फसल नष्ट कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उत्पात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) फसलों की कितनी क्षति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा तथा अन्य कुछ राज्यों में खरीफ फसलों पर नाशक कीड़ों

कीड़ों का मामूली आक्रमण हुआ। उदाहरणार्थ मैसूर राज्य से सिंचित रागी सम्बन्धी रोग की खबर मिली और जैसिडस, फुलगोरिड तथा हिस्पा कीड़ों ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में धान पर आक्रमण किया।

(ख) राज्य/संघ क्षेत्र अधिकारी खरीफ फसलों सम्बन्धी नाशक कीड़ों/पौद रोगों के बारे में शीघ्र ही सावधान हो गए और बड़े क्षेत्रों में नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय कर लिए गए।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में कोई अधिक हानि नहीं होने दी। कीट नाशक औषधियों की पर्याप्त सप्लाई की गई और कुछ मामलों में हवाई छिड़काव भी किया गया।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु

2024. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में राज्यों के अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारे तथा पानी की कमी के कारण बहुत से पशु मर गये ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) सूखा की अवधि में लोगों के पशुओं को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी नत्थी किए गए विवरण में दी गई है।

विवरण

जानकारी सभी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से मंगवाई गई थी। आसाम, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पांडीचेरी, त्रिपुरा, मनीपुर, अंडमान एवं निकोबार तथा गोवा के संघ क्षेत्रों की सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर, नागालैंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू एवं काश्मीर की सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर जानकारी निम्नलिखित है :—

(क) तथा (ख). मालूम हुआ है कि चारा और पानी आदि की कमी के कारण 6,500 पशु महाराष्ट्र में और कुछ उड़ीसा में मर गए हैं।

(ग) पशुधन के बचाने के लिए राज्य सरकारों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) रिजर्व बन क्षेत्रों में मुफ्त चराई की सुविधायें दी गई।

(2) चारा खरीदने के लिए किसानों को तकावी ऋण दिए गए।

(3) महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों द्वारा राज्य से बाहर चारा भेजने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(4) पशुओं को चारा देने वाले केन्द्र खोले गए। वन विभाग द्वारा फौडर डिपो तथा ग्रेजिंग कैंप स्थापित किए गए।

(5) कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को वन क्षेत्रों से मुफ्त चारा सिर पर उठा ले जाने की अनुमति दी गई ।

(6) पशु चिकित्सा तथा पशु रोगों के इन्जैक्शन लगाने की सुविधा किसानों को दी गई।

(7) पानी का अभाव दूर करने के लिए मौजूदा कूओं, बान्धों तथा जिरीयाज़ को निर्मित/गहरा किया गया ।

ढोरों का बीमा

2025. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या ढोरों के बीमे के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) योजना के ब्यौरा को अन्तिम रूप न दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि पशुओं और भैंसों की मृत्यु गति सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन चुने हुए क्षेत्रों से आवश्यक आंकड़े इक्ट्ठे करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं जिनमें योजना पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की जानी है। आंकड़े प्राप्त होते ही योजना के ब्यौरा को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

दिल्ली में धान की दूकानों पर छापे

2026. श्रीमती सावित्री निगम : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सितम्बर, 1966 में धान की दुकानों पर छापे मारे गये थे;

(ख) कितने नमूने लिये गये थे; और

(ग) कितने मुकदमे चलाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

एयर इण्डिया विमान में बम रखे जाने का भय

2027. श्रीमती सावित्री निगम : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 सितम्बर, 1966 को बम के भय के कारण एयर इण्डिया को कलकत्ता जाने वाले एक विमान को सान्ताक्रुज भेजना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). 31 अगस्त 1966 को एक बेनाम चेतावनी प्राप्त हुई थी कि बम्बई से कलकत्ता जाने वाली सेवा (उड़ान संख्या 104) पर चलने वाले एयर इण्डिया के एक विमान में बम रखा गया है इसलिए अनुसूचित विमान जो 1 सितम्बर, 1966 को सेवा संख्या 104 पर न्यूयार्क से पहुंचा था, बम्बई में रोक लिया गया और बम्बई/कलकत्ता मार्ग पर दूसरा विमान भेजा गया । बम्बई में रोके गये विमान की तलाशी से पता चला कि उक्त चेतावनी झूठी थी ।

कोचीन बन्दरगाह

2028. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन बन्दरगाह के तल से गाद-मिट्टी निकालने वाली मशीन "लेडी विलिंगडन" बन्दरगाह में काम पूरा नहीं कर पाती है;

(ख) क्या इसके कारण तटों की गहराई कम हो गई है और गहरे तट में आने वाले जहाज बन्दरगाह में प्रवेश नहीं पा सकते;

(ग) क्या वाणिज्य मंडल ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । 1937 में खरीदी गई तल से गाद-मिट्टी निकालने वाली मशीन "लेडी विलिंगडन" अभी तक कार्य कर रही है किन्तु हाल के वर्षों में इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो गई है । इस से मुख्यतः बन्दरगाह के भीतरी जलमार्ग के तल से गाद-मिट्टी निकालने का कार्य किया जाता है ।

(ख) तेल टैंकरों के ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करने के बाद जलमार्ग को अधिक गहरा बनाने तथा बेसिन को मोड़ने की आवश्यकता हो गई है जिससे पत्तन का तल से गाद-मिट्टी निकालने का काम बढ़ गया है इसलिए जहाजों के ठहरने के स्थानों को अपेक्षित गहरा रख सकना कठिन हो गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पत्तन न्यास तल से गाद-मिट्टी निकालने वाली दो मशीनें अर्थात् वर्तमान सेक्शन ड्रेजर "लार्ड विलिंगडन" के स्थान पर एक सेक्शन ड्रेजर तथा एक ग्रेब हॉपर ड्रेजर खरीदने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । न्यास पत्तन को ग्रेब हॉपर ड्रेजर के लिए टैन्डर मांगने का अधिकार दिया गया है । जहां तक दूसरे ड्रेजर का सम्बन्ध है तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति उसका विशिष्ट विवरण तैयार कर रही है और विशिष्ट विवरण तैयार होते ही उसे खरीदने के लिए कार्यवाही की जायेगी ।

पालम हवाई अड्डा क्षेत्र में स्थित मंगलपुरी गांव को अन्यत्र बसाना

2030. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० रामेन सेन :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के ठीक मध्य में स्थिति मंगलपुरी गांव को अन्यत्र बसाने का काम पिछले आठ वर्षों से लम्बित है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). यह गांव पालम हवाई अड्डे के दो मुख्य धावन-पथों के बीच में स्थिति है लेकिन नागर विमानन विभाग की भूमि पर नहीं है। इस गांव की जमीन का पहले ही अभिग्रहण किया जा चुका है तथा ग्रामनिवासी किरायेदारों के रूप में रह रहे हैं। चूंकि भविष्य में हवाई अड्डे के विकास के लिए गांव को अन्यत्र ले जाना आवश्यक होगा इसलिए ग्राम-निवासियों को स्थानांरित तथा पुनर्वासित करने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श करते हुए सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। इस प्रश्न के अन्तर्गत ग्राम निवासियों के पुनर्वास के लिए भूमि के अभिग्रहण की बात आ जाती है। इस सम्बन्ध में किसी भी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

समवाय अधिनियम

2032. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये अधिकतर समवाय ऐसे हैं, जो

(1) समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का पालन करने की परवाह नहीं करते ;

(2) उनकी लेखा-प्रणालियां दोष-पूर्ण हैं ;

(3) वे अपनी वार्षिक सामान्य बैठके समय पर नहीं करते ; और

(ख) 1965–66 में समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लघंन कितने समवायों ने किया ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) (i) थोड़ों को छोड़ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अधिकांश समवाय, समवाय अधिनियम के उपबधों का पालन करते हैं।

(ii) सरकार को यह बात दृष्टिगोचर नहीं हुई कि इन समवायों की लेखा प्रणालियां दोषपूर्ण हैं। विधि के उपबन्धों के अनुसार, इस के लेखों की लेखापरीक्षा नियन्त्रक और महा लेखा

परीक्षक की सिफारिशों पर नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित होती है और इन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां टिप्पणियों के लिए भारत के नियन्त्रक और महा-लेखा परीक्षक को भेजी जाती हैं ।

(iii) 218 सरकारी समवायों में से (जैसा कि 1 नवम्बर, 1966 को) केवल 49 समवायों ने अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर अपनी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं बुलाई ।

(ख) 1965-66 में, 38 समवायों द्वारा अधिकांश राज्य सरकार समवाय, अधिनियम के अन्य उपबन्धों के उल्लंघनों की सूचना मिली है ।

समवाय विधि न्यायाधिकरण

2033. डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों के प्रबन्ध में धोखा गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के लिये समवाय विधि न्यायाधिकरण की स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) न्यायाधिकरण की स्थापना के समय से लेकर अब तक न्यायाधिकरण को कुल कितने मामले भेज गये;

(ग) कितने मामलों में सज़ा दी गई; और

(घ) न्यायाधिकरण द्वारा अधिकाधिक कितना दण्ड दिया जा सकता है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 10ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 15 जून, 1964 को समवाय न्यायाधिकरण की स्थापना की ।

(ख) तथा (ग). 20 अक्तूबर, 1966 तक न्यायाधिकरण के समक्ष कुल 437 मामले संस्थित हुए, जिन में 370 मामलों का अन्तिम रूप से निपटान हो गया ।

(घ) समवाय अधिनियम की धाराएं जिन के बारे में समवाय न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, वे 111, 155, 203, 234 ए, 240ए, 388 बी से 388ई, 397 से 407 और 635 बी हैं । इन धाराओं के अधीन न्यायाधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिकार हैं कि वे असन्तुष्ट पार्टियों को राहत प्रदान करे और यह निर्णय भी करे कि कम्पनी के प्रबन्ध तथा संचालन से सम्बन्धित व्यक्ति उस कम्पनी के प्रबन्ध तथा संचालन के कार्य में निदेशक के पद के योग्य है या नहीं । धारा 397 या 398 के अधीन दिए गए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित किसी भी अपराध, जिस के लिए जुर्माना अथवा 1 से 7 वर्ष का कारावास, या दोनों, दण्ड दिए जाते हैं, की कार्यवाही न्यायालय के प्रथम श्रेणी के दण्डनायक या मामले के अनुसार, एसे अपराध पर कार्यवाही चलाने का क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रसिडन्सी दण्डनायक द्वारा की जाती है ।

गोआ के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवाय

2034. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन तथा दीव में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवायों (सरकारी तथा गैर-सरकारी समवायों) को समवाय विधि के उपबन्धों से छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त समवायों को आयकर अधिनियम से भी छूट मिली हुई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) कुछ परिवर्तनों के साथ, 26 जनवरी 1963 को समवाय अधिनियम, 1956 को गोवा, दमन तथा दीव के संघीय राज्य क्षेत्र में विस्तारित किए जाने पर, उस राज्य क्षेत्र में थोड़ा पहले जो संस्थाएं sociedades anonima के रूप में कार्य कर रही थीं, अधिनियम के अनुसार "वर्तमान कम्पनियां" बन गई । संस्थाएं जो पहले sociedade per cuotas responsibilidade limitada के रूप में कार्य कर रही थीं, को विकल्प दिया गया कि व अपने आप को अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट समय में पंजीयन करवा लें। पंजीयन होने पर, उनको अपने अस्तित्व सांतत्य बनाए रखने की अनुमति दी गयी । सारे sociedades anonima और ऐसे sociedades per cuotas responsibilidade limitada जिन्होंने अपने आप को कम्पनी के रूप में पंजीयन करवा लिया, 31-12-1965 तक समवाय अधिनियम के कुछ उपबन्धों से छूट दे दी गई ।

(ख) पुरतगज़ विधि-प्रणाली से भारतीय प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए पूर्वोक्त संस्थाओं को अनुचित कठिनाइयों से बचाने के लिए विचार से ये छूटें दी गई थीं ।

(ग) जी नहीं, महोदय । गोआ, दमन तथा दीव की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाएं (सार्वजनिक और असार्वजनिक) 1 अप्रैल, 1963 अर्थात 1963-64 के कर निर्धारण वर्ष से, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन इन राज्य क्षेत्रों में अन्य करदाताओं के समान कर देने की भागी हैं । फिर भी, इन कम्पनियों को तथा अन्य वर्गों के करदाताओं की धीरे धीरे भारतीय कराधान के नियमों को अपनाने के योग्य बनाने के लिए दादरा और नगर हवेली और गोआ, दमन और दीव (कराधान रियायतें) आदेश, 1964 के उपबन्धों के अधीन इनको सीमित अवधि के लिए कर सम्बन्धी कुछ रियायतें दी गई हैं ।

भूमि का अर्जन

2035. श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम राज :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में गठित किये गये भूमि अर्जन सम्बन्धी विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति

2036. श्री कोल्ला वैंकैया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्यमान सूखे और अकाल की स्थिति का पता है;

(ख) इस स्थिति से किन-किन जिलों तथा क्षेत्रों को नुकसान हुआ है;

(ग) कितने लोगों तथा पशुओं पर इसका कुप्रभाव पड़ा है; और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश में 1966 की वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा हुई थी । वर्षा ऋतु के बाद अब तक अर्थात् 1 अक्तूबर से 16 नवम्बर, 1966 तक भी रायल सीमा क्षेत्र में सामान्य वर्षा होने के समाचार मिले हैं किन्तु तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगना क्षेत्रों में कुछ कम वर्षा हुई बताई गई है । केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस बात की कोई शिकायत नहीं मिली है कि इस समय उस राज्य में सूखे की स्थिति है ।

तथा 1965-66 में बुरी तरह सूखेग्रस्त राज्यों में से आन्ध्र प्रदेश की एक राज्य था । 9 अगस्त, 1966 को सभापटल पर रखे गये "रिव्यू आफ दि स्केअरसिटी सिचुएशन एण्ड मेजर्स टेकन टू मीट इट —जुलाई, 1966" में 1965-66 में सूखे ग्रस्त क्षेत्र, जन संख्या आदि तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये सहायता कार्यों का विवरण दिया गया है ।

राहत कार्य राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 45 राहत कार्य अभी चल रहे हैं । इनमें प्रतिदिन 54,073 व्यक्ति कार्य करते हैं । 14 नवम्बर 1966 तक 2,11,111 व्यक्तियों को मुफ्त राहत मिल रही थी ।

आन्ध्र प्रदेश से 1965-66 में सूखे से किसी पशु की मृत्यु होने का समाचार नहीं मिला है ।

परिवर्तनशील रूसी कृषि विमान

2037. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसे परिवर्तनशील रूसी कृषि विमान का, जिसे 12 व्यक्तियों को बिठाने वाले परिवहन विमान के रूप में बदला जा सके, हाल ही में इस दृष्टि से परीक्षण किया गया है, कि क्या वह भारतीय स्थिति के लिये अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ ऐसे विमान प्राप्त करने का है और यदि हां, तो कितने; और

(ग) क्या देश में ही ऐसे विमानों का निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) ए एन-2एम रूसी कृषि विमान का 24 सितम्बर, 1966 को सफदरजंग हवाई अड्डे पर प्रदर्शन किया गया । मूलतः यह एक कृषि विमान है जिसे 12 यात्रियों को ले जाने वाले विमान के रूप में बदला जा सकता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर देश की कृषि विमान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट कृषि विमान की प्ररचना कर रहे हैं।

एशियाई राजपथ

2038. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा तर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई राजपथ कितने मील तक भारत में से होकर गुजरते हैं और ये किन-किन अन्य देशों में से होकर गुजरते हैं:

(ख) भारत के ऐसे अन्य कौन से राजपथ हैं जिन्हें एशियाई राजपथों की श्रेणी में रखा गया है; और

(ग) इस श्रेणी में आने के लिये उन्हें कौनसी विशेष बातें पूरी करनी होती हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत में से हो कर गुजरने वाले एशियाई राजपथों की कुल लम्बाई 15065 किलोमीटर है जिसमें से 78 00 किलोमीटर के प्राथमिकता प्राप्त मार्ग हैं और 7265 किलो मीटर के अन्य मार्ग हैं। ये सड़कें भारत को पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और नेपाल से मिलाती हैं ।

(ख) प्राथमिकता प्राप्त मार्ग

(1) पाकिस्तान सीमा (बेनापोल)—कलकत्ता, बाढ़ी-बनारस-इलाहाबाद-कानपुर-आगरा-दिल्ली, अम्बाला-जालंधर-अमृतसर-पाकिस्तान सीमा ।

(2) बाढ़ी-मोकामेह मुजफ्फर-पुर-रक्सौल नेपाल की सीमा ।

(3) आगरा-ग्वालियर-झांसी-सागर-लखनादोन-नागपुर-हैदराबाद-बंगलौर-मदुराय-धनुषकोटि ।

(4) मोकामेह–पुरनया–किशनगंज–सिवोक–कूच बिहार– उत्तर सलामारा–रंगिया-गोहाटी–जोरहट–गोलाघाट–इम्फल–बर्मा की सीमा ।

(5) जोरहट–शिलांग–तमानील (पाकिस्तान सीमा) ।

(6) इम्फल–सिलचर–करीमगंज (पाकिस्तान सीमा)

अन्य मार्ग

(7) ग्वालियर–शिवपुरी–इन्दौर–धुलिया–बम्बई ।

(8) धुलिया (बम्बई-ग्वालियर मार्ग पर)–नागपुर–रायपुर–सम्बलपुर–नाराकोट–बांगरीपोसी ।

(9) कलकत्ता–खड़गपुर–बांगरीपोसी–कटक–विशाखापटनम–विजयवाड़ा–मद्रास–डिंडीगुल ।

(10) बम्बई–पूना–बेलगांम–चित्रदुर्गा–बंगलौर–मद्रास ।

(11) कानपुर–लखनऊ–फैजाबाद–गोरखपुर–कसिया–पिपरा (मुजफ्फरपुर–रिक्सौल सड़क पर)।

(ग) प्रस्तावित एशियाई राजपथ व्यवस्था में शामिल की गई सड़कों का किसी निम्नतम स्तर तक (सीधी सड़क, सभी आवश्यक स्थानों पर उसपर पुल, उसके ऊपर तरकोल की काली सतह और उसकी चौड़ाई 38 फुट होनी चाहिये) अग्रेतर विकास और सुधार सड़कों पर यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे होगा ।

दिल्ली के चिड़िया घर में जानवरों की मृत्यु

2039. श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में हाल में काफी जानवर मरने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत 6 महीनों में कितने जानवर मरे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) पशु 37 पक्षी 67 ।

Hindi Correspondence in Law Ministry

2040. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of letters received in Hindi in his Ministry during 1965; and

(b) the number of letters replied to in Hindi and in English respectively during the above period?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) 660.

(b) Out of these, 87 letters were replied in Hindi and 50 letters were replied in English. No reply was necessary in respect of the remaining letters.

Hindi-knowing Employees in Law Ministry

2041. Shri Vishram Prasad: Will the Ministry of **Law** be pleased to state:

(a) the number of class I, II, III and IV officers in his Ministry;

(b) the number of Hindi-knowing employees in each class amongst them; and

(c) the number of employees at present learning Hindi under the scheme for teaching of Hindi?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman):

(a)	Class—I	118
	Class—II	254

	Class—III	306	
	Class—IV	235	
(b)	Class—I	37	
	Class—II	145	
	Class—III	239	
	Class—IV	166	(The class IV employees are **not** included in the Hindi Teaching Scheme. However, there are 28 persons among them who are qualified in Hindi upto the Matric Standard. The remaining 138 can read and write Hindi).

(c) 49.

Compost Manure

2042. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred over manufacturing compost manure during the last five years; and

(b) the amount proposed to be allotted for this type of manure in the Fourth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). Compost manure is prepared manually. In urban areas it is prepared by Municipalities and town Panchayats. In rural areas composting is done by formers in their fields for their own use. Schemes to provide financial assistance to Municipalities and Panchayats for preparing compost are included in the State Plans by the State Governments and Central assistance is paid as a lump sum for all the Plan schemes and not separately for each scheme. Hence separate figures of central assistance for compost development schemes are not available. A few schemes in this group were, however, treated as centrally sponsored schemes under the Special Development programme for Agriculture launched in the last two years of the Third Plan. The total expenditure incurred under these schemes by the end of 1965-66 was of the order of Rs. 45.051 lakhs. The Fourth Plan outlays are still being discussed with the States and the likely expenditure on these schemes will be known only after all the State Plans are finalised.

Damage to Imported Wheat

2043. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that unloaded imported wheat is being loaded in empty open wagons at the Bombay Port and thereby a large quantity of the wheat is damaged and the people who consume the atta of this wheat fall ill;

(b) if so, the number of bags so loaded during the last six months; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) to (c). It is a fact that, owing to heavy imports of foodgrains and urgent necessity for their movement from the ports to different States, even open wagons have had to be utilised to some extent for such movement not only from Bombay port but from other ports also. In spite of all precautions, some bags of food-

grains did get affected by rain during the course of such movement. Since, however, in all such cases the affected bags of foodgrains were subjected to salvaging and only the foodgrains found fit for human consumption issued for distribution, the question of people consuming any atta from damaged wheat does not arise. During the period May to October 1966, out of about 157 lakh bags of foodgrains loaded into railway wagons from Bombay about 40 lakh bags were loaded into box/open wagons.

Super Bazar, New Delhi

2044. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had announced to sell cheap transistor sets in the Super Bazar, New Delhi;

(b) if so, the reasons for not implementing the decision; and

(c) in case these sets are to be sold there, the time by which it will be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Super Bazar has been negotiating with some manufacturers for the supply of low priced transistor sets. As negotiations have not yet concluded, it is not possible to indicate when the Super Bazar would be able to put such transistor sets for sale.

उड़ीसा में अशोक शूगर फैक्टरी

2045, श्री मोहन नायक : क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा राज्य में अशोक शुगर फैक्टरी में चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले वर्ष कितनी प्रगति हुई; और

(ग) क्या वह घाटे में चल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 7,936 टन ।

(ख) 1964-65 की अपेक्षा 1965-66 के दौरान इस कारखाने के कार्य में सुधार हुआ है । सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं:—

वर्ष	कार्यावधि	पेरा गया गन्ना	बनाई गई चीनी	गन्ने में से निकाली गई चीनी की प्रतिशतता
1964–65 .	65	51,332	4,240	8 . 26
1965–66 .	105	90,017	7,936	8 . 32

(ग) इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन

2046. श्री महेश्वर नायक : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में गांवों में सहकारिता आन्दोलन के ले आने तथा सदस्य बढ़ाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) राज्य में सहकारी समितियों द्वारा कितना कारोबार किया गया और कितनी राशि का कारोबार किया गया ; और

(ग) सेवा सहकारी समितियों से ग्रामों ने कितना लाभ उठाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 30-6-1965 को उड़ीसा राज्य में 5,610 कृषि ऋण समितियां थीं, जिनमें से 2,700 सेवा समितियां थीं। इन समितियों की कुल सदस्यता 11.57 लाख थी । यह समितियां राज्य के सभी गांवों में थी । 30-6-1965 को राज्य में 27 प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक भी थे, जिनकी सदस्यता 33,000 थी ।

(ख) 1964-65 में राज्य की कृषि ऋण तथा सेवा समितियों ने 8.97 करोड़ रुपए के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दिए। इसके अतिरिक्त, उस वर्ष प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों ने 72.57 लाख रुपए तक के दीर्घकालीन ऋण दिए। उक्त वर्ष के अन्त में कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण 12.09 करोड़ रुपये के थे और प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के 1.74 करोड़ रुपए के थे।

(ग) 2700 सेवा समितियों ने अपने सदस्यों को कृषि कार्यों के लिए ऋण देने के अतिरिक्त, अन्य सेवा कार्य भी किए, जैसे उर्वरकों तथा दूसरी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं का वितरण, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण और कृषि उपज का विपणन। 1964-65 में इन्होंने 1.73 करोड़ रुपए के मूल्य की सभी किस्मों की उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएं वितरित कीं।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें 30-6-65 को उड़ीसा राज्य में ऋण सेवा सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों की स्थिति बतायी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7380/66]**

Starvation Deaths in Madhya Pradesh

2047. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many starvation deaths have taken place in Madhya Pradesh during the last few months;

(b) if so, whether Government have collected any information in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

केरल में सड़कें

2048. श्री मणियंगाडन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टायम जिला (केरल) में कोट्टायम को वैकोम से मिलाने वाली कुमाराकोम–वेचूर सड़क के निर्माण का काम कब आरम्भ हुआ था ;

(ख) क्या केरल सरकार ने उसके मंत्रालय से गत नवम्बर में इस सड़क के निर्माण के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से राशि मंजूर करने की प्रार्थना की थी ;

(ग) क्या मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सड़क का काम पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ). कुमाराकोम, वेचूर–वारकोम सड़क संबंधी कार्य केरल सरकार द्वारा उसकी अपनी लागत पर ही 1955 में आरम्भ किया गया था।

2. बाद में, 1958 और 1960 में केवल सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में उसके आवंटन खाते में से इस सड़क सम्बन्धी निम्न दो कार्यों के लिये पैसा देने के लिये प्रस्ताव दिया :—

(एक) कुमाराकोम वेचूर सड़क पर पुलों का निर्माण	4.00 लाख रु०
(दो) कुमाराकोम वेचूर सड़क में सुधार . .	4.00 लाख रु०
	8.00 लाख रु०

ये प्रस्ताव क्रमशः 1958 और 1960 में अनुमोदित किये गये थे।

(3) नवम्बर, 1965 में राज्य सरकार ने सूचना दी कि इन कार्यों को पूरा करने पर 3.96 लाख रु० और व्यय होगा और इस राशि को भी केन्द्रीय सड़क निधि में राज्य सरकार के आवंटन खाते में से पूरा करने के लिये कहा। मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है और केरल सरकार से कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। परन्तु संसाधनों की कमी के कारण चालू वर्ष में और धन देना संभव न होगा।

केरल में पुल

2049. श्री मणियंगाडन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम जिला विकास परिषद् तथा केरल सरकार ने केरल राज्य के कोट्टायम जिले में कुलापुरियाकल कोडावा नामक स्थान पर एक पुल बनाने की योजना स्वीकार की है ;

(ख) क्या योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) कोट्टायम जिला में कुलापुनाक्कल पर प्रस्तावित पुल केरल राज्य में एक राज्य सड़क पर है। अतः इस मामले से राज्य सरकार ही मुख्य रूप से सम्बन्धित है। इसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर उन्होंने विचार किया है परन्तु प्रस्तावित पुल के उत्तर की ओर सड़क के अच्छी हालत में न होने और विद्यमान चंगम पुल के समीप होने के कारण इस काम के लिये उस योजना में कोई उपबन्ध नहीं कर सके।

केरल में पुल

2050. श्री मणियंगाडन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कोट्टायम जिले में वेट्टीकाट्टू मुकु नामक स्थान पर पुल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी तथा कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) वेट्टीकाट्टू मुकु केरल राज्य में राज्य की एक सड़क पर आता है। अतः केरल सरकार इससे मुख्य रूप से सम्बन्धित है। उन्होंने सूचना दी है कि इस परियोजना को उनकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल कर लिया गया है और इसके डिज़ाइन और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस काम के लिये अगले वर्ष के बजट में धन देना चाहती है।

Engine Trouble to Air India Boeing

2051. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Boeing aeroplane of Air India on flight from Sydney to Fiji developed some engine trouble on or about the 6th September, 1966; and

(b) if so, the extent of loss of life and property as a result thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) Yes, Sir. Air India Boeing VT-DPM which left Sydney for Nandi (Fiji Islands) on 6th September, 1966, landed back safely at Sydney, after 38 minutes of flight due to excessive vibration observed on No. 4 engine start lever, with gradual rise in oil temperature. The engine was changed and the aircraft resumed flight.

(b) There was no loss of life or property.

मतदाताओं को मतदान संबंधी जानकारी से अवगत कराने के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम

2052. **श्री राम सहाय पाण्डये** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को मत देने के अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने के लिये आकाशवाणी के केन्द्रों से कोई प्रसारण कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा छंटनी

2053. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री प्र चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, लिमिटेड, के प्रबन्धकों ने कलकत्ता घाट के कार्यालयों को बन्द करने तथा उनके कुछ कर्मचारियों की छंटनी के नोटिस जारी करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने कर्मचारियों की छंटनी की जायगी ;

(घ) क्या इनलैंड स्टीम नैवीगेशन वर्कर्ज़ यूनियन ने इस वर्ष कार्यालयों के बन्द किये जाने, छंटनी और उन्हें हानि पहुंचाये जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के भविष्य सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) जी हां ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

मैसूर राज्य में सूखे की स्थिति

2054. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में आजकल मौसम की क्या स्थिति है ;

(ख) सूखे की स्थिति के लिए लोगों को कितनी राहत दी गई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने सूखे से राहत देने के लिए अब तक कितनी धन राशि खर्च की है ;

(घ) क्या आगामी फसल की कटाई के समय तक सहायतार्थ कार्य तथा 'केयर' कार्यक्रम जारी रहेंगे ; और

(ङ) कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है, तथा कितने सहायता-कार्य आरम्भ किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मैसूर राज्य में वर्तमान मौसम की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक प्रतीत होती है । लगभग सारे राज्य में संतोषजनक वर्षा हुई है । खड़ी फसल की हालत अच्छी है और काफी अच्छी फसल होने की आशा है ।

(ख) संतोषजनक वर्षा के परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है । सहायता कार्यों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है ।

(ग) सहायता कार्यों पर व्यय आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और बाद में एक विहित सहायता तरीके के अनुसार राज्य और केन्द्रीय सरकार में बांटा जाता है । केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को अब तक 4 करोड़ रुपये की रकम दी है । मैसूर सरकार ने सूचना दी है कि यह रकम सहायता कार्यों पर पूरी की पूरी खर्च हो जायगी । उन के द्वारा वास्तविक रूप से किये गये खर्च का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) स्थिति में सुधार के कारण, कुछ बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जहां कि सहायता कार्यों को कुछ और समय के लिये जारी रखा जायेगा, राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यों को बन्द करने के लिये हिदायतें जारी की गई हैं । आपतकालीन पोषण कार्यक्रम को, जिसका सम्बन्ध 'केयर', उन सभी क्षेत्रों में नवम्बर के अन्त तक जारी रखा जायेगा जहां पर कि यह लागू था । बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में यह कार्यक्रम दिसम्बर, 1966 के अन्त तक जारी रहेगा ।

(ङ) 1,424 सहायता कार्यों पर 31-10-66 को 81,011 व्यक्ति काम कर र थे । मैसूर में सहायता कार्यों पर रखे गये व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 1,74,721 मई,, 1966 के पहले सप्ताह में थी ।

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापत्तनम

2055. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम स्थित हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाने में 1965–66 में कितने जहाज बने;

(ख) 1966–67 में कितने जहाज बनाये जायेंगे ; और

(ग) उक्त जहाज निर्माण कारखाने में जहाज बनाने के काम में क्या सुधार हुआ है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तीन ।

(ख) दो ।

(ग) मार्च, 1952 में सिंदिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड से जहाज निर्माण कारखाने के सरकार द्वारा लिये जाने के बाद में इसमें किये गये सुधार इस प्रकार हैं :—

(1) पुराने किस्म के भाप से चलने वाले थोड़ी जस्ता वाले जहाज़ों का निर्माण जो पहले लिट लगा कर किया जाता था उसके स्थान पर अब डीजल से चलने वाले आधुनिक जहाजों का निर्माण पहले से तैयार ढांचे की प्रणाली पर वैल्डिंग द्वारा किया जाने लगा है ।

(2) स्टील यार्डों, वर्कशापों, और स्टोरों के ढांचे में सुधार किया गया है ।

(3) स्टील यार्ड से निर्माण बर्थों तक पहले कच्चा माल घूमफिर कर आता था अब सीधे तरीके से आने लगा है।

(4) क्षमता बढ़ाने के लिए फिटिंग आउट जेट्टी स्थान को बढ़ा दिया गया है ।

(5) निर्माण बर्थों, फिटिंग आउट जेट्टी और स्टील यार्ड में क्रेनों की क्षमता बढ़ा दी गई है।

(6) सभी स्तरों पर तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

(7) एक आयोजन और उत्पादन नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी गई है।

(8) स्वदेशी उपकरणों के विकास सम्बन्धी आन्दोलन को गहन कर दिया गया है ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यक्रम के बारे में जांच

2056. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली में सड़क परिवहन सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए और उपक्रम के कार्य में सुधार करने के लिए यदि कोई सुझाव हों तो उन्हें देने के लिए एक कार्य अध्ययन दल स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान को चोरी छिपे चीनी का ले जाया जाना

2057. श्री दिगे:

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 916 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई चीनी सम्बन्धी मामले के बारे में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demurrage Paid on Food Ships

2058. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two foreign ships had to be paid Rs. 20,000 as demurrage owing to the recent strike of employees engaged for unloading the foodgrains at Bombay Port; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b) During the past three months there have been interruptions of work at the Bombay Port on several occasions on account of strikes by various categories of workers connected directly or indirectly with the discharge of foodgrains from ships at this port. On each such occasion unloading of foodgrains from several foreign ships had been adversely affected. Unless, therefore, the particular strike or the dates of the strike to which the Hon'ble Members are referring to are indicated, it is difficult to furnish the information asked for.

भारतीय आलू निगम

2059. श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बीज के आलू के परिरक्षण तथा विकास के लिये एक भारतीय आलू निगम बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, भारत के खाद्य निगम/राष्ट्रीय बीज निगम के साहाय्य रूप में आलू निगम स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

जम्मू तथा काश्मीर से मौसम का हाल

2060. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋतु विज्ञान विभाग ने जम्मू तथा काश्मीर में अपने केन्द्र स्थापित किये हैं ; और

(ख) केवल उस क्षेत्र के कृषकों के लिये ही नहीं बल्कि उस राज्य तथा पड़ौसी राज्यों के बीच विमान सेवाओं के लिये भी आवश्यक मौसम के सही हाल की भविष्यवाणियां करने में सुधार हुआ है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमानों में उन्नति की दृष्टि से नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों तथा अनुसन्धानों का ध्यान रखता है।

सूरतगढ़ फार्म

2061. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 9 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ फार्म के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने की संभावना का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) समिति ने अपना अध्ययन समाप्त कर दिया है। आशा है कि समिति अन्तिम प्रतिवेदन शीघ्र ही दे देगी।

ऋतु संबंधी राकेट छोड़ने का केन्द्र

2062. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 9 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमोत्तर भारत में ऋतु सम्बन्धी राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करने की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के बारे में अन्तिम रूप में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित खाद्यान्नों की उपलब्धि

2063. **श्री बसुमतारी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कहा है कि आगामी वर्ष आयातित खाद्यान्नों की उपलब्धि बहुत कम होगी ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त स्टाक जमा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा द्वारा अधिक से अधिक अनाज आयात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और निर्यात करने वाले देश अनाज की जिस मात्रा को देने के लिये तैयार हैं उसको आयात करने के लिये भी हम प्रयत्न शील हैं। अनाज के आंतरिक समाहार की भी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये धन

2064. **श्री बसुमतारी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों को जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार से 2.5 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य के 16 जिलों में से 10 जिलों में सूखा पड़ा है ; और

(ग) पटसन और धान की फसलों की कितने प्रतिशत क्षति हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, इस वर्ष जून में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों को जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए के तदर्थ अनुदान के लिए अनुरोध किया था। चूंकि राज्य सरकार की अपनी स्थिति ठीक थी इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था कि वह यह खर्च अपने धन में से ही करें। इसके बाद सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है किन्तु राज्य सरकार के अनुसार विशेषतया बंकुरा, मालदा तथा पश्चिम दिनाजपुर के जिलों में हालत खराब है।

(ग) राज्य में धान और पटसन की फसलों की उपज के बारे में अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

आसाम में बच्चों का बेंचा जाना

2065. श्री सेज़ियत्न :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में गरीबी के कारण बच्चों को बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार बच्चों को बेचने की स्थिति पैदा करने के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) जब समाचारपत्रों में अनाज की कमी के कारण आसाम में बच्चों के बेचे जाने के आरोप छपे तब आसाम सरकार से एक विवरण मांगा गया। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में प्रचलित "धना" नामक एक रूढ़ि के अनुसार बोडो लोगों के गरीब वर्ग अपने बच्चों को धन आदि के विचार से उसी जाति के धनी लोगों के घरों में घरेलू कार्य करने के लिये कुछ निश्चित अवधियों के लिये रखते हैं। बोडो लोगों में प्रचलित एक और रूढ़ि के अनुसार वे लोग अपनी जाति के बच्चों को गोद में लेते हैं। ऐसे मामलों में गोद में लेने वाला व्यक्ति बच्चे के माता-पिता को आदर जतलाने के लिये कुछ नाम-मात्र धन अथवा कोई चीज देता है। आसाम सरकार द्वारा की गई छानबीन से पता चलता है कि वहां पर अनाज की कमी के कारण बच्चों को नहीं बेचा गया है।

नर्मदा नदी पर पुल

2066. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) के निकट नर्मदा नदी पर सड़क पुल बनाने का सारा कार्य पूर्णतया ठप्प पड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी और पुल कब चालू हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु यह सच है कि पुल का निर्माण-कार्य पीछे रह गया है। यह एक राज्य परियोजना है जिस के लिये केन्द्रीय सरकार ने 13.34 लाख रुपये की सीमित सहायता देना स्वीकार किया है। निर्याण-कार्य फरवरी, 1960 में आरम्भ किया गया था और यह कार्य 2 वर्ष में पूरा होना था। परन्तु कार्य आरम्भ किये जाने के शीघ्र पश्चात हाई टेन्साइल की इस्पात के तार की सप्लाई के बारे में कठिनाई उत्पन्न हो गई। फर्म द्वारा तैयार किया गया मल डिजाइन 66 टन आयातित हाई टेन्साइल के तार (3 मिली मीटर व्यास) पर आधारित था जो उन्होंने मांगली । परन्तु जब फर्म के डिजाइन की जांच की गई तो मालूम हुआ कि इस के लिये 72 टन 3 मिली मीटर की हाई टेन्साइल की इस्पात के तार की

आवश्यकता है। इसलिये डिजाइन में रूतभेद किया गया जिससे इस में 7 मिली मीटर का हाई टेन्साइल का तार प्रयोग में लाया जा सके जो उस समय तक देश में तैयार होने लग गया था। इस परिवर्तन के कारण कार्य की प्रगति में विलम्ब हो गया।

(ग) कार्य पुनः आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि यह कार्य दिसम्बर, 1967 तक पूरा हो जायेगा।

कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र

2067. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश पर्वतीय स्थानों पर पर्यटक आवास पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां जाने के लिये अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये आवास स्थान में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय स्थानों के लिए पर्यटक यातायात ऋतु विशेष में ही होता है। पर्यटक यातायात के ऋतु में, अर्थात् अप्रैल से जून तक कुछ प्रसिद्ध स्थान में विद्यमान आवास सुविधाएं अपर्याप्त पायी गयी हैं।

(ख) इस क्षेत्र में आवास के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक निधि की व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये नैनीताल में होस्टल

2068. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नैनीताल तथा रानीखेत जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उचित किराये पर निवासस्थान देने के लिये एक होस्टल बनाने तथा ऐसे यात्रियों को भारी संख्या में वहां जाने के लिये आकर्षित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित उर्वरकों का कम हो जाना

2069. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कांडला बन्दरगाह पर जहाज से उतारा गया आयातित अमोनिया सल्फेट उर्वरक लगभग 600 मीट्रिक टन कम पाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौवहन समवाय के विरुद्ध हानि पूर्ति के लिये भुज न्यायालय में दायर किये गये मुकदमे में सरकार हार गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि के लिये कौन जिम्मेदार माना गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) यह सच है कि सरकार नौवहन समवाय के विरुद्ध हानि पूर्ति के लिए भुज न्यायालय में दायर किये गये मुकदमे में हार गई है । यह मामला एक जहाज एस० एस० स्मिथ विल्डर से, जो 3-1-1963 को कांडला बन्दरगाह पर पहुंचा था न कि हाल ही में, लगभग 500 मीट्रिक टन अमोनिया सल्फेट कम उतरने के बारे में था।

(ग) चूंकि यह कमी अमरीका से भारत आते हुए रास्ते में हुई थी और नौवहन कम्पनी के विरुद्ध दावे का मुकदमा समय पर दायर कर दिया गया था, इसलिये हानि के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन

2070. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात विधान-सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) परिसीमन आयोग ने पंजाब, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी प्रारूप प्रस्थापनाओं पर, उनके अपने-अपने सहयुक्त सदस्यों के साथ, विचार कर लिया है। उसके अन्तिम आदेश अगले सप्ताह के दौरान प्रकाशित हो जाने की आशा है।

अमरीका को कोआपरेटिव लीग

2071. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री रमापति राव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की कोआपरेटिव लीग भारत में कितने समय तक रही और उसने किन किन राज्यों का दौरा किया ;

(ख) इस लीग ने कितने राज्यों तथा समितियों की ऋण के लिये सिफारिश की है ; और

(ग) क्या सहकारी उर्वरक कारखाने खोलने के लिये ऋण प्राप्त करने के मामले में आन्ध्र प्रदेश जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अमरीका की कोआपरेटिव लीग द्वारा संस्थापित (स्पान्सर्ड) सहकारी उर्वरक सम्भाव्यता अध्ययन टोली, 5 सितम्बर, 1966 से भारत में है। टोली ने अब तक गुजरात, उत्तर प्रदेश,

महाराष्ट्र, केरल, मद्रास पश्चिमी बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के राज्यों का दौरा किया है।

(ख) टोली की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) निःसंदेह टोली अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय सभी सम्बन्धित पहलुओं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत का परिमाण भी सम्मिलित है, पर विचार करेगी।

Crop Conditions in Maharashtra

2072. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the failure of rains, the conditions of present crop in all the four regions of Maharashtra State is very alarming;

(b) if so, the names of Districts in which the standing crops have been affected adversely for want of rains; and

(c) the efforts being made to improve the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Total rainfall during the South-West monsoon season (June-September) 1966, which is very vital for the kharif crops, was practically normal in Madhya Maharashtra, Marathawada and Vidarbha regions of Maharashtra State; but it was somewhat defficient in the Konkan region. However, the monsoon withdrew rather early during 1966 and except for some showers in Madhya Maharashtra, Marathawada and Konkan areas during the last week of September, there was very little rain in the State after the first week of September. The post-monsoon season (1st October to 9th November) has also been practically dry in all parts of the State. This dry spell has adversely affected the prospects of kharif crops which had appeared to be quite promising till about the middle of September, 1966 in all the four regions of the State. On present indications, the situation is not as bad as during the last year though the total production is likely to be considerably lower than in 1964-65. Good showers have been reported at many places in the State during the week ending 16th November, 1966, and these are expected to help the rabi sowings and also the late varieties of kharif crops.

(b) and (c). Required information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Sabha when received.

भारतीय नौवहन निगम

2073. श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम ने विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्ण अनुमान लगाने के पश्चात अपने टन भार को बढ़ाने की एक योजना बनाई थी तथा उसे केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के पास भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) योजना विचाराधीन है।

बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता

2074. श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिये अगस्त, 1966 से नकद भत्ता मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

परिवहन, नौवहन, उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 27,000।

(ग) अनुमानतः प्रतिवर्ष 28 लाख रुपये।

सट्रल एजेंसी सैक्शन

2075. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का सैंट्रल एजेंसी सैक्शन उच्चतम न्यायालय में कितने राज्यों का काम कर रहा है ; और

(ख) सट्रल एजेंसी द्वारा नियुक्त किये गये वकीलों की वर्तमान संख्या क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) केन्द्रीय अधिकरण अनुभाग की स्कीम में इस समय निम्नलिखित राज्य भाग ले रहे हैं ; अर्थात—

1. पंजाब,
2. गुजरात,
3. महाराष्ट्र,
4. मैसूर,
5. उड़ीसा,
6. बिहार (कुछ कार्य), और
7. जम्मू-कश्मीर ।

(ख) विधि मंत्रालय ने केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में 3 अधिवक्ता नियुक्त किए हैं जो ये हैं :—

1. सरकारी अधिवक्ता,
2. उप सरकारी अधिवक्ता, और
3. सहायक सरकारी अधिवक्ता ।

ये ऐडवोकेट-आन-रिकार्ड हैं और केन्द्रीय सरकार तथा स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मामलों का संचालन करते हैं।

मैसूर राज्य की अनाज की मांग

2076. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गत तीन मास में, प्रति मास अनाज की कितनी मांग की ;

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू करने के लिये उस राज्य की अनाज की मांग पूरी नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य की आवश्यकता कब पूरी की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (घ). प्रत्येक राज्य की अनाज सम्बन्धी मांग के बारें में सामान्यतया राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विचार किया जाता है और प्रत्येक मास अनाज की उपलब्ध मात्रा तथा विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार के स्टाकों से अनाज दिया जाता है। मैसूर के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कानूनी राशन-व्यवस्था लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाज दिये जाने के बारे में मात्रा का कोई अनुमान लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिछले तीन महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य को दिये गये अनाज की मात्रा इस प्रकार है :

(000' मीट्रिक टनों में)

मास	चावल	गेहूं	माइलो
अगस्त .	1.9	23.8	26.3
सितम्बर . .	0.4	30.7	20 7
अक्तूबर .	0.1	33.9	17.8

पी० एल० 480 के अन्तर्गत कृषि-ऋण

2077. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार नें कृषि ऋण देनें के लिए पी० एल० 480 निधि का रुपयों में उपयोग करने के लिए भारत में एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में कृषि भूमि

2078. श्री ह० च० सोय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण बिहार के पहाड़ी जिलों में औद्योगिक, खनन तथा वनीकरण परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन के कारण कृषि भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर घटता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ष अनाज की कमी हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) दक्षिणी बिहार के जिलों तथा समूचे रूप से बिहार राज्य के वर्ष 1955–56 से 1963–64 (अन्तिम वर्ष जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं) के लिये भूमि उपयोगीकरण सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि में दक्षिणी बिहार तथा समूचे बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। दक्षिणी बिहार में कृषि-क्षेत्र में 1955–56 में 27,55,056 हेक्टेयर से बढ़कर 1963–64 में 30,49,136 हेक्टेयर हो गया और समूचे राज्य में 93,19,504 हेक्टेयर से बढ़ कर 97,16,354 हेक्टेयर हो गया। परन्तु वर्ष 1955–56 से 1963–64 के बीच ऐसे क्षेत्र में भी, जिस का प्रयोग खेती से भिन्न कार्यों के लिये किया जाता है, कुछ वृद्धि हुई है। समूचे बिहार राज्य के लिये उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य-उत्पादन में, जो 1955–56 में 52 लाख मीट्रिक टन था, भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और 1963–64 में 75 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ। तथापि तत्पश्चात् सूखे की दशाओं के कारण उत्पादन में कुछ कमी हुई है।

अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि उद्योगीकीकरण, खनन तथा वनीकरण परियोजनाओं के लिये भूमि के अर्जन का कृषि क्षेत्र तथा समूचे रूप से अनाज के उत्पादन पर कोई खास प्रभाव पड़ा हो।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान का तेजपुर में उतरना

2080. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट मार्ग पर चलने वाले इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान को 5 नवम्बर, 1966 को तेजपुर में उतरना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के फोकर फ्रेंडशिप वायुयान वीटी—डी एम ई जो कि 5 नवम्बर, 1966 को कलकत्ता–तेजपुर–जोरहाट सेवा पर चल रहा था, तेजपुर में उतरना पड़ा क्योंकि विमान चालक ने यह रिपोर्ट दी कि 'पोर्ट प्रोपेलर' आंशिक रूप से 'फेदर्ड' दशा के अटक गया था और अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आ रहा था। यह खराबी दूर की गयी और इसके बाद प्रोपेलर का विभिन्न स्थितियों में परिचालन सन्तोषजनक पाया गया। वायुयान 6 नवम्बर, 1966 को तेजपुर–कलकत्ता सेवा पर चला।

तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना

2081. श्री मुथिया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पयर्टन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के लिए 194 लाख रुपये नियत किए गये हैं ;

(ख) क्या बन्दरगाह अधिकारियों ने हाल में अन्तिम रूप से पुनरीक्षित अनुदान के रूप में 225 लाख रुपये की राशि मांगी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार 31 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को, जो 1966-67 के लिये अपेक्षित कम न की जा सकने वाली अतिरिक्त न्यूनतम राशि है, नियत करने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 193.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वित्त मंत्रालय के परामर्श से मामला विचाराधीन है।

रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन का अधिवेशन

2082. श्री ही० ना० मुखर्जी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोम में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के पिछले अधिवेषदन में भारत की ओर से कितने तथा किन किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिवेशन में भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जो भारतीय नागरिक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी० 7381/66**]

रूसी ट्रैक्टर

2083. श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री रामस्वरूप :
श्री चाण्डक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने खेती वाले ट्रैक्टर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक ट्रैक्टर उत्तर भारत के राज्यों, तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली में हैं और उनकी मांग फिर भी बढ़ती जाती है ;

(ग) आयातित रूसी ट्रैक्टरों का वितरण उनके भारतीय एजेन्टों में किस आधार पर किया जाता है क्या वर्तमान जनसंख्या तथा उनकी मांग को ध्यान में रख कर इनका वितरण किया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली राज्यों के लिए रूसी ट्रैक्टरों के आयात-कोटा को घटाकर अब केवल 35 प्रतिशत कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1961 की ट्रैक्टर गणना के अनुसार देश में लगभग 31,000 ट्रैक्टर थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 30,000 ट्रैक्टर और शामिल किये गये।

(ख) इस समय क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ). समय समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति के अनुसार ही वितरण किया जाता है। वितरण करते समय ट्रैक्टरों की मांग व समस्त देश में मशीनीकरण को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। यह ठीक है कि पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली संघ क्षेत्र में ट्रैक्टरों की बड़ी मांग है परन्तु देश के अन्य भागों में भी इन ट्रैक्टरों की काफी मांग है। ये ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टरों से कुछ सस्ते हैं और आवश्यकता इस बात की है कि देश के विभिन्न भागों के कृषकों को इनके खरीदने की सुविधायें प्रदान की जायें अतः इनका कोटा कुल आयात का 35 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम कोटा है क्योंकि पश्चिमी तथा मध्य भारत के लिए यह कोटा $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत, पूर्वी भारत (आन्ध्र प्रदेश सहित) के लिए $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा दक्षिण भारत के लिए 10 प्रतिशत है। इससे पता चलेगा कि पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली संघ क्षेत्र को अधिक कोटा दिया गया है।

चैकोस्लावाकिया के ट्रैक्टरों का आयात

2084. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम स्वरूप :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री चांडक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 1 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैकोस्लोवाकिया से जिन 2000 ट्रैक्टरों को आयात करने का विचार है, उन में प्रत्येक ट्रैक्टर की अश्वशक्ति, और बीमा भाड़ा सहित उसकी लागत क्या है तथा उसे भारत में अनुमानत किस मूल्य पर बेचा जायेगा ; और

(ख) क्या भारत में चेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टर की उपयोगिता के बारे में परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) आयात किए जाने वाले प्रस्तावित जैक ट्रैक्टर 20 अश्वशक्ति के हैं। बीमा भाड़ा सहित उसकी लागत 7,500 रुपये (पूर्व-अवमूल्यन) है। इन ट्रैक्टरों का विक्रय मूल्य अवमूल्यन पश्चात बीमा भाड़ा सहित लागत का पता लगने के बाद ही निश्चय किया जाएगा।

(ख) जी हां,। यह ट्रैक्टर भारतीय खेती परिस्थितियों के लिए बहुत ही उपयुक्त पाया गया है।

सफदरजंग हवाई अड्डा

2085. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग रेलवे मार्ग पर उपरि पुल (फ्लाई-ओवर) के प्रस्तावित निर्माण के कारण सफदरजंग हवाई अड्डे को अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार नहीं है क्योंकि इसका मौजूदा स्थान फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों तथा सहायक वायुसेना के भी क्रियाकलापों के लिए नितान्त उपयुक्त है।

भारत के लिये कनाडा से अनाज

2086. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में इस वर्ष अच्छी फसल होने के कारण उस देश ने भारत के लिये वर्तमान खाद्य संकट को दूर करने के लिए हाल ही में 1,000,000 टन अनाज देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में करार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्मन घाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

2087. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री बर्मन-घाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर पुल के बारे में 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कार्य का ठेका दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस को ;

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अभी नहीं । टेंडर देने वाले से कहा गया है कि डिज़ाइन में और ठेके की शर्तों में कुछ परिवर्तन स्वीकार करो उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा क्षमा याचना

अध्यक्ष महोदय : 10 नवम्बर, 1966 को श्री के० दे० मालवीय ने 9 नवम्बर, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए कुछ ऐसे टिप्पणों के बारे में, जिन को मेरे द्वारा सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया था विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया । मैंने तब सभा को सूचित किया था कि हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रकाशक तथा सम्पादक ने मेरे पास आकर खेद प्रकट कर दिया है । परन्तु मैंने उनको बताया था कि इतना करना पर्याप्त नहीं है और उनको एक पत्र लिख कर खेद प्रकट करना चाहिए । इसलिए उन्होंने अपने 10 नवम्बर, 1966 के पत्र में खेद प्रकट कर दिया है । क्या श्री मालवीय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : इस विवरण से मुझे निश्चय ही निराशा हुई थी मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर विशेषरूप से उल्लेख किया गया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वे मुझ से मेरे विचारों के कारण नाराज़ हैं। मेरा विचार है कि उनको मेरा हवाला देकर कम से कम दो बार प्रथम पृष्ठ पर अपनी क्षमायाचना प्रकाशित करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप मेरे सुझाव को उन तक भेज दें और उनको अपने विवरण में संशोधन करके उसे कम से कम दो बार प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करना चाहिए।

श्री रंगा (चित्तूर) : यद्यपि मैं सदस्यों के अधिकार तथा विशेषाधिकार बनाये रखने का पूरा समर्थन करता हूं तथापि इसका कोई कारण नहीं कि हम समाचारपत्र को एक नहीं दो बार क्षमायाचना प्रकाशित करने के लिये कहें।

श्री के० दे० मालवीय : भूतकाल में समाचारपत्रों को ऐसा करने के लिये कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि हमने पहले कई बार समाचारपत्रों को एक से अधिक बार क्षमायाचना प्रकाशित करने के लिये कहा है। परन्तु यदि इस मामले में खेद को प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित कर दिया जाता है तो सभा को संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह भी प्रकाशित किया जाना चाहिए कि ऐसा विवरण श्री मालवीय के बारे में प्रकाशित किया गया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Another question of privilege has risen. Yesterday when Sarvashri Kashi Ram Gupta and Maurya went to the court for the trial of Shri Mani Ram Bagri they were disgraced by the Magistrate. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: I cannot take it at this moment. You have already written me in this respect and I will see to it.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत पर्यटन निगम एकीकरण आदेश

विधि मंत्री (श्री गोपालस्वरूप पाठक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारत पर्यटन निगम एकीकरण आदेश, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2852 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7365/66]**

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं 16 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7366/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मध्य प्रदेश चावल समाहार (उद्ग्रहण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र म अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1725 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1757 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उन्पाद (मिल में तथा फुटकर) मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1758 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7367/66]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620-क की उप-धारा (3) के अन्तगंत अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1543 की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7368/66]**

वर्ष 1964-65 के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7369/66]**

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शरीफ कुरशी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) रेशम उत्पादन उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 11 (1)-टार/66, दिनांक 19 नवम्बर, 1966। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7370/66]**

(ख) (एक) ऐंटी मोनी उद्योग के संरक्षण के पुनर्विलोकन के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 2 (1)-टार/66, दिनांक 19 नवम्बर, 1966 ।

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में बताये गये दस्तावेजों को उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7371/66]**

(ग) (एक) ए० सी० एम० आर० (ऐल्युमिनियम कंडक्टर स्टील री० इन्फोर्सड) तथा ए० ए० सी० (आल ऐल्युमिनियम कंडक्टर) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966) ।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 13 (1)-टार/66, दिनांक 19 नवम्बर, 1966 ।

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में बताये गये दस्तावेजों को उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7370/66]**

(घ) (एक) सूती कपड़ा बनाने की मशीनें (स्पिनिंग रिंग फ्रेम स्पिडल, स्पिनिंग रिंग फ्लूटेड रोलर और स्वचल करघे) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966)

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 7 (2)-टार/66, दिनांक 19 नवम्बर 1966 **[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7373/66]**

(ङ) (एक) पिस्टन जोड़ना उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966) ।

(दो) सचिव, प्रशुल्क आयोग, बम्बई, से भारत सरकार के सचिव, वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली, के नाम पत्र संख्या टी सी/आई डी/ई/88 (5) / 66, दिनाक 23 जुलाई, 1966 ।

(तीन) सरकारी संकल्प संख्या 15 (1)-टार/66, दिनांक 19 नवम्बर, 1966 ।

(चार) ऊपर (एक) से (तीन) में बताये गये दस्तावेजों को उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7371/66]**

केरल भूमि अधिन्यास नियमों के बारे में अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे): राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 403/66 की एक प्रति, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया, मैं सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7375/66]**

विधेयक पर राये

OPINION ON BILL

श्री अ० सि० सहगल : मैं भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के बेहतर प्रशासन की तथा उससे सम्बन्धित मामलों की जांच की व्यवस्था करने वाले विधेयक, जो 3 सितम्बर, 1965 को सभा के निर्देश से उसपर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, सम्बन्धी पत्र संख्या IV सभा-पटल पर रखता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य का निरोध

Shri Bade (Khargaon): Yesterday, I gave a notice for Adjournment Motion which was disallowed. Today again I have given notice for adjournment motion. Jagadguru Shankracharya has been arrested.

Mr. Speaker: How arrest of any person can come under the adjournment motion?

Shri Bade: This is happening in Delhi. The hon. Home Minister should give statement in this regard.

Mr. Speaker: This is a separate thing that I may ask the hon. Home Minister for a statement but it cannot be taken under the adjournment motion.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह एक गम्भीर मामला है । स्वामीजी ने कल अनशन शुरू किया था परन्तु आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है । इससे देश में कुछ लोगों की भावनाएं भड़क उठेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य बैठ जायें । मैं माननीय मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): On a previous occasion, Sant Fateh Singh resorted to hunger strike in gurudwara and the hon. Home Minister stated that they cannot enter the gurudwara. But this time police jumped over the walls and arrested Jagadguru Shankracharya.

श्री रंगा (चित्तूर) : देश में इस समय सामान्य वातावरण विस्फोटक है । इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री ऐसा कुछ न करें जिससे स्थिति और भड़क उठे । यह मामला सभी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित है इसलिये उनको लोगों की धार्मिक भावनाओं को धक्का लगाये बिना इस स्थिति का हल ढूंढना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहेंगे ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार द्वारा 4 नवम्बर को नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिये जाने के बावजूद भी देश के कई भागों में गोवध पर सम्पूर्ण रोक लगाने के लिये आन्दोलन चल रहा है । 20 नवम्बर को पुरी के जगद्गुरु स्वामी निरंजनदेव तीर्थ ने काश्मीरी गेट,

दिल्ली की एक धर्मशाला में अनिश्चित काल के लिये अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली प्रशासन ने, जो कि दिल्ली के संघीय क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से 7 नवम्बर की घटनाओं को देखते हुए स्वामी निरंजन देव तीर्थ के अनशन से उत्पन्न होने वाली संभाविक प्रतिक्रिया पर पूरी तरह विचार किया। उनके विचार में स्वामी जी का अनशन विधि व्यवस्था के प्रतिकूल था। इसलिए आयुक्त, दिल्ली, द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3(क)(दो) के अन्तर्गत स्वामीजी को नजरबन्द कर लिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कार्यवाही की गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? संसद में गृह-कार्य मंत्री ही जिम्मेदार हैं न कि कोई लि० गवर्नर। क्या सरकार की गई कार्यवाही से सहमत है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस बारे में बता दिया है।

श्री हेम बरुआ: (गोहाटी) : माननीय मंत्री ने बताया कि स्वामीजी को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया है। इस विधेयक पर अभी चर्चा हो रही है और इसको अभी पारित नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : (कन्द्रपाड़ा) यह पहले ही लागू हो चुका है। विधेयक का आशय इसकी अवधि को बढ़ाना है।

Shri Prakash Vir Shastri: I would like to know whether the Government has decided to arrest the hunger strikers by entering into the religious places. I would also like to know the nature of danger which might have arisen due to the hunger strike of Jagatguru Shankracharya.

Mr. Speaker: First part of the question may be replied.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं जानता कि इसमें कोई नीति का प्रश्न उत्पन्न होता हैं क्योंकि प्रत्येक मामले को उसके दोष अथवा गुणों के आधार पर देखना होता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): What is the policy of the Government?

डा० मा० श्री अणे : (नागपुर) : माननीय गृह-कार्य मंत्री का उत्तर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है परन्तु मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक जगतगुरु शंकराचार्य को गिरफ्तार अथवा नज़रबन्द रखा जाता है मैं भी मरणव्रत रखूंगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : ऐसा कुछ उल्लेख किया गया था कि स्वामी जी को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको घर में नज़रबन्द किया गया है अथवा किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर जेल में रखा गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: उनको प्रात: विमान द्वारा मद्रास ले जाया गया है और उनको पांडिचेरी में रखा जायेगा।

श्री रंगा : श्री अणे ने जो कुछ कहा है क्या माननीय मंत्री ने उस पर ध्यान दिया है। यदि ऐसा हो गया तो देश में आग भड़क उठेगी।

Shri Bade: I would like to know whether after the hunger strike anything of the type has happened which might have endangered the peace?

Mr. Speaker: I will ask the hon. Minister to reply.. There is no objection if all the questions are answered together.

Shri Bade: They should not be answered together.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं केवल वही सूचना दे सकता हूं जो मुझे प्राप्त हुई है । स्वाभाविक ही, निर्णय दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जायेगा . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यदि माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कार्यवाही नहीं चल सकती । जब तक मेरी किसी सदस्य पर दृष्टि न पड़े, उस द्वारा कही गई कोई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : * * *

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस मामले में अपनी जिम्मेवारी टाल नहीं रहा हूं । मैं पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं । (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Prakash Vir Shastri: Why do you put it on Delhi Administration.. The arrests were made by the Central Government.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : किसी स्थिति के बारे में कोई विचार बनाना सम्बद्ध अफसर तथा प्रशासन की कानूनी जिम्मेवारी है । उन्होंने पूरे एक दिन के लिए स्थिति पर निगरानी रखी । यदि श्री शंकराचार्य का अनशन जारी रहने दिया जाता तो सम्भवतया स्थिति और खराब हो गई होती । उन्होंने इस विचार के अनुसार कार्य किया ।

Shri Yashpal Singh: Mahatma Gandhi observed fast for 21 days but he was not arrested and imprisoned by the Government. It is not an offence to observe hunger strike. Crores of people are followers of Shri Shankracharya. What right do the Government have to arrest such a saint.

Mr. Speaker: Shri Yashpal Singh should address me.

श्री त्यागी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की नीति गोरक्षा के पक्ष में है और सरकार ने वचन दिया है कि वह राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इसे लागू करेगी, क्या सरकार श्री शंकराचार्य को यह कहकर उपवास समाप्त कराने का प्रयत्न करेगी कि उसकी नीति वैसी है जो वह उपवास रखकर प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम निश्चय ही श्री शंकराचार्य अथवा किसी भी व्यक्ति को उपवास समाप्त करने के लिए मनवाने का सदा प्रयत्न करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: This agitation is going on for the past so many days. The demand to ban cow slaughter is being voiced in all parts of the country. You have resorted to firing and arrests in order to suppress the agitation. May I know whether foreign pressure is being exerted on the Government not to ban cow slaughter. Do the Government think that this agitation will be suppressed by the arrest of Shankracharya.

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not Recorded.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आरोप बिलकुल गलत है कि हम पर किसी विदेशी सरकार का दबाव है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Twenty years have passed and you have not taken any decision.

अध्यक्ष महोदय: यह घोर आपत्तिजनक है । मैंने आप को प्रत्येक अवसर दिया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The Government did not take any decision during the last twenty years.

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: You always ask us to go out. The proceedings are going on like this.

Mr. Speaker: You may now go out.

(इसके पश्चात् श्री हुक्मचन्द कछवाय सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Hukam Chand Kachhavaiya then left the House).

श्री जी० भा० कृपलानी (अमरोहा) : इस से पहले भी उपवास होते रहे हैं परन्तु सरकार ने इतनी शीघ्रता से कोई कार्यवाही नहीं की । इस उपवास को एक दिन ही हुआ था सरकार को उन्हें, उनके मित्रों तथा अन्य लोगों को मनवाने का प्रयत्न करना चाहिये था । यदि वे इस में असफल होते तो कार्यवाही कर सकते थे परन्तु इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी ।

Shri Prakash Vir Shastri: They consider it below their dignity to hold talks.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : गृह-कार्य मंत्री ने सभा को बताया है कि दिल्ली प्रशासन ने जगद्गुरु के उपवास के दिल्ली नगर पर होने वाले परिणामों पर विचार किया था । क्या इसके हिन्दू–भारत पर समूचे रूप से होने वाले प्रभाव पर भी विचार किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : हिन्दू–भारत कोई नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शंकराचार्य जैसे महान व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय बहुत कठिन निर्णय था । यह अच्छा निर्णय नहीं था । परन्तु यह भी देखना होता है कि यदि प्रशासन ने इस प्रकार कार्यवाही न की होती तो इसके क्या परिणाम होते । इससे निश्चय ही दिल्ली नगर में कोई आन्दोलन आरम्भ हो जाता और उसके परिणामस्वरूप स्थिति खराब हो जाती । हम जानते हैं कि उससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और हमें इसका खेद है परन्तु देश के हित में कार्यवाही करनी पड़ती है . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह समाचार चिन्ताजनक है और गृह-कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह भी उतना ही चिन्ताजनक है । जब हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मुरारजी देसाई ने अहमदाबाद में 1956 में भूख हड़ताल की तो उस समय वह बम्बई के मुख्य मंत्री थे । वर्तमान गृह-कार्य मंत्री उस समय बम्बई प्रशासन में थे परन्तु श्री मुरारजी देसाई को गिरफ्तार नहीं किया गया था । परन्तु इस मामले में सरकार ने अनुचित जल्दबाजी की है । जब हम ने एक और चिन्ताजनक समाचार सुना है । डा० अणे ने उपवास रखने की घोषणा की है । मैं सभा की ओर से आप को निवेदन करता हूं कि श्री अणे को उपवास न करने के लिए निवेदन करें, क्या गृह-कार्य

मंत्री यह आश्वासन देंगे कि यदि आज डा० अणे उपवास रखें तो कल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की ओर से डा० अणे से प्रार्थना करता हूं कि वह उपवास आरम्भ न करें ।

Shri Prakash Vir Shastri: You should ask the Prime Minister to ban cow-slaughter.

डा० श्री मा० श्री अणे : सात दिन तक प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करती है ।

Shri Maurya (Aligarh): Equitable protection and equality before the law have been provided in the Constitution. Hunger strikes had been undertaken previously also. Why have the Government not tried to persuade Shri Shankracharya as had been done previously in other cases? In a previous case you have been asked by the Government to persuade the hunger striker.

It has become the policy of the Government to create tension and use force afterwards, then announce a decision. This was done previously in the case of Bombay, Gujarat, Andhra, Punjab, Hariana as well as in the case of goldsmiths. Why do the Government not announce the decision in the first instance?

Mr. Speaker: I would like to clarify that I was not sent by the Government or the Minister.

Shri Maurya (Aligarh): May I know whether there is any change in policy. A person who undergoes fast for a single day is arrested.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में कोई ऐसी नीति नहीं है जिसमें परिवर्तन न किया जा सके । स्थिति के अनुसार कार्यवाही करनी होती है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य से यह मालूम होता है कि यह सूचना दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है और यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की नहीं अपितु दिल्ली प्रशासन की हिदायतों के अनुसार की गई थी । इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि कोई वर्ग अपनी शिकायतें बताना चाहता है तो भूख हड़ताल अथवा सामान्य हड़ताल अथवा देश व्यापी आंदोलन नहीं किया जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब नीति सही होगी और सरकार देश में भूखहड़ताल की अनुमति नहीं देगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है । मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

Shri K. D. Malaviya (Basti): The news of fast by Jagadguru Shankracharya has been a cause of anxiety for all of us. After the decision of his detention most of us thought that the Government was compelled to take an unhappy decision. The Government is aware of anxiety amongst the Hindus. I would, therefore, suggest to the Government to send a few senior members of the Congress and other parties to request the Shankracharya to end his fast.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हम विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं कि श्री शंकराचार्य को उपवास न करने के लिए मनवाने के लिए क्या विशिष्ट प्रयत्न किये गये हैं । हम यह भी जानना चाहते हैं कि उन सभी राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की नीति का समर्थन

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है जिन्होंने उस नीति का पालन नहीं किया है जोकि संविधान में भी शामिल है ? सभी राज्य सरकारों द्वारा समर्थन प्राप्त करने और श्री शंकराचार्य को अपना उपवास समाप्त करने के लिए मनवाने के लिए अब क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं उन्हें मिला नहीं हूं । मैं उन्हें मनवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं मिला हूं । परन्तु उनके वक्तव्यों से हमें मालूम होता है कि वह इसे नहीं मानेंगे । विभिन्न राज्यों के साथ नीति के पालन के बारे में प्रयत्न जारी रहेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): The Home Minister has stated that the Delhi Administration feared violence. Jagadguru Shankracharya is an apostle of non-violence. May I know the basis of such an apprehension by the Government?

Mr. Speaker: That question has been answered.

Shri Paliwal (Hindaun): Representatives of different sections of this House including the Communists should try to persuade the Shankracharya. I do not think it will be proper for the Government to do so.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : मैं अपने दल की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग और इस प्रकार के अन्दोलन का समर्थन नहीं करते हैं । फिर भी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यद्यपि गिरफ्तारी के निर्णय के लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है तथापि उन्हें पाण्डिचेरी ले जाने का निर्णय केन्द्रीय सरकार के समर्थन तथा सक्रिय सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता था । इसलिए मैं गृह-कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उनको वहां भेजे जाने का क्या कारण है । यदि श्री शंकराचार्य के कारण तनाव होता है तो उन्हें उत्तर भारत से दक्षिण भारत भेजने का क्या लाभ है ।

Shri Priya Gupta (Katihar): While coming from Old Delhi Railway Station I heard a few middle aged persons saying that from the arrest of the Shankracharya it appears that it will be better for the Hindus to convert to Muslim and Sikh religions because the Government is scared of acting against the minorities due to their aggresiveness. The Government was scared of arresting Sant Fateh Singh when he undertook fast. Are the Government aware of such feelings amongst the Hindus? If so, action taken to remove such feelings?

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): May I know whether the Government are aware that all the Shankracharya enjoy the same respect amongst the Hindus as is enjoyed by the Pope amongst the Christians? Why did the Home Minister refer to him as "Shri Niranjan Dev". He should have been addressed as "Jagadguru Swami Shankracharya Maharaj".

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : भारत में कई जगदगुरु तथा शंकराचार्य हैं । उनकी पोप के साथ कोई समानता नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: This decision of the Government is against the Constitution. I leave the House in protest against this decision of the Government.

(इसके पश्चात् , श्री प्रकाशवीर शास्त्री सभा भवन से बाहर चले गये)।

(Shri Prakash Vir Shastri then left the House).

Shri Bade: We want Shri Chavan to go to the Shankracharya to persuade him.....

Mr. Speaker: The hon. Member may kindly sit down.

Shri Bade: We are unable to work here in the present circumstances. Therefore we are leaving the House.

(इसके पश्चात् श्री बड़े तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(The Bade and some other hon. Members then left the House)

केरल विनियोग (संख्या 3)विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ल० ना० मिश्र): मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :- "कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक,

KERALA APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के नियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 to 3, the Schedule, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य के क्रम के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कल निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक लिया गया था परन्तु आकस्मिक ही कार्य सूची में परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक लगभग 4 बजे लिया जायेगा। ऐसा केवल उन कांग्रेस सदस्यों की सुविधा के लिए किया गया है जिन्हें संविधान विधेयक पर मत देने के लिए यहां आने के लिए कहा गया है। इस प्रकार कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप सभा-नेता से पूछें कि जब उन्होंने पिछले मंगलवार से आज तक इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने की मांग की तो उस भेद को अपने दल तक सीमित क्यों रखा। मुझे विश्वास सूत्रों से पता लगा है कि उनके दल के सभी सदस्यों को बताया गया परन्तु सभा में उसकी निश्चित घोषणा नहीं की गई। उन्हें सभा-नेता के रूप में व्यवहार करना चाहिए और यहां यह वक्तव्य देना चाहिए था कि उसे मंगलवार को लिया जायेगा।

संसदीय तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं ने बताया था कि संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार तथा उसको पास किये जाने का काम मंगलवार अर्थात 22 नवम्बर, 1966 को हाथ में लिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गत मंगलावर जब विधेयक पर चर्चा स्थगित की गयी थी, उसी दिन दल के सदस्यों को बताया गया था कि इसको अब अगले मंगलवार अर्थात आज लिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम सहमत हैं। परन्तु इसको निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के पश्चात् 3.30 बजे लिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यह भी कार्य सूची पर है।

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966

तथा

लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद

पुनः आरम्भ करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: RESUMPTION OF DEBATE ON CONSTITUTION (TWENTY-FIRST) AMENDMENT BILL AND REPRESENTATION OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि .....

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : किस नियम के अन्तर्गत वह यह प्रस्ताव रख रहे हैं ? उनको नियम बताना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Please quote the number of rule.

अध्यक्ष महोदय : नियम 184 के अन्तर्गत वह वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इन प्रस्तावों पर 'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' और 'कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर,

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदत रूप में, विचार किया जाये' , वाद-विवाद जो 15 नवम्बर, 1966 को स्थगित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इन प्रस्तावों पर 'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' और 'कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये', वाद-विवाद जो 15 नवम्बर, 1966 को स्थगित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा 8 नवम्बर, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्तावों पर आगे विचार करेगी :—

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

'कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पर अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक पर मतदान किस समय होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के तुरन्त पश्चात्। इसलिए यदि माननीय सदस्य उपस्थित रहना चाहते हों, तो उस समय उपस्थित रहें ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस सभा में किसी भाषण में भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया गया है और इसलिए मैं यह समझता हूं कि सभा सामान्यता इस पर सहमत है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : हम सभी इसके लिए उत्सुक हैं कि उच्च न्यायालय को शक्तियां दी जायें और उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना है । हम चुनाव न्यायाधिकरण नहीं चाहते । परन्तु हम यह चाहते हैं कि न्याय तथा शीघ्र परीक्षण के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान की जाये कि वह मुख्यालय से बाहर जाकर भी मामले सुने । इस प्रयोजन के लिए

एक विशिष्ट खण्ड विधेयक में जोड़ दिय। जाना चाहिये। इस स्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक से सम्बन्धित है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि उच्च-न्यायालय अपना स्थान बदलती रहे। उत्तर प्रदेश में 52 जिले हैं और यदि उच्च न्यायालय एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहेगा तो यह उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं होगा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायें न कि समस्त उच्च न्यायालय ।

श्री नि० चं० चटर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि उच्च न्यायालय एक जिले से दूसरे जिले में जायें। मैं यह चाहता हूं कि संयुक्त समिति द्वारा जिस परन्तुक की सिफारिश की गई है कि उच्च न्यायालय को यह विवेक होगा ..... यह बात पूर्णतया न्यायाधीशों पर छोड़ दी गई है कि वे मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बैठें ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि कुछ सदस्यों ने अपने भाषणों में इसका समर्थन नहीं किया है। यह ऐसा मामला है जिस पर सभा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक सम्बन्धी संशोधन पर विचार करेगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या वह उच्च न्यायालय को यह विवेक देने के भी विरोधी हैं कि यदि न्याय के हित में उच्च न्यायालय किसी अन्य स्थान पर जाना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है ? क्या मंत्री महोदय इतना आश्वसन देने को भी तैयार नहीं हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सभा में किये गये भाषणों से आमतौर पर यह लगता है कि सदस्य सामान्यता इस बात से सहमत हैं कि चनाव सम्बन्धी मामलों से न्यायाधिकरण के बजाय उच्च न्यायालय को निपटना चाहिए ।

कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि एक-सदस्य चुनाव क्षेत्रों के बजाय द्वि-सदस्य चुनाव क्षेत्रों का प्रश्न पुनः संयुक्त समिति को भेज दिया जाये । मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि 1961 में, 1961 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा द्वि-सदस्य चुनाव क्षेत्र समाप्त कर दिये गये थे और सभा का यह दृष्टिकोण था कि केवल एक-सदस्य वाले चनाव क्षत्र ही होने चाहिएं। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 भी एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्रों के बारे में है। यदि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को उसी संयुक्त समिति के पासन : भेज दिया जाय तो समिति यह निर्णय देगी कि संशोधन करने वाले विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो कि इस विषय के बारे में हो। और इस लिये वह इस प्रश्न पर विचार नहीं करेगी।

चुनाव याचिकाओं के विलम्ब के बारे में स्थिति इस प्रकार है । अन्ततः सभा को ही निर्णय करना है कि संशोधन पर कब विचार किया जाये । यह प्रस्ताव कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायें, व्यवहार्य नहीं है। पुस्तकालय, स्थान तथा अन्य कई बातों की कठिनाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सुझाव यह नहीं है कि कोई निदेश दिया जाये अथवा कानून पास किया कि न्यायाधीश याचिकाओं की सुनवाई के लिए उसी जिले में जायें जहां से वह की गयी हो। सुझाव

यह है कि जब स्वयं न्यायाधीश लोक हित में किसी स्थान की जांच तथा गवाहों की सुनवाई के लिये अन्य स्थान पर जाना उचित समझें तो उनको ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सभा इस पर निर्णय करने में स्वतन्त्र होगी । मैंने इस मामले में उच्च न्यायालय तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया है । वे इसका विरोध करते हैं । उनका विचार है कि यदि वे किसी विशिष्ट मुकदमे में विवेक का प्रयोग करें और यह निर्णय करे कि उच्च न्यायालय के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में न्यायालय ले जाना उचित है, तो अन्य मुकदमों में भी इसके लिये अनुरोध किया जायेगा । इससे समय भी नष्ट होगा । गवाहों को उच्च न्यायालयों तक ले जाने में जो खर्च होगा, उसकी अपेक्षा में नई प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिक बचत होगी । कार्यवाही भी प्रति दिन होगी । यदि उच्च न्यायालय प्रति दिन मुकदमों की सुनवाई नहीं करता तो इसके लिये उसको कारण बताने होंगे । प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश केवल चुनाव सम्बन्धी मुकदमों की ही सुनवाई करेंगे ।

श्री नि० चं० चटर्जी : हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है ? यदि किसी मुकदमे की सुनवाई 600 मील दूर हो रही हो और उसमे 200 गवाहों को लाया जाना हो तो क्या आप उन सब गवाहों को उच्च न्यायालय के मुख्यालय में लाने की मांग कर सकते हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : कुछ सदस्यों ने राजकुमारों तथा धनी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का प्रश्न उठाया है । संसद सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है इसलिये सरकार किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य कर देने के लिए तैयार नहीं है कि उक्त व्यक्ति के पास कोई विशेष पद है अथवा उसके पास विशेष मात्रा में धन है । यह प्रश्न भी उठाया गया है कि केवल नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध में दोषसिद्ध होने पर अनर्हता होनी चाहिए । वर्तमान अधिनियम में नैतिक पतन जैसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है । यह एक अस्पष्ट शब्दावली है इसको विधेयक में नहीं रखा जाना चाहिए ।

जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, उसने इस सारी अवधि में बहुत ईमानदारी तथा ऊंचे सिद्धान्त का परिचय दिया है । उसने अत्यधिक कार्यकुशलता से काम किया हैं और वह प्रशंसा का पात्र है । यदि आयोग ने अपनी शक्तियों के क्षेत्राधिकार का किसी तरह उल्लंघन किया था, तो असन्तुष्ट (हारे हुए) पक्ष को उच्चतम न्यायालय में जाकर उस आदेश को रद्द करवाने की छूट थी । इसलिए, निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाने का जो प्रयत्न किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं है ।

जहां तक सरकारी व्यवस्था (मशीनरी) का सम्बन्ध है, इस अधिनियम में ऐसे पर्याप्त उपबन्ध हैं जो सरकारी व्यवस्था के किसी प्रकार के दुरुपयोग के विरुद्ध लोगों के हितों की रक्षा करते हैं । सेवा-नियम ऐसे हैं जिनसे सरकारी अधिकारी ऐसे किसी चुनाव-कार्य में भाग नहीं ले सकते जो इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के प्रतिकूल हो । इसलिए इस आक्षेप में भी औचित्य नहीं है कि चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है ।

जहां तक चुनाव पर किये जाने वाले खर्च का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर कानून लागू नहीं किया जा सकता । इस मामले में केवल हमारे ही देश में नहीं अपितु अन्य देशों में भी

कठिनाई पैदा हुई है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए निर्वाचन सम्बन्धी नैतिकता तथा जनमत का विकास किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस विधेयक को सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 263 ; विपक्ष में 5

Ayes 263; Noes 5

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत-दान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

खण्ड 2- (अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान में संशोधन करने का प्रश्न केवल तब उठा हैं जब निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की कि भविष्य में निर्वाचन याचिकाएं निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा नहीं अपितु उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जायें । इस अधिनियम बनने के 15 वर्ष बाद निर्वाचन आयोग ने न्यायाधिकरणों के फैसले तथा उनके विरुद्ध उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों तथा उन पर दिये गये निर्णयों के आधार पर आज यह विचार किया कि निर्वाचन याचिकाओं से उत्पन्न विवाद न्यायाधिकरणों द्वारा नहीं सुने जाने चाहिएं । किन्तु ऐसी याचिकाओं को सुनने का मूल अधिकार उच्च न्यायालयों को दी जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यायाधिरकरणों की नियुक्ति सम्बन्धी उपबन्ध को हटा कर अनुच्छेद 324 में संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। कुछ समय पश्चात् यदि सभा यह चाहे कि याचिकाओं को सुनने का अधिकार उच्च न्यायालयों को नहीं अपितु न्यायाधिकरणों को दिया जाना चाहिये, तो फिर क्या होगा ? संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं होगा जिससे कि संसद ऐसी शक्तियों को निर्वाचन आयोग को दे सके । इसलिए मेरे संशोधन में केवल यह व्यवस्था हैं कि जब कभी यह सभा न्यायाधिकरण को यह शक्ति दे, तो उस समय न्यायाधिकरण की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए । जब कभी न्यायाधिकरण को वह शक्ति न दी गई हो, तो वह शक्ति उच्च न्यायालय में ही निहित रह सकती है । अनच्छेद 329 के अन्तर्गत, इस सभा को ही यह निर्णय करना होता है कि निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई कौन प्राधिकार करेगा।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने इस संशोधन पर पूरी तरह विचार किया है और मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा उपबन्ध करने से कठिनाइयां पैदा होंगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 269 ; विपक्ष में 2

Ayes 269; Noes 2

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 1 के सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

Amendment made.

पष्ठ 1, पंक्ति 3, में "Twenty-first" ["इक्कीसवां"] **शब्द के स्थान पर**

"Nineteenth" ["उन्नीसवां"] **शब्द रखा जाये ।**

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

विनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 272 ; विपक्ष में कोई नहीं

Ayes 272; Noes Nil.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों क कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक----जारी

REPRESENTATION OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी । इस विधेयक को फिर से संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में श्री इस्माइल का एक संशोधन है जिसे मैं सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मूल प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :–

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत का एक संशोधन है । वह अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जम्मू तथा काश्मीर के उन क्षेत्रों के जो पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रतिनिधत्व के बारे में अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान में यह उपबन्ध है कि जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में 25 स्थान उस समय तक रिक्त रहेगें जब तक कि उस इलाके को, जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, हमारे अर्थात् भारत द्वारा मुक्त नहीं किया जाता हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जम्मू तथा काशमीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए वर्तमान विधेयक में जम्मू तथा काशमीर के संविधान के उपबन्ध की भांति यह उपबन्ध होना चाहिए कि जब तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य के वे क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं मुक्त नहीं हो जाते और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुन पाते, लोक सभा में दो स्थान रिक्त रहेगें और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का परीसीमन करते समय इन क्षेत्रों को निकाल दिया जायेगा।

संयुक्त समिति में जब इस प्रश्न को उठाया गया था, मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश का उल्लेख किया था किन्तु निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि लोक सभा में जम्मू तथा काश्मीर के स्थानों का परीसिमन करते समय उस राज्य के अधिकृत क्षेत्र को शामिल नहीं किया जायगा। यह आदेश संसद् को उस अधिकृत क्षेत्र के लिए दो स्थान नियत करने के अधिकार से वंचित नहीं करता है। इस आदेश का अन्यथा अर्थ लगाये जाने पर वह संविधान के विरुद्ध है। इसलिए मेरा तीव्र अनुरोध है कि हमारे संविधान के हित में, जम्मू तथा काश्मीर के लोगो के हित में, काश्मीर और भारत संघ के शेष भाग के बीच सम्पूर्ण राजनैतिक एकीकरण के हित में और जम्मू तथा काश्मीर के लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के उद्देश्य से अब समय आ गया है जबकि जम्मू तथा काश्मीर के इस अधिकृत क्षेत्र को दो स्थान देने के सम्बन्ध में संसद् इस ढंग से कानून बनाये।

अतः मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इन सभी पहलुओं पर विवचार करते हुए मेरे संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस संशोधन के पीछे जो भावना है उस से मैं पूरी तरह सहमत हूं, किन्तु कठिदाई यह है कि वह संविधान के विरुद्ध है। जो इलाका पाकिस्तान के अवैध अधिकार में है वह अनुसूची के अन्तर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र का भाग है, किन्तु जहां तक स्थानों की संख्या का सम्बन्ध है निर्वाचन स्थानों का उल्लेख किये बिना स्थान नियत नहीं किये जा सकते, पहले निर्वाचन क्षेत्र का होना जरुरी है फिर स्थान दिया जायेगा, अनुच्छेद 81 का यही उद्देश्य है। हमारे संविधान निर्माता जम्मू तथा काश्मीर के संविधान में बनाये गये उपबन्ध की भांति हमारे संविधान में यह व्यवस्था भी कर सकते थे कि यद्यपि वहां कोई निर्वाचन क्षत्र नहीं है तथापि स्थान आरक्षित रखे जायेंगे किन्तु हमारे संविधान में इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने अपने आदेश में संविधान के अनुकूल ही यह कहा है कि जहां तक पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह किसी निर्वाचन क्षेत्र का भाग नहीं होगा, इसलिए किसी ऐसे इलाके के लिए जो एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, किसी सदस्य को नहीं रखा जा सकता। फिर इस क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारे संविधान में स्पष्ट उपबन्ध है कि वहां कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा इसलिए मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 80 मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 9; विपक्ष में 82

Ayes : 9; Noes : 82.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 8 के अस्वीकृत हो जाने के कारण संशोधन संख्या 69 अर्थात् खण्ड 3 क नया अब प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

खण्ड 4—(धारा 7 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 70 तथा 71 प्रस्तुत करता हूं।

नागालैंड विधान सभा के लिए चुनावों के बारे में दो भिन्न भिन्न प्रणालियों की व्यवस्था वहां कुल 46 स्थान हैं जिनमें से 40 स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा और शेष 6 स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की एक विचित्र प्रणाली अथवा प्रक्रिया अपनाई गई है, जो वांछनीय तथा स्वस्थ नहीं है।

सब से पहले मैं अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जो उपबन्ध है उसे हटाना चाहता हूं। यदि यह स्वीकार नहीं है तो मेरे पास उसका विकल्प है जिसे मैं उसके साथ ही पेश करता हूं। यदि पहला स्वीकार नहीं है तो मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा दूसरा संशोधन मान लें। क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों को इतनी स्वाधीनता होनी चाहिये कि वे नागालैण्ड की असेम्बली के लिये अपने से बाहर के व्यक्ति का चुनाव कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस से क्यों बचना चाहती है। मेरी यह इच्छा तो है कि सारी प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हो परन्तु यदि यह स्वीकार नहीं है तो मेरा तूसरा संशोधन संख्या यह 71 सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं श्री कामत का समर्थन कर सकता हूं। उनके संशोधन संख्या 70 में कुछ शक्ति है। हमें वह कार्य करने चाहियें जिस से देश में एकता की शक्तियों का प्रोत्साहन हो तथा हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिस से देश में फूट डालने की शक्तियों को बल मिले। मेरी समझ में नहीं आता कि नागालैण्ड के लिए दो प्रकार के प्रतिनिधि क्यों हों—एक तो एक जिले के लिये और दूसरे अन्यों के लिये। यह उचित नहीं है। जब तक हम सारे काश्मीर को जिसमें पाकिस्तान द्वारा हड़पा हुआ भाग भी है को एक इकाई नहीं मानेंगे और उसपर अमल करेंगे तथा नागालैण्ड को भी एक ही स्तर पर रखेंगे, हम देश की एकता को हानि पहुंचायेंगे। इस लिये यही अच्छा है कि सारे 46 स्थानों के लिये प्रत्यक्ष चुनाव की ही पद्धति को स्वीकार कर लिया जाये। क्या कारण है कि प्रत्यक्ष चुनाव केवल 40 स्थानों के लिये ही हो।

श्री कामत का दूसरा प्रश्न यह है कि सारे 46 स्थानों का चुनाव इसी प्रकार से हो जिस प्रकार सारे भारत में केन्द्रीय संसद् तथा राज्यों में विधान मंडलों के लिये होता है। यह हमारे संविधान के अनुसार होगा तथा उस भावना के अनुकूल होगा जो लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक में है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Deputy Speaker, I support this amendment because we should not run away from democratic system. If the Law Minister also believes in the democracy, he would accept this amendment.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Mr. Deputy Speaker, if we talk of direct election in Nagaland, it would mean that 60 per cent population of that place will be able to get entry into administration. This amendment has been brought to keep them away who have ruled thus far and who constitute only 40 per cent of the population.

There should be one set of rules in India and not two set of rules. If there are two set of rules it will lead to disintegration.

I would request Shri Pathak to accept this amendment.

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): मैं संशोधन को इसलिये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इसमें उन परिस्थितियों की उपेक्षा की गई है जो नागालैण्ड के एक भाग में विद्यमान हैं। यदि आप अनुच्छेद 371 क को पढ़े तो पता चलेगा कि त्वेनसांग क्षेत्र तथा नागालैण्ड के अन्य भागों में एक भेद उत्पन्न किया था। संसद् के विचार में यह था कि त्वेनसांग पर एक भिन्न रूप से प्रशासन होगा तथा विधान सभा में जो हैं उनकी संख्या केवल 46 होगी तथा अन्य भागों में चुनाव का जहां तक संबन्ध है वह क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा होगा जिन्हें इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थापित किया है। जहा तक 6 स्थानों का संबंध है उन्हें चुनाव से नहीं भरा जायेगा अपितु क्षेत्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से ही उन्हें भरेंगे।

इसलिये इस विधेयक में जो कुछ किया है वह संविधान के अनुसार ही होगा। इसी कारण मैं इन संशोधनों का विरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन संख्या 70 तथा 71 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70 और 71 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 70 and 71 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 से 8 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 5 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9–(धारा 21 का संशोधन)

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सभा के सामने है ।

Shri Madhu Limaye: The purpose of my amendment is that electoral rolls should be necessarily revised before each general election. We may avoid it before the bye-election. But we should do so before general election. I hope the Law Minister will accept it.

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं इस संशोधन को इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि संयुक्त समिति ने धारा 21 को बहुत व्यापक रूप से बनाया है। इसके लिए काफी बचाव है। इसलिए मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 25 को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 25 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

नये खण्ड 9क के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : नये खंड 9क के लागू करने के बारे में एक संशोधन है। यह नियम बाह्य है। यह संशोधन धारा 22 के लिए है जिसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। इस लिए यह नियम बाह्य है ।

खण्ड 10 धारा 23 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 27 को प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन सभा के सामने है ।

Shri Madhu Limaye: My amendment seeks to insert that in case, the electoral registration officer rejects any application for inclusion in the electoral roll, he shall record the reasons for doing so in writing. The Minister should not have any objection to it.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि जब तक चुनाव रजिस्टर करने वाला अधिकारी उन कारणों को लिखेगा नहीं तो उच्च अधिकारियों को रद्द होने के कारणों का पता ही नहीं चलेगा। इसकी अधिनियम में ही व्यवस्था होनी चाहिए। इससे अपीलीय प्राधिकारियों को भी सहायता मिलेगी ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इन्हें नियमों में शामिल कर लिया जायेगा तो ठीक होगा ।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। रजिस्ट्रेशन अधिकारी को मन मानी नहीं करनी चाहिए। उसे रद्द करने के कारण देने चाहिएं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशांगबाद) : मैं भी श्री मधु लिमये के उचित संशोधन का समर्थन करता हूं।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं संशोधन के सिद्धान्त से सहमत हूं परन्तु मैं इसे नियमों में शामिल करूंगा।

Shri Madhu Limaye: In the light of the hon. Minister's assurance, I do not press my amendment.

संशोधन संख्या 27, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

Amendment No. 27, was by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 (धारा 20 का संशोधन)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं। वर्तमान धारा में रजिस्ट्रेशन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था है। मुख्य चुनाव अधिकारी जिला मुख्यालय में रहता है। इसलिए यदि कोई रजिस्ट्रेशन अधिकारी किसी नाम को रद्द कर दे तो उसके लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इसलिए यह संशोधन है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह हक हो कि एक स्थानीय अधिकारी ऐसी प्रार्थनाओं को जिले के स्तर पर ही सुन ले। इससे अपील करने वालों को सुविधा होगी।

श्री श्याम लाल शर्राफ : जिला निर्वाचन अधिकारी के होने से, कठिनाई दूर हो जायेगी।

श्री श्रीनारायण दास : यह तो संभव नहीं है। विधेयक में विशेष व्यवस्था है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जायेगी।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि इसे मान लिया गया तो वह अधिकार बहुत विस्तृत होंगे। हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी में विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि वही अपील सुने। मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरा प्रश्न यह है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं क्या यह उनका कार्य होगा? यदि ऐसा है तो यह समस्या हल हो जायेगी।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं श्री सर्राफ के प्रश्न पर नियम बनाते समय विचार करूंगा। परन्तु वर्तमान संशोधन का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा करने से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बहुत अधिकार देना होगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया उपाध्यक्ष-महोदय द्वारा
संशोधन संख्या 49 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 49 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12 (धारा 28 का संशोधन)

Clause 12 (Amending Section 28).

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं आपका ध्यान 1950 के मूल अधिनियम की ओर खींच सकता हूं । इस समय हमारा सम्बन्ध 1950 तथा 1951 के अधिनियमों से है । कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य जिन में श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री भी शामिल हैं ऐसे विचार व्यक्त किये हैं कि चुनावों को स्थगित करना पड़े । यदि यह बात सत्य है तो संविधान में इसके लिए संशोधन करना होगा ।

अब धारा 28 के बारे में नियम बनाने के अधिकारों का जिक्र है जिसे विधेयक के खंड 12 के द्वारा संशोधन किया जा रहा है ।

उस धारा के खंड 2 का संशोधन किया जा रहा है । परन्तु यह निर्णय दिया जा चुका है कि यदि किसी धारा के किसी भाग का संशोधन होता हो तो उस सारी धारा पर चर्चा हो सकती है ।

जिनका संसदीय ढंग के लोकतन्त्र में विश्वास है तथा निर्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव कराना चाहते हैं वह यह भी चाहते हैं कि कार्यपालिका जो भी नियम बनाये वह सदन के सामने आने चाहिएं । परन्तु इस मामले में सरकार का दोष है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मैं इस विचार की भावना से सहमत हूं परन्तु एक प्रथा है कि जो नियम किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जाता है उसे सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । इसलिए सभा को कोई भी त्रुटि बताते हुए रोका नहीं जाता है । इसलिए सदस्य महोदय को यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो इस समय कह सकते हैं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरे वविचार में तो चुनाव के मामले में नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कानून ।

इन नियमों के मसौदे को अन्तिम रूप देने से पूर्व सदस्यों में परिचालित किया जाना चाहिए ताकि इनको अन्तिमरूप दिये जाने के समय मंत्री महोदय को सदस्यों की प्रतिक्रिया भी मालूम हो ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब तक राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों पर अनुमति नहीं दी जाती मैं इनको सभापटल पर नहीं रख सकता । मैंने चुनाव आयोग के विचार जानने के लिए पहले ही अनुदेश दे दिये हैं । इन नियमों को परिचालित नहीं किया जा सकता । मैं केवल यही आशा करता हूं कि

हम इस विधयक को शीघ्रता से पास करें ताकि राज्य सभा भी इसको शीघ्रता से पारित कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 से 19 विधयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 13 to 19 were added to the Bill

खंड 20

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभगा) : मैं संशोधन संख्या 51, 52, 53, 54, 55 और 56 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं संशोधन संख्या 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): मैं संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 13 पंक्ति 8 में निम्नलिखित रखा जाये :—

"Exalanation.—For the purposes of this section where a contract entered into by a person himself or by any person or body of persons referred to in this section with the appropriate Government or with any company or corporation (other than a io-operative society) referred to in this section, has been fully performed by the person himself or by the person or body of persons as aforesaid, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the appropriate Government or such company or corporation has not performed its part of the contract either wholly or in part."

"**व्याख्या**:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी व्यक्ति द्वारा स्वय अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है उपयुक्त सरकार अथवा किसी कम्पनी अथवा निगम (सहकारी समिति के अतिरिक्त) जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है, के साथ किये गये करार को उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह पालन किया गया है तो केवल इस कारण कि इसका उपयुक्त सरकार अथवा ऐसी कम्पनी अथवा निगम द्वारा करार के किसी भाग का पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से पालन नहीं किया गया है ।

इस करार को लागू हुआ नहीं समझा जायेगा । (63)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या 72, 73 और 75 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामत द्वारा दिया गया संशोधन संख्या वही है जोकि संशोधन संख्या 52 है । इसलिए यह अवरुद्ध है । ये समस्त संशोधन तथा खंड सभा के समक्ष हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : जब तक सरकारी कर्मचारी सरकार की सेवा में हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरा संशोधन यह है कि नौकरी छोड़ने के एक वर्ष बाद तक उनको चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिए । इसका कारण बहुत साधारण है । इनको सरकार की बहुत सी गुप्त बातें मालूम होती हैं । इसलिए कुछ अवधि निर्धारित की जानी चाहिए ।

दूसरे कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच इत्यादि का कार्य चल रहा होता । वह नौकरी छोड़ देते हैं इस प्रकार के चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते हैं ।मैं चाहता हूं कि जब तक ऐसा जांच कार्य पूरा न हो जाये अथवा सरकार जांच वापस न ले ले, 'ऐसे कर्मचारियों को चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिये इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : यदि किसी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष की कारगार होती है तो उस व्यक्ति को ऐसे दोषी ठहराये जाने की तिथि से चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिये और ऐसा उसके रिहा हो जाने की तिथि से छः वर्ष बाद तक वर्जित रहना चाहिये ऐसे व्यक्ति कानून को तोड़ते हैं इसलिये उनको आसानी से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिये ।

मेरा संशोधन संख्या 52 इस बारे में हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्ट प्राथाओं के कारण दोषी सिद्ध हुआ हो उसको कम से कम दो आम चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । छः वर्ष की वर्तमान अवधि बहुत कम है ।

मेरा तीसरा संशोधन इस बारे में है कि किसी भी ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात तक चुनाव लड़ने की अनुमति नही दी जानी चाहिए क्योंकि वह विधान सभा तथा संसद में आकर सरकार पर प्रभाव डाल सकेगा ।

मेरा अगला संशोधन यह है कि यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता के दौरान नियम भंग करने तथा अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करने के कारण सभा से तीन बार निलम्बित किया जाता है तो उसको सदस्यता की समाप्ति की तिथि में छः वर्ष तक के लिये चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये । मेरा संशोधन किसी व्यक्ति अथवा दल के विरुद्ध नहीं है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि वह श्री कामत के इस संशोधन को जिस में चोर बाजार करने वालों तथा मुनाफाखोरो को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के लिये कहा गया है, स्वीकार की जानी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I propose my amendment No. 28 which seeks to insert words "involving moral turpitude" after "offence in page 20, line 10." Sub-section 2 in the present form reads:

"A person convicted by a court in India for any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years shall be disqualified . . ."

If that test is applied, even the late Prime Minister of India would come under purview of it because he was convicted a number of times during

British regime. Similarly, under our own Government, the present Minister of Planning, while he was a member of our own party,offered civil disobedience in 1953. He was convicted of that offence. I would suggest only those persons should be declared unqualified on the ground of conviction, who are convicted of ocences involving moral turpitude.

My second amendment seeks to disqualify a person from contesting the election, if he is a prince who draws privy purse from the Government, unless he intimates the Government before the last day for filing nomination that he has foregone his right to receive the purse under the Constitution.

The Swatantra Party is accused of being a party belonging to the princes and capitalists, but in fact there are more princes and princesses on the Congress benches. Similarly, more capitalists are with the Congress than they are with the Swatantra Party. The princes come under the pressure of the Congress because of privy purses. If they give up the purse, they will become free citizens. In England the Lords are not allowed to contest the election to the House of Commons.

श्री हरि विष्णु कामत (होशगांबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 20 इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्णखण्ड है क्योंकि इसमें यह आश्वासन दिलाने का प्रयत्न किया गया है कि हमारे देश में विधि बनाने वाले निकायों में पूरी मानवीय क्षमता के अनुसार ईमानदार स्त्री तथा पुरुष लगाये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि यह उपबन्ध रखा जाये कि कोई भी व्यक्ति जिस पर जमाखोरी, मुनाफा खोरी, चोर बाजारी अथवा खाद्य या औषध में मिलावट का अपराध भारत के किसी न्यायालय द्वारा उचित अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध किया गया है, ऐसी दोष सिद्धी की तिथि से अयोग्य ठहराया जायेगा और रिहाई के बाद आगामी छः वर्षों के लिए अयोग्य रहेगा, चाहे न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड कुछ ही हो।

मेरा अगला संशोधन संख्या 13 है। यह भी एक महत्वपूर्ण संशोधन है क्योंकि वर्तमान विधि के अनुसार चुनाव आयोग इस अध्याय में दी गई अनहर्ताएं समाप्त कर सकता है। अथवा उनकी अवधि कम कर सकता है। मोटे रूप से, चुनाव आयोग ने अनुचित व्यवहार नहीं किया है परन्तु हाल ही में एक ऐसा मामला था जब इस सभा का एक सदस्य को जिसे भ्रष्ट आचरण के लिए उच्च न्यायलय ने पदच्युत तथा अयोग्य करार दिया था तथा उसकी बड़ी निन्दा की थी। उन्हें अपनी अनर्हता के छः मास से कम अवधि के अन्दर उपचुनाव लड़ने के योग्य बना दिया गया था अब वह उप गृहकार्य मंत्री हैं। इसलिये अनर्हता सम्बन्धी खण्ड में इस प्रकार से संशोधन करना आवश्यक है जिस से यह निश्चित हो कि वह उम्मीदवार, जिसे समान्य चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया गया हो, उस उपचुनाव में नहीं खड़ा हो सकेगा जो भ्रष्ट आचरण के लिए अनर्हता के कारण उसे पदच्युत किये जाने पर अधिसूचित किया गया हो, सभा को प्रत्येक मामले में सम्पूर्ण प्रमुख-पन्न अधिकार हैं, यदि वह किसी सदस्य को सभा की सदस्यता के अयोग्य समझती है तो वह उसे निकाल बाहर कर सकती है।

मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं श्री त्यागी के इस विचार का विरोध करता हूं कि अपनी सरकार का विरोध करना नैतिक पत्तन है। बुराई का विरोध करना तथा भ्रष्ट, अदक्ष और बेईमान सरकार के साथ लड़ना हमारा उसी प्रकार धर्म है जैसे राजद्रोह गांधीजी के लिये धर्म है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री(श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं व्यक्तिगत मामले पर एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं न्याधिपति कृष्णन के निर्णय में विधि जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी हुई .....

श्री हरि विष्णु कामत : उच्च न्यायालय की आलोचना नहीं की जानी चाहिये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई यह अपील अनर्हता दूर करने के लिए की गई थी । श्री हरि विष्णु कामत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय में से उल्लेख आंशिक रूप से किया है । मैं इसका पूरा उल्लेख करना चाहता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I rise on a point of order. Shri Shukla has said that the judgment of the High Court surprised everybody who know law.....Article 121 of the Constitution says:

> "No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the judge as hereinafter provided."

My submission is that these words should be expunged from the proceedings of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने उच्च न्यायलय के न्यायाधीश पर आलोचना करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है ।इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हनुमन्तैया : जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है हम इस सम्बन्ध में न्यायाधीश पर आक्षेप नहीं लगा सकते । हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए चर्चा करने का यह तरीका उचित नहीं है । कानूनी स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद उस पर आलोचना कर सकता है किन्तु उसे न्यायाधीश पर ईमानदार न होने का लांछन नहीं लगाना चाहिए । इस सम्बन्ध में श्री मधु लिमये का कहना ठीक है कि किसी न्यायाधीश पर उसके द्वारा दिये गये निर्णय के मामले में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में , श्री विद्याचरण शुक्ल जो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने तथा स्थिति स्पष्ट करने के लिए उद्यत हैं, यह कह सकते थे कि निर्णय तो सत्यनिष्ठा से दिया गया है किन्तु उसमें कुछ तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है । निर्णय देते समय वह कह सकते थे .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं; किसी उच्च न्यायालय निर्णय विचार विमर्श अथवा चर्चा का विषय नहीं बन सकता विशेष कर उस स्थिति में जबकि वह इस मामले में एक पक्ष थे । उन्होने उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की है ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मेरे संशोधन का सम्बन्ध खण्ड 9 क से है । मेरा दृष्टिकोण यह है कि सरकारी ठकों के लिए अनर्हता सम्बन्धी उपबन्ध, जो 1952 से लेकर आज तक लागू है, ठीक है और सिद्धान्त का निरूपण करता है मैं समझता हूं इस उपबन्ध में संयुक्त समिति ने जो संशोधन किया है, वह गलत है । संयुक्त समिति द्वारा किये संशोधन में "माल" के स्थान पर "माल अथवा पशु" और "उपयुक्त सरकार के स्थान पर अब उपयुक्त सरकार" अथवा "ऐसी कम्पनी या निगम द्वारा" रखा गया है ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इन संशोधनों के स्वीकृत हो जाने पर कई कठिनाइयां पैदा होंगी और कई किस्म के तकनीकी प्रश्न उत्पन्न होंगे जिनके बारे में रिटर्निंग अफसर को निर्णय करना पड़ेगा और वह एक दीवानी अदालत बन जायेगा। ये शर्तें इस उपबन्ध के पीछे जो मौलिक सिद्धान्त है, उसकी उपेक्षा करती हैं। मौलिक सिद्धान्त यह है कि उम्मीदवार अथवा वह व्यक्ति किसी भी तरह संरक्षणता प्राप्त नहीं होनी चाहिए और सरकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह सिद्धान्त ठेके के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है और पहले अधिनियम में इस पहलू पर पूरी तरह विचार किया गया था। अब जो व्यवस्था की गई है उससे सरकारी कम्पनियों को सभी सप्लाई करीब-करीब बन्द हो जायेगी और देश में काम कर रही सभी सरकारी कम्पनियों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। इस लिए ऐसी स्थिति में जब कि एक विशेष उपबन्ध इन चौदह वर्षों में बहुत अच्छा कामयाब रहा है, ऐसा एक नया उपबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि पुराने उपबन्ध को उसी रूप में रहने दिया जाये।

मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें व्यवस्था है कि सभा में बार-बार अभद्र ढंग से पेश आने तथा हठजर्मी तथा उदंड व्यवहार करने पर अयोग्य करार कर दिया जायेगा। आप केवल इसी सभा में नहीं अपितु देश के हर एक विधान मंडल में और कुछ माननीय सदस्य अव्यवस्था के दृश्य देखेंगे और कुछ माननीय सदस्य तो अध्यक्ष के अधिकारों की अवहेलना करने तथा नियमों का उल्लंघन करने पर तुले हुए हैं। यदि ऐसा एक उपबन्ध हो जाये कि व सदस्य, जिन्हें सभा में उनके अशिष्ट तथा अभद्र व्यवहार के कारण अध्यक्ष द्वारा सभा से तीन बार निष्काषित किया गया हो, सदस्य होने के पात्र नहीं रहेंगे। इस से उन सदस्यों के दिमाग में, जो नियमों की अवहेलना करके सभा में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं, एक प्रकार का डर पैदा हो जायेगा और वे अध्यक्ष के कोप का भाजन बनना पसन्द नहीं करेंगे और परिणाम यह होगा कि इस सभा में तथा राज्य विधान मंडलों में व्यवस्था बनी रहेगी।

अन्त में मैं निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। निर्वाचन याचिकों को सुनने का अधिकार अब हम न्यायाधिकरण को न देकर उच्च न्यायालय को दे रहे हैं, अतः हम वर्तमान कानन में परिवर्तन कर रहे हैं। श्री कामत ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है जिस पर, मुझ आशा है, विधि मंत्री विचार करेंगे। किन्तु निर्वाचन आयोग को संसद् में एक कानून पास करके, एक अधिकार दिया है जिसका प्रयोग उसे एक विशेष ढंग में करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उस शक्ति का प्रयोग किये जाने के बाद यह कहना सर्वथा अनुचित है कि इस शक्ति का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने उचित रूप से नहीं किया है। चूंकि यह शक्ति अब हम उच्च न्यायालय को सौंप रहे हैं, अतः मंत्री महोदय को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि कानून परिवर्तन करना जरूरी है अथवा नहीं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : कभी-कभी, व्यावसायिक व्यक्तियों से झुठी गवाहियां दिलवा कर न्यायालयों से गलत निर्णय प्राप्त किये जाते हैं। और सदस्यों के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाता है इसलिए अनर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) को हटाना जरूरी है। किन्तु मैं यह उचित नहीं समझता कि अयोग्यता अथवा अनर्हता हटाने की स्वविवेक पूर्ण शक्तियां निर्वाचन आयोग को दी जायें क्योंकि इन शक्तियों के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न होने के कारण कभी-कभी उनका दुरुपयोग होते देखा गया है जैसा कि अभी हाल में गृह-कार्य उपमंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल के मामले में हुआ था। इसलिए कोई एसी व्यवस्था करना आवश्यक है उचित सुनवाई अथवा अपील के बाद उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा ठहराई गई अथवा लगाई गई अयोग्यता को कम से कम एक वर्ष तक नहीं हटाया जा सकेगा।

जहां तक सरकारी ठेकों आदि के लिए अयोग्य ठहराने वाले उपबन्ध का सम्बन्ध है, मैं श्री गो० ना० दीक्षित, जो कि एक अच्छे वकील हैं, द्वारा दिये गये आश्वासन तर्कों से सहमत नहीं हूं क्योंकि खण्ड 10 में स्पष्ट है कि यह किसी कम्पनी के अंशधारी पर लागू नहीं होता। इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है वह कोई स्वस्थ अथवा लाभदायक नहीं है। संयुक्त समिति ने इस पहलू पर काफी विचार किया है और इस पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया है और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है। अतः मेरे विचार में यह एक स्वस्थ प्रस्ताव है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के संशोधन में यह अनुरोध किया गया है कि उन भूतपूर्व शासकों को, जिन्हें निजी थैलियां मिलती हैं, चुनाव लड़ने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं माननीय सदस्य बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और उनकी धारणा बहुत गलत है। संविधान के अनुच्छेद 294 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि निजी थैली भारत सरकार तथा भूतपूर्व शासकों के बीच उन लाभों के बदले, जो कि उन्होंने समस्त भारत को, जिसमें प्रभुत्व सम्पन्न राजाओं की रियासतें शामिल हैं, समेकित करने के लिये भारत सरकार को पहुंचाये थे, एक करार अथवा समझौता है। उन्होंने शासन करने के अपने अधिकारों को त्याग दिया है और अपने सभी राज्य क्षेत्रों को भारत में विलय करने के लिए दे दिया है, जिसके बदलें में उनके लिए इन निजी थैलियों की व्यवस्था की गई है।

मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि संविधान में आस्था रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए इस करार की पवित्रता को बनाये रखना अत्यावश्यक है। प्रस्तुत संशोधन में इस करार को रद्द करने की व्यवस्था है, जो सर्वथा अनुचित है। उन पर रोक लगाने का अर्थ होगा उनके प्रति घोर अन्याय करना। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुलतानपुर): प्रस्तुत संशोधन में, दण्ड की अवधि पर विचार करने की व्यवस्था है। दण्ड की अवधि को अयोग्य ठहराने का आधार मानना गलत है क्योंकि कोई आधार केवल औपचारिक हो सकता है, इसलिए अपराध के स्वरूप को अयोग्यता का आधार माना जाना चाहिए न कि दण्ड की अवधि को। इस संशोधन में नैतिक पतन के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है जो, मैं समझता हूं, उचित है।

जहां तक श्री श्रीनारायण दास के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि विधान मंडलों तथा संसद् में अध्यक्ष की अवज्ञा करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है जिससे कि सदस्यों के उद्दण्ड व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके अन्यथा आम जनता पर उनके आचरण की प्रतिक्रिया बुरी होगी।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है कि भारत की संचित निधि से निजी थैलियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाये, मैं इसे न्यायसंगत नहीं समझता क्योंकि उन्होंने देश के हित में अपने अधिकारों का त्याग किया है और प्रतिकर के रूप में उन्हें एक विशेष धनराशि दी जाती है, जो निजी थैली है। अतः उन्हें केवल इस कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिये कि उन्हें निजी थैलियां मिलती हैं।

जहां तक निर्वाचन आयोग को खण्ड 11 में दी गई शक्ति का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत व्यापक शक्ति है और जब तक उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता,

उसके प्रयोग के मामले में भेदभाव होने की आशंका है। ऐसा कोई उपबन्ध होना आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य करार किया जाये, तो निर्वाचन आयोग उस व्यक्ति पर लगाई गई अयोग्यता को कम से कम एक वर्ष तक नहीं हटा सकेगा ।

श्री चं० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : चर्चा के दौरान निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाये गये हैं, वे न्यायसंगत नहीं हैं। मुझे मालूम है और मैं जानता हूं कि निर्वाचन आयोग में भारत के कुछ श्रेष्ठतम अधिकारी हैं जो निष्पक्षता तथा कार्य-परायणता की भावना से काम करते हैं।

जहां तक श्री अ० ना० विद्यालंकार के इस संशोधन का सम्बन्ध है कि किसी ऐसे अधिकारी को जो किसी सरकारी विभाग अथवा सरकार द्वारा प्रबन्धित निगम में काम करता हो, तब तक चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाये जब तक कि वह अपने पद को न छोड़ दे और उस के बाद एक वर्ष का समय न बीत जाये, मैं इसका पूर्णत: समर्थन करता हूं क्योंकि एक ऐसा मामला, जिसके बारे में मैंने लोक-सभा में भी प्रश्न उठाया था, देखा है जहां किसी निगम के अधिकारी को नौकरी में रहते हुए विभाग द्वारा इस धारणा पर संसद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई थी कि यदि वह चुनाव जीत जाये, तो त्यागपत्र दे देगा और इस आधार पर उसने छुट्टियां ले ली थी।

मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन का पूर्णत: समर्थन करता हूं क्योंकि उसमें ऐसा अनुरोध किया गया है कि अध्यक्ष के अधिकारों की बार-बार अवज्ञा करने वाले सदस्यों को अयोग्य करार किया जाये। यह प्रस्ताव उचित है और इसे किसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये ताकि ऐसे सदस्यों के उदण्ड आचरण पर रोक लग सके ।

जहां तक उन बातों का सम्बन्ध है जो कि न्यायालयों के निर्णयों के बारे में कही गई हैं, संविधान की धाराओं के अन्तर्गत संसद न्यायालयों के निर्णयों पर विचार-विमर्श अथवा चर्चा कर सकती है किन्तु वह वाद-विवाद इस ढंग से होना चाहिए जिसमें किन्हीं विशेष न्यायाधीशों के चरित्र पर कोई आक्षेप न आये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् मैं खण्ड 20 के बारे में, जिसका सम्बन्ध धारा 8 (2) से है, बोल रहा था। मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 का पूर्णत: समर्थन करता हूं।

श्री पो० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए

Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair

अनर्हता अथवा अयोग्यता सम्बन्धी खण्ड से जैसा कि वह इस समय है, वे मजदूर नेता जो किसी नैतिक पतन के दोषी नहीं हैं, अथवा जिन्होंने भ्रष्टाचार, चोर बाजारी आदि नहीं की है, चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जायेंगे। चुनाव के पहले इन लोगों पर किसी भी दुर्बल आधार पर हमेशा ही दो वर्ष की सजा दी जा सकती है और इस प्रकार उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जा सकता है क्योंकि बार-बार ऐसा देखा जाता है कि मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं पर झूठे आरोप लगाये जाते हैं, उनके भाषणों का गलत अर्थ लगाकर उनके विरुद्ध मामले तैयार किये जाते हैं और उन्हें दण्ड अथवा सजा दी जाती है। किन्तु अन्य मामलों में जहां कांग्रेसी नेता नैतिक पतन अथवा भ्रष्टाचार के दोषी पाये जाते हैं, बहुत उदारता से काम लिया जाता है जैसा कि गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल के मामले में निर्वाचन आयोग न किया है। इसी प्रकार श्री रामरतन गुप्त को जो नैतिक पतन के दोषी हैं और एक समाज-विरोधी व्यक्ति हैं, फतेहपुर

से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट दिया गया है और उन्हें योग्य होने का प्रमाणपत्र दिया गया है ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि श्री मधु लिमये का संशोधन स्वीकार किया जाये और केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाये जिन के विरुद्ध नैतिक पतन का दोष सिद्ध हो जाये। मैं स्वयं एक सरकारी कर्मचारी था और मुझे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। तदुपरान्त मैंने चुनाव जीत लिया, परन्तु एक तकनीकी गलती के कारण मैंने यह प्रमाणपत्र नहीं लगाया था कि मैं अनिष्ठा तथा भ्रष्टाचार के कारण राज्य सरकार से बर्खास्त नहीं किया गया था। इसी कारण मेरे विरुद्ध निर्वाचन याचिका दायर की गई, हालांकि मैं 17,000 मतों के बहुतमत से जीता था। मैं श्री चेटर्जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मामले में मेरी सहायता की और मेरे निर्वाचन को अवैध घोषित होने से बचा लिया ।

सरकार संसद् भवन के सामने प्रदर्शन करने पर रोक लगा कर अनुचित कार्य कर रही है। सरकार का रवैया उचित नहीं है। वह निर्वाचन से पहले जिस उम्मीदवार के जितने की आशा है उसे 2 वर्ष से अधिक का दण्ड देकर चुनाव लड़ने से वंचित कर सकती है। मैं श्री कामत के संशोधन संख्या 72 से संशोधन संख्या 75 का समर्थन करता हूं जिनमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चोर बाजरी तथा जमाखोरी के दोषी पाये जायें, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाय। बड़े से बड़े उद्योगपति जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों का मुकदमा चलाया गया था, और जिन पर जुर्माना किया गया था चुनाव लड़ रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : महोदय, मुझे खेद है कि श्री त्रिवेदी ने निर्वाचन न्यायाधिकरण के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं। यह कहना अन्यायपूर्ण होगा कि क्योंकि चुनाव अधिकरणों में से कुछ चुनाव अधिकरणों ने अनुचित ढंग से तथा बेईमानी से काम किया है, इसलिये हम उन से यह अधिकार छीन कर उच्चन्यायालय को सौंप रहे हैं। वास्तव में हम चुनाव आयोग की चुनाव अधिकरण नियुक्त करने की शक्ति लेकर उच्चन्यायालयों को दे रहे हैं ताकि शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। परन्तु चुनाव न्यायाधिकरणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा पक्षपात का आरोप लगाना सर्वथा अन्यायपूर्ण है । न्होंने उचित और न्यायपूर्ण ढंग से कार्य किया है। यदि हम उन से शक्ति वापस ले रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उन की निन्दा कर रहे हैं।

सरकारी ठेकों आदि के बारे में अनर्हता का जो संशोधित खण्ड है, मैं समझता हूं, उस में वर्तमान उपबन्ध की अपेक्षा कही अधिक सुधार किया गया है। संयुक्त समिति में भी हम ने सर्वसम्मति से यही राय व्यक्त की थी और इस उपबन्ध के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मेरा अनुरोध है कि इस उपबन्ध में न तो कोई संशोधन किया जाय और न ही हटाया जाये तथा कुछ लोगों द्वारा उस में संशोधन करने या उसे हटाने के सुझाव को न माना जाये।

श्री कामत के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उन के संशोधन में काफी बल है। देश आजकल खाद्यान्न के भारी संकट से गुजर रहा है। इस दिल्ली के ही हजारों नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप को ज्ञात है कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बंगाल में बुर्दवान है, जिसे भारत का खलियान कहा जाता है, परन्तु वहां भी भुखमरी फैली हुई है ।

भारत में करोड़ों लोगों की दशा बहुत दयनीय है । देश की वर्तमान दुर्दशा का कारण खाद्यान्न की कमी नहीं है, बल्कि यह घोर संकट चोरबाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों का उत्पन्न किया हुआ है । अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये जिस के अनुसार जमाखोरी, चोर-बाजारी तथा मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों को अनर्हत किया जाये । मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

नैतिक पतन के संबंध में जो संशोधन पेश किया गया है, उसमें काफी बल है । यदि किसी व्यति को तकनीकी विरोध तथा कर्मिक संघ में अधिक सक्रिय भाग लेने एवं ऐसे ही किसी अपराध के कारण दो वर्ष का दंड दिया जाता है, तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा करना उस के नागरिक अधिकारों का हनन करना होगा । अतः केवल वही लोग अयोग्य करार दिये जायें जोकि नैतिक पतन के दोषी सिद्ध हों ।

धारा 9-क के जोड़ने से इस विधेयक में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुधार हुआ है और इसलिये उस में न तो कोई संशोधन किया जाये और न ही इसे हटाया जाये ।

श्री रंगा (चित्तूर) : नैतिक पतन के प्रश्न के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कर्मिक क्षेत्र, किसान क्षेत्र तथा किसी अन्य सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को यदि किसी न्यायालय द्वारा दो वर्ष या इस से अधिक की सज़ा दी जाती है, तो उन्हें अनर्हत न किया जाये । मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री उस संशोधन को स्वीकार करेंगे तथा इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन ही व्यक्तियों को अनर्हत किया जायेगा जिन को नैतिक पतन का दोषी पाया जायेगा तथा अन्य व्यक्तियों को अनर्हत नहीं किया जायेगा ।

मेरे मित्र **श्री** चटर्जी ने चुनाव न्यायाधिकरणों के कार्य की बहुत सराहना की है तथा कुछ माननीय सदस्यों ने उन पर आरोप लगाये हैं । मैं उनकी न तो सराहना ही करना चाहता हूं और न ही उन पर आरोप लगाना चाहता हूं । निर्वाचन न्यायाधिकरणों ने कुछ स्थानों में अच्छा काम किया है और कुछ स्थानों में ऐसा नहीं किया है । एक बात स्पष्ट है कि चूंकि स्थानीय सरकार उन की नियुक्ति करती है, इसलिये वे दबाव म आ जाते हैं । अतः मैं नये उपबन्ध का स्वागत करता हूं जिस के द्वारा यह शक्ति उच्च न्यायालयों को दी जा रही है ।

मैं पुनः यह सुझाव देता हूं, जैसा कि मैंने इस विधेयक पर सामान्य विचार करते समय दिया था कि जिलाधीशों अथवा सेवा निवृत जिलाधीशों में से जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश में से मुख्य निवचन अधिकारियों की नियुक्तियां की जायें तथा कार्यपालिका के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त न किया जाये, क्योंकि यदि कार्यपालिका के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया तो विभिन्न विरोधी राजनैतिक दलों तथा सत्ताधारी दल के भी उन लोगों को जो सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध हैं, न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा तथा उनके साथ पक्षपात किये जाने की संभावना बनी रहेगी ।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, संशोधन संख्या 103 तथा संशोधन संख्या 104 । मेरा पहला संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह उन लोगों से सम्बन्धित है जो जमाखोरी, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी तथा खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण करते हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को अवश्य स्वीकार किया जाये, अन्यथा विपक्षी दलों के लोग कहेंगे कि सरकार जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों

तथा उन लोगों का समर्थन करती है जो खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में अपमिश्रण का काम करते हैं। जब हम किसी अपराध के बारे में सोचते हैं तो हमें यह नहीं देखना चाहिये कि इसके लिये कितनी सजा दी गई है, परन्तु यह देखना चाहिये कि इस में नैतिक पतन कितना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कम नैतिक पतन के अपराध के लिये दो वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो और ज्यादा नैतिक पतन के अपराध के लिये कम सजा दी गई है। अतः हमें सजा की अवधि नहीं, अपितु अपराध की गंभीरता देखनी है।

देश में इस समय अनेकों संकट हैं। देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति है। अतः ऐसे संकटकाल में भी लोग समाज विरोधी कार्य करते हैं—चोर बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं और अपमिश्रण करते हैं। मैं समझता हूं जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी तथा अपमिश्रण करना सब से बड़ा अपराध है और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाये, चाहे उन की सज़ा दो वर्ष से कम ही क्यों न हो। अतः मैं चाहता हूं कि यह संशोधन कि एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जमाखोरी, चोरबाजारी तथा खाद्य और औषध अपमिश्रण के लिये दोषी ठहराया गया है ऐसे दण्ड की तिथि से छः वर्षों के लिये अनर्हत किया जाये चाहे दण्ड दो वर्ष के कारावास से कम अथवा कोई कारावास न हो या केवल जुर्माना हो।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आजकल चुनाव पर बहुत खर्च आता है। विभिन्न राज्यों में भारत के कई ग्रामों में यातायात के साधनों की बहुत कमी है—न तो पर्याप्त बसें ही हैं और न ही पर्याप्त सड़कें हैं तथा लोग बहुत गरीब हैं और वे मत डालने के लिये तीन अथवा चार मील नहीं जा सकते। अतः ग्रामों में परिवहन साधनों की कमी को देखते हुए तथा इस बात की आवश्यकता को देखते हुए कि प्रत्येक मतदाता अपना मत दे मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक गांव में एक मतदान स्थान तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पांच सौ मतदाताओं के लिये एक मतदान स्थान तथा जहां सम्भव हो वहां चलते-फिरते मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जाय।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का समर्थन करता हूं जिस में कहा गया है कि राजकुमारों को अनर्हत किया जाय। व्यक्तिगत रूप से मैं राजकुमारों के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं देखता हूं कि स्वतंत्रता के 20 वर्ष बाद भी हम वर्गहीन समाज की स्थापना करने की दशा में आगे नहीं बढ़ सके हैं। हम ने वर्गहीन समाज स्थापित करने का संकल्प किया है, परन्तु इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। हम देखते हैं कि पुराने राजा तथा महाराजा सर्वोच्च देश भक्तों के विरुद्ध भी चुनाव जीत गये हैं। उन के निजी रक्षक उन की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके पास साधन तथा धन है। सामान्य कार्यकर्ता, चाहे वह कितना ही कुशल हो, उन के विरुद्ध चुनाव में नहीं जीत सकता। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत राजाओं, महाराजाओं तथा नवाबों पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है अथवा नहीं। परन्तु हम ने समाजवाद और वर्गहीन समाज का जो संकल्प किया है, उसके हित में यह आवश्यक है कि राजाओं महाराजाओं के चुनाव लड़ने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। यह सच है कि अब राजों, महाराजों तथा नवाबों के अपने राज नहीं हैं, फिर भी हम देखते हैं कि उन का एक नया शासक वर्ग बनता जा रहा है। देश के और समाजवाद के हित में यह है कि कम से कम जनता के प्रतिनिधि--विधायक तो प्रजातंत्र के आधार पर चुने हुए होने चाहियें। देश के हित में बहुत से व्यक्तियों ने अपने रुपये, जमीन तथा व्यापार का बलिदान किया है। राजाओं तथा महाराजाओं ने भी अपनी अस्तियों को छोड़ा है तथा बहुत सी ऐसी चीजों को छोड़ा है जो उनके बाप-दादों ने उनके लिये छोड़ी थी। परन्तु उन्हें चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना

चाहिये । इस से साधारण व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें राजा तथा महाराजों के चुनाव लड़ने पर जरूर रोक लगानी चाहिये ।

चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी करने वालों के सम्बन्ध में जो संशोधन है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमें कार्यपालिका को व्यापक अधिकार नहीं देने चाहिये, क्योंकि हम जो कानून बनाते हैं उसकी क्रियान्विति उप-निरीक्षकों तथा छोटे मेजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती है और वे समय समय पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं । मैं 15 वर्ष तक अपने राज्य में मंत्री रहा हूं तथा अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हमें कार्यपालिका को अधिक व्यापक अधिकार नहीं देने चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । श्रीनगर में मेरा एक रिश्तेदार बहुत बड़ा व्यापारी है । उस ने किसी एक विशेष अधिकारी को उस दर पर चाय नहीं दी, जिस पर वह लेना चाहता था तथा इस के परिणामस्वरूप उस पर झूठे आरोप लगाये गये और उसे गिरफ्तार कर लिया गया । अतः मैं कार्यपालिका को व्यापक अधिकार देने के विरुद्ध हूं ।

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं बताना चाहता हूं कि उस में कार्यपालिका का कोई सम्बन्ध नही है । किसी व्यक्ति को चोरबाजारी, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी के कारण अनर्हत तभी किया जायेगा, जब न्यायालय द्वारा उसको इन अपराधों के कारण सजा दी जाये ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : फिर यह प्रश्न पैदा होगा कि किस प्रकार का अपराध किया गया है । तथा किस प्रकार की सजा मिली है । परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

Shri Bade (Khargone): I support Mr. Madhu Limaye's amendment that there should be disqualification only if there is moral turpitude. In this connection I want to point out that prosecutions have been launched on people and especially in Madhya Pradesh on those who belong to Jan Sangh due to political reasons under sections 307, 332, 326 or 326/107 for which convictions have been more than three years and in no case less than two years. Moreover we have seen that the Magistrates there are newly appointed one and they invariably convict people for more than two years. Therefore, I strongly support that the word "moral turpitude" should be there. While we look to an offence, it is not merely the sentence that is awarded that matters, but there are certain offences which may not involve moral turpitude, but the punishment may be two years or more of imprisonment and as such it is not justified to disqualify those who have been convicted for more than two years for reason other than moral turpitude. For instance, when we lead any movement, some people from outside come on the scene and make our movements unsuccessful. But on the other hand, we are convicted under sections 109 and 307. Because as you know the real goondas who are responsible for any crime evade the arrest of the police and we are arrested. There is no moral turpitude in such case. So I strongly support Mr. Limaye's amendment that in order to incur disqualification the word "moral turpitude" must be there.

So far as Shri Kamath's amendment regarding hoarders and blackmarketeers is concerned. I wholeheartedly support it, because hoarding and blackmarketing is a moral turpitude. Blackmarketing and hoarding activities are anti-social and if blackmarketeers and hoarders come to Parliament after winning the elections, the country will go to dogs.

As regards the third amendment in which it has been stated that princes should be disqualified, because they are getting privy purses. I am unable to support it. First of all the days of Rajas and Maharajas have gone now and they no longer have any influence. Moreover there are other big moneyed persons who have more influence than the Rajas and Maharajas. These big capitalists have more money than the Rajas. If the Rajas are being disqualified, why these moneyed persons are not being disqualified? It would be an injustice to the ex-rulers to deprive them from contesting elections, when the moneyed persons and others who have made money by illegal ways and not being deprived of contesting elections. Moreover if the Rajas are elected it would be better in one way, because they would come here and come to know what people are thinking about them and how our Parliament works. I am not personally supporting the princes as such, but I am of the opinion that if Rajas and Maharajas are disqualified, it would be great injustice to them.

Shri Priya Gupta (Katihar): I regard to the question of moral turpitude. I am in favour of the amendments moved by hon. friends Sarvashri Kamath and Madhu Limaye. I want the Law Minister to accept that amendment and ensure that only those who come to be convicted for moral turpitude would be disqualified and not others who have been convicted by a court of law for two years or a little more than that on technical grounds. We are in opposition and we have to play our role. As the Congress Member Shri Bhagwat Jha Azad has pointed out in Question Hour that proper distribution of the foodgrains sent by Centre to Bihar State is not being done by the executive authorities. The executive is working as it desires. As we are in opposition we have to launch agitations against the District Magistrates and the S.D.O.'s and have to tell them that famine conditions are prevailing in Bihar and U.P. We have to plead with them that, that area may be declared as famine area and famine act may be made operative there. It may so happen that we may be arrested when doing so and convicted for more than two years, which would incur disqualification for us for contesting election.

Secondly I would plead that princes and other big persons may be declared as holding offices of profit and thereby they may be debarred from contesting elections.

Next I would suggest that the assests acquired by the Central and State Minister, M.Ps. and M.L.As. during the last five years should be scrutinised. and if they fail to give a proper account, they should also be disqualified.

The rules to be framed under the Act should be placed on the Table of the House before the termination of the present session so that the Members could give their suggestions.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद): मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का समथन करता हूं और चाहता हूं कि केवल उन ही लोगों को चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवार होने से अनर्हत किया जाये, जो नैतिक पतन के दोषी पाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा रखने तथा उत्तेजनावश किया जाता है और जिनके लिये दो वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिये कैद की सजा दी जाती है। अत: ऐसे अपराधों के कारण किसी को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कामत के संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूं परन्तु उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें दण्ड की न्यूनतम अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है । यदि छोटी छोटी सजाओं के लिये लोगों को इस प्रकार चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया तो संसद् में तथा विधान सभाओं में कुछ बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं आ सकेंगे । अतः मैं सुझाव देता हूं कि इस में कैद की न्यूनतम अवधि चाहे वह छः महीने हो, अथवा 15 दिन का उल्लेख किया जाये अन्यथा मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री दीक्षित के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बनामी लेनदेन के बारे में संयुक्त समिति की बातें समझ में आ सकती हैं, परन्तु उन सरकारी कम्पनियों के साथ जिसमें सरकार का 25 प्रतिशत हित हो, लेन देन अनर्हत करना उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि ऐसा करना देश तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हितों के विरुद्ध होगा । इसके अतिरिक्त जब कि हम प्रतिदिन सरकारी क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा करने से सरकारी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध करना असंभव हो जायेगा ।

श्री विद्यालंकार का संशोधन संख्या 78 भी बहुत उचित है तथा इसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): I fully support Shri Madhu Limaye's amendment that only those who are convicted for moral turpitude should be disqualified and not others who are arrested for taking part in agitations or demonstrations and are sentenced for more than two years. If the provision is made that who so ever has been sentenced for more than two years, whether on account of moral turpitude or otherwise, the opposition has to suffer a great loss. We who belong to opposition have to take part in demonstrations and agitation and have even to resort hunger strike in order to impress upon the Government to accept our demands, and if we are arrested and convicted and afterwards debarred from seeking election then it would be unjustified. We have no other alternative but to resort to strikes and demonstrations in order to represent our case against the decision of the Government. Rajasthan is an drought affected areas and Government had sanctioned a relief of Rs. 3,300 millions for the drought affected areas, but out of this amount only an amount of Rs. 200 million has been sanctioned for Rajasthan, which is negligible taking into account the magnitude of the problem and hence the people of Rajasthan have no other alternative, but to resort to agitations and demonstration. I think if any persons is arrested for this and sentenced for more than two years imprisonment and debarred from contesting elections, then it would be justified. Likewise the people who took part in the demonstration demanding ban on cow slaughter may be arrested and disqualified after conviction. So I suggest that Shri Limaye's amendment should be accepted. I also support Shri Kamath's amendment and suggest that Rajas and Maharajas and other persons should be disqualified from contesting elections. The Chief Minister of Rajasthan has swallowed 52 kilograms of gold and even then he is entitled to seek election.

Mr. Chairman: The hon. Member should not refer him by name, as the person concerned is not present here to reply it.

Shri Onkar Lal Berwa: The point is that it would be great injustice to the opposition parties if such persons like the Chief Minister of Rajasthan who are responsible for huge embezzlements are allowed to contest election and on the other hands those who have to resort to agitations etc. in order to get their demands accepted are debarred from seeking elections.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): We are establishing a democratic set up in the country and it is essential in the interests of democracy that only such persons who have good character and who have been proved so should be allowed to contest elections. The persons who have no faith in democracy and who believe in subversion should be debarred from contesting elections. I suggest that we should make some provisions in this Act by which we may debar those persons also who after being elected, misuse their rights conferred upon them by public and spread misunderstandings against others. This act should be amended in such a way that only good people are elected. I am not defending such persons, who are responsible for embezzlement of public money but I want to say that only healthy charges should be levelled. A member who levels baseless charges which could not be substantiated on the floor of the House should also be debarred from contesting elections.

I fully support the spirit of Shri Madhu Limaye's amendment. I want that the persons who indulge in corrupt practices should be debarred from contesting election. I suggest that we should debar those who have been convicted or against whom any legal action has been taken. If we allow corrupt persons to see elections, then they would be more powerful after being elected and thereby corruption will increase. I also desire that we should not allow big capitalists also to come to this House, but I am unable to suggest any such amendment by which those who have money and power may be debarred from seeking elections. I wish that this act may be amended in such a way that such persons are not elected who are a hinderance in the way of removing poverty and hunger from this country and who are the supporters of capitalism.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : संयुक्त समिति ने यह खण्ड जिस रूप में भेजा है मैं उसका समर्थन करता हूं। संयुक्त समिति ने संसद् तथा राज्य विधान मंडलों की सदस्यता की अनर्हता के प्रश्न पर बड़ी गौर से विचार किया है। समिति ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह प्रमाणपत्र कि उसे भ्रष्टाचार तथा गद्दारी के कारण बर्खास्त किया गया है, तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष पेश करने का अवसर न दिया जाये। समिति ने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति जब तक अनर्हत समझा जायेगा तब तक उसके द्वारा अथवा उसके विश्वस्त किसी व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्तियों की निकाय द्वारा उसके लाभ के लिये किया गया कोई करार जारी है।

अतः इसी उद्देश्य से खण्ड 9क को रखा गया है कि अप्रत्यक्ष हित वाले व्यक्तियों पर भी पाबन्दी लगाई जा सके। समिति का विचार था कि मूल खण्ड पाबन्दी लगाने में पर्याप्त नहीं है।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार, चोरबाजारी अथवा किसी अन्य अपराध के लिये दो वर्ष की सजा दी जाती है तो उसे अनर्हत समझा जाता है। समिति ने इस बात पर विचार किया था और यह राय व्यक्त की थी कि विपक्षी दल के माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित किसी अपराध के लिये यदि किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, तो उसे इस सभा में नहीं आना चाहिये समिति ने विपक्षी दल के सदस्यों के संशोधनों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया था तथा उनकी भावना और सार पर भी संयुक्त समिति द्वारा गंभीर रूप से विचार किया गया था। संयुक्त समिति का विचार यह है कि अनावश्यक अनर्हता नहीं होनी चाहिये। जिस रूप

में यह खण्ड संयुक्त समिति ने भेजा है, वह बहुत युक्तिसंगत है और जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : महोदय.....

श्री स० मो० बनर्जी : कम से कम मंत्री महोदय के बोलने के समय तो सभा में गणपूर्ति होनी चाहिये।

सभापति महोदय : घण्टी बज रही है। सभा में गणपूर्ति नहीं है। पुनः घण्टी बजाई जाये। अब भी गणपूर्ति नहीं है। मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 नवम्बर, 1966/2 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday November 23, 1966/Agrahayana 2, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2387 (Ai) LS— 30-8-67—600.